

66TH

ANNUAL REPORT

2025-26

६६ वां
वार्षिक रिपोर्ट
२०२५-२६



**NATIONAL COOPERATIVE AGRICULTURE & RURAL
DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD.**

राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
महासंघ मर्यादित

Board of Management

(As of 31st August 2026)

Shri Dolar V. Kotecha, Chairman

(Chairman, Gujarat SCARDB)

Shri Dalip Singh Yadav, Vice Chairman

Director, Haryana SCARDB

Adv. C. K. Shaji Mohan, Vice Chairman

Convenor-Administrative Committee, Kerala SCARDB

Dr Bijender Singh

President, Delhi SCB

Shri Sanjay Singh Chauhan

Chairman, H.P. SCARDB

Capt. (Dr) K. Rajendra, IAS

(Administrator, Karnataka SCARDB)

Shri W.K. Kyndiah

Chariman, Meghalaya CAB

Smt. Mamta Singh

Chairperson, Multi State Coop. Land Dev.
Bank Ltd. (Bihar - Jharkhand)

Dr. A. D. Baskaran

Managing Director, Tamil Nadu CSARDB

Shri Jitendra Prasad

Managing Director, Rajasthan RSBVB

Shri K. K. Ravindran

Managing Director

प्रबन्धन मंडल

(३१ अगस्त 2026 तक)

श्री डोलर व. कोटेचा, अध्यक्ष

(अध्यक्ष, गुजरात एससीएआरडीबी)

श्री दलीप सिंह यादव, उपाध्यक्ष

निदेशक, हरियाणा एससीएआरडीबी

एडवोकेट सी. के. शाजी मोहन, उपाध्यक्ष

संयोजक-प्रशासनिक समिति, केरल एससीएआरडीबी

डॉ. बिजेन्द्र सिंह

अध्यक्ष, दिल्ली एससीबी

श्री संजय सिंह चौहान

अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश एससीएआरडीबी

श्री कैप्टन (डॉ) के. राजेंद्र, आईएस

(प्रशासक, कर्नाटक एससीएआरडीबी)

श्री डब्ल्यू. के. किन्द्या

अध्यक्ष, मेघालया सीएबी

श्रीमती ममता सिंह

अध्यक्ष, मल्टी स्टेट को-ऑप. लैंड डेवलपमेंट
बैंक लिमिटेड (बिहार-झारखण्ड)

डॉ. ए. डी. भास्करन

प्रबंध निदेशक, तमिलनाडू सीएसएआरडीबी

श्री जितेंद्र प्रसाद

प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान आरएसबीबीबी

श्री के. के. रविन्द्रन

प्रबन्ध निदेशक

SIXTY SIXTH ANNUAL REPORT 2025-26



NATIONAL CO-OPERATIVE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LIMITED

703A, BSEL Tech Park, 7th Floor, A-wing, Plot No. 39, Sector 30 A, Opp. Railway Station
Vashi, Navi Mumbai 400 703 (Maharashtra)

Tel. (022) 40004969 / 40004970 • Fax : (022) 2781 4223

E-mail : nafcard.org@gmail.com / ncardbf.org@gmail.com • Website : www.nafcard.org

**NATIONAL CO-OPERATIVE AGRICULTURE &
RURAL DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD.**

ANNUAL GENERAL MEETING OF THE FEDERATION

NOTICE

Notice is hereby issued to conduct the Annual General Meeting of the National Co-operative Agriculture and Rural Development Banks' Federation Ltd., for the year 2026 at **11.00 AM on Monday, August 31st, 2026 at Hotel Holiday Inn, Jaipur, Rajasthan** to transact the following business.

1. To confirm the proceedings of the Annual General Meeting of the Federation held on 22nd July 2025 in the Board Room of NCUI, New Delhi.
2. Consideration of Audited statements of Accounts for the year 2025-26.
3. Consideration of the Audit report for the year ended 31.03.2026.
4. Consideration of Audit Compliance Report for 2025-26.
5. Consideration of Annual Report for the year 2025-26.
6. Disposal of surplus for the year 2025-26.
7. Approval for appointment of Auditors and fixation of remuneration for the year 2026-27.
8. Approval of the Annual Budget for the year 2027-28.
9. Amendment of Bye-laws of Federation Consequent upon Enactment of Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Act 2023 – for aligning the Bye-laws with MSCS Act and the Rules.

In accordance with the provisions of Multi State Cooperative Societies Act, 2002 and the Byelaws of the Federation, the General Body shall consist of one representative of each member bank of the Federation who shall be either Chairman/President or the Chief Executive or a member of the Board of the member bank nominated by the Board of Directors of the respective Bank by a resolution, or the Administrator, by whatever name called, of a member bank where there is no Board. Accordingly, member banks are advised to inform the Federation the name of their representative to the General Body along with the resolution of the Board at least 10 days before the General Body Meeting.

Please make it convenient to attend the meeting.

By Order of the Board of Management

Sd/-

(K.K. Ravindran)
Managing Director

Place : Navi Mumbai

Date : 05th August 2026

BOARD OF MANAGEMENT

(As of 31st August 2026)



Shri Dalip Singh Yadav
Vice Chairman



Shri Dolar V. Kotecha
Chairman



Adv. C. K. Shaji Mohan
Vice Chairman



Dr. Bijender Singh
President, Delhi SCB



Shri Sanjay Singh Chauhan
Chairman, HP SCARDB



Capt. Dr. K. Rajendra, IAS
Administrator, Karnataka SCARDB



Shri Waibha K. Kyndiah
Chairman, Meghalaya CAB



Smt. Mamta Singh
Chairperson, Multi SCLDB



Dr. A.D. Baskaran
Managing Director, Tamil Nadu CSARDB



Shri Jitendra Prasad
Managing Director, Rajasthan RSBVB



Shri K.K. Ravindran
Managing Director

MEMBER BANKS

Chairmen & Chief Executives
(As of 1st August 2026)

Multi State Co-operative Land Development Bank Ltd. (Bihar - Jharkhand)



Smt. Mamta Singh
Chairperson



Dr. Kaushlendra Singh
Managing Director

Delhi State Co-operative Bank Ltd.



Dr. Bijender Singh
Chairman



Shri Rajiv Kumar Kadyan
Managing Director

Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Dolar V. Kotecha
Chairman

Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Subhash Kalsana
Chairman



Shri Naresh Goyal
Managing Director

Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Sanjay Singh Chauhan
Chairman



Dr. Harish Gajju (HAS)
Managing Director

Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Capt. Dr. K. Rajendra, IAS
Administrator



Shri N. Venkatesh
Managing Director I/C

Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd.



Adv. C.K. Shaji Mohan
Convenor - Administrative
Committee



Shri Gopalkrishnan K. IAS
Managing Director

Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd.



Shri Waibha K. Kyndiah
Chairman



Shri Osmand E.J. Nongbri
Managing Director

Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd.



Shri E. Sarangapani
Administrator



Shri K. Maran
Managing Director

Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd.



Smt. Senu Duggal, IAS
Administrator



Smt Sarabjit Kaur
Managing Director

Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.



Shri Rajendra Kumar Meena
Administrator



Shri Jitendra Prasad
Managing Director

Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Dr. A.D. Baskaran
Managing Director

MEMBER BANKS

**Chairmen & Chief Executives
(As of 1st August 2026)**

Telangana State Co-operative Apex Bank Ltd.



Shri. K. Surendra Mohan, IAS
Chairman



Shri Yadla Krishna Rao
Managing Director

Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Atanu Dewanjee, TCS G-I
Administrator



Shri Jayanta Jamatia, TCS G-II
General Manager

Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd.



Dr. Vivek Singh Tomar
Chairman



Shri Rajesh Kumar Kulashretha
Managing Director

West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Brajesh Kumar Singh
Special Officer and Managing Director

Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Chairman

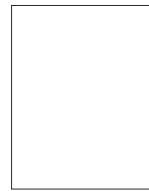


Managing Director

Odisha State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd.,



Management I/C



Managing Director

ECONOMIC SCENE

The Indian economy during 2025-26 continued to maintain its position as the world's fastest growing major economy with GDP growth exceeding 7% driven by strong domestic consumption, robust manufacturing and high infrastructure spending and supported by easing inflation and a healthier banking sector. India's GDP growth during financial year 2025-26 is estimated at 7.4%, surpassing earlier expectations and projections. Strong domestic demand continued as the main driver of growth. Private consumption expenditure during the year increased from 5.8% to 7.7% stimulated by reduction in the rates of Income Tax and GST. Government consumption also grew by 6.6% during the year. Exports grew by 6.5% despite the impact of higher US reciprocal tariffs, while imports grew at 6.4%. On the supply side, services sector registered a growth rate of 9.5% compared to 7.9% in 2024-25. The Industrial sector grew by 8.8% with 11.5% expansion in manufacturing. Agriculture maintained a growth rate of 2.4% helped by supportive weather conditions although this was lower than 4.2% in the previous year.

AGRICULTURE 2025-26

Agriculture sector is estimated to have contributed 16.2% of India's GDP in 2025-26. The sector grew at an average annual rate of above 3.5% during the last 10 years. The growth rate of agriculture and allied sectors during financial year 2025-26 is estimated at 2.3% as against 4.2% in 2024-25. The total food grains production estimated for 2025-26 is 348.65 million tonnes, which marks about 5% increase over the previous years production, driven by favourable weather and higher acreage for major crops. The 2 major agriculture seasons of Kharif and Rabi had almost equal share of the total production during the year. Wheat production is estimated at 120.21 million tonnes during the year as against 117.94 million tonnes in 2024-25. Total production of rice during the year is estimated at 141 million tonnes. It is estimated that production of pulses has increased by 7% during 2025-26.

Retail inflation averaged 1.7% in the first nine months during 2025-26 as against 4.6% for the corresponding period last year. In the light of declining rate of inflation, which fell below the target range of 2 to 6%, Monetary Policy focused on easing rates and enhancing liquidity. As a result of measures to enhance liquidity including reduction in repo rate and cash reserve ratio the average interest rates on fresh loans declined by 97 basis points during 2025-26. Growth in bank credit gained momentum with 14.5% growth in nonfood credit in January 2026 from 12.5% in January 2025. The banking sector remains broadly in a healthy state with the gross non-performing assets of scheduled Commercial banks declining to 2.1% in September 2025 compared to 2.3% in March 2025.

Central Govt's fiscal deficit is estimated to have fallen to 4.4% of GDP from 4.8% in financial year 2024-25 largely due to lower expenditure than budgeted. The total revenue of the Govt has increased by 10.1%, which is below the budgeted amount, due to unplanned tax cuts during the year.

Agriculture, Animal Husbandry and Dairy are the cornerstones of India's economy. These sectors play a crucial role in ensuring rural employment and economic stability. The Union Budget in 2025-26 emphasized agriculture as the foremost engine of India's development, focusing on improving productivity, farmer incomes, rural infrastructure and self-sufficiency in key commodities.

Policy Initiatives in Agriculture Sector

Agriculture being a State subject, Govt of India supports the efforts of the State through appropriate policy measures and budgetary allocations under various schemes, with the main objective of enhancing welfare of farmers by increased production, remunerative returns and income support.

One notable intervention by the Central Government is the consistent increase in Minimum Support Prices

(MSPs) for 22 Kharif and Rabi crops. Since the agricultural year 2018-19, the government has ensured a minimum of 50 per cent margin over the all-India weighted average cost of production for each crop covered under MSP. The price support also aims to reduce India's import dependence and foster diversification towards pulses, oil, and commercial crops.

The policy initiatives, such as Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana (PM-KMY), Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN), and Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), have played a pivotal role in providing financial and income support to farmers. PM-KISAN, launched in 2019, supplements the financial needs of small and marginal farmers by transferring ₹6,000 per year in three equal four-monthly instalments. Till February 2025, 3.5 lakh crore have been transferred to nearly 100 million small holder farmers. Additionally, the government provides pension benefits to 24.66 lakh small and marginal farmers enrolled under the PM-KMY.

Following are the major initiatives of Govt of India in Agriculture Sector.

- **Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana**

- A new scheme targeting 100 low-productivity districts.
- Focus on enhancing agricultural productivity, crop diversification, sustainable practices, irrigation, and post-harvest storage.
- Likely to benefit 1.7 crore farmers.

- **Rural Prosperity and Resilience Programme**

- A multi-sectoral initiative to address underemployment in agriculture.
- Focus on skilling, investment, and technology-driven transformation.
- Phase-1 to cover 100 agricultural districts.

- **Mission for Aatmanirbharta in Pulses**

- A six-year mission with focus on Tur, Urad, and Masoor.
- Development of climate-resilient seeds.
- Assurance of remunerative prices through

procurement by NAFED and NCCF for four years.

- **Comprehensive Programme for Vegetables and Fruits**

- Promotion of vegetable and fruit production with efficient supply chains.
- Focus on value addition, processing, and ensuring better market prices.
- Implementation in partnership with states and farmer producer organizations.

- **National Mission on High Yielding Seeds**

- Strengthening research for high-yield, pest-resistant, and climate-resilient seeds.
- Commercial availability of over 100 seed varieties released since July 2024.

- **Cotton Productivity Mission**

- A five-year mission to improve cotton yield and sustainability.
- Promotion of extra-long staple cotton to benefit cotton-growing farmers.
- Alignment with the 5F vision, a complete growth plan based on Farm to Fibre, Fibre to Factory, Factory to Fashion, Fashion to Foreign for textile sector.

- **Kisan Credit Card (KCC) Loan Limit Enhancement**

- The loan limit under the Modified Interest Subvention Scheme raised from ₹3 lakh to ₹5 lakh.
- Expected to benefit 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers.

- **Urea Plant in Assam**

- A new urea plant with an annual capacity of 12.7 lakh metric tons at Namrup, Assam.
- Expected to enhance self-sufficiency in urea production.

Animal Husbandry and Dairying

- **Makhana Board in Bihar**

- Establishment of a dedicated board to support makhana production, processing, and marketing.

- Organization of makhana farmers into Farmer Producer Organizations (FPOs).

o **Fisheries Development Framework**

- Special focus on Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.
- Sustainable harnessing of fisheries from the Exclusive Economic Zone and High Seas.
- Expected to boost marine sector potential and increase exports.

Credit and Financial Inclusion

o **Grameen Credit Score**

- Public Sector Banks to develop a framework for SHG members and rural credit needs.

o **Expansion of Credit for Micro Enterprises**

- Introduction of customized credit cards with ₹5 lakh limit for micro-enterprises registered on the Udyam portal.
- 10 lakh cards to be issued in the first year.

Research and Infrastructure Development

o **Gene Bank for Crops Germplasm**

- A second gene bank with 10 lakh germplasm lines for future food security.

o **Research and Development in Agriculture**

- Enhanced support for private-sector-driven R&D.

Additionally the following existing major programmes will continue.

• **Pradhan Mantri Fasal Bhima Yojana (PMFBY)**

PMFBY and Restructured Weather based Crop Insurance Scheme.

• **Minimum Support Price (MSP) enhancement**

The Government regularly revises the MSP for various crops ensuring that farmers receive a guaranteed minimum price for their produce.

• **National Mission on Natural Farming**

To promote natural farming to ensure safe, nutritious food and reduce farmers' dependency on external inputs. It aims to enhance soil health,

biodiversity, climate resilience and sustainable agriculture. Natural Farming is a chemical-free farming method based on traditional knowledge, local agro-ecological principles and diversified cropping systems. Natural farming also reduces input costs, soil degradation and health risks from fertilizers and pesticides, ensuring nutritious food and enhancing climate resilience.

• **Pradhan Mantri Rashtriya Krishi Vikas Yojana (PM-RKVY) and Krishonnati Yojana (KY)**

PM-RKVY will promote sustainable agriculture, while KY will address food security and agricultural self-sufficiency. These Schemes are implemented through the State Governments.

• **National Mission on Edible Oils – Oilseeds**

This mission aims at boosting domestic oilseed production and achieving self-reliance in edible oils. The mission will be implemented over a seven-year period from 2024-25 to 2030-31, with a target of increasing primary oilseed production from 39 million tonnes to 69.79 million tonnes by 2030-31 and to increase domestic edible oil production to 25.45 million tonnes by 2030-31 to meet around 72% of projected domestic requirement.

• **Pradhan Mantri Samman Nidhi (PM- KISAN)**

This is an income support scheme launched in 2019, providing ₹6000 per year in 3 equal instalments. So far, more than 4.46 lakh crore has been disbursed to over 11 crore farmers through 23 instalments by June 2026.

• **Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana (PMKMY)**

PMKMY is a voluntary contributory Pension Scheme for Small and Marginal farmers who can join the scheme at the age of 18 to 40 years with a provision of ₹3000/- monthly pension on attaining the age of 60 years. 24.96 lakhs small and marginal farmers have joined the scheme so far.

• **National Livestock Mission (NLM)**

The focus of the scheme is employment generation, entrepreneurship development, increase in per animal productivity with the

objective of increasing production of meat, goat milk, egg and wool.

- **Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF)**

The scheme envisaged incentivizing investments by individual, entrepreneurs, private companies, MSME, FPOs and Section 8 Companies (Non-Profit organization) to establish dairy processing and value addition infrastructure, meat processing, animal feed plant, breed improvement technology and breed multiplications farm, veterinary drugs and vaccine infrastructure and waste to wealth management.

- **National Animal Disease Control Management (NADCP)**

The programme targets eradication of FMD and Brucellosis by 2030.

‘SAHAKAR-SE-SAMRIDDHII’- MAJOR INITIATIVES OF THE MINISTRY OF COOPERATION

The Ministry of Cooperation under the visionary leadership of Shri Amit Shah as the first Cooperation Minister of the country since its formation in July 2021 has taken more than 50 major initiatives so far to realize the vision of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi 'Sahakar-se-Samriddhi'. These initiatives are listed under 34 major heads as below.

1. Model Bye-Laws for making PACS Multipurpose

The Model Byelaws is a major initiative to convert PACS to multipurpose societies catering to the entire credit and noncredit needs of rural population. 32 States/ Union Territories have already adopted the Model Byelaws of PACS and the process of implementation of Model Byelaws is underway in the remaining States/Union Territories.

2. Strengthening of PACS through Computerization

Computerization of 79,630 PACS/LAMPS is in progress under this initiative of the Ministry of Cooperation.

3. Establishment of Multipurpose PACS / Dairy / Fisheries Cooperative Societies in every Panchayat/Village

2 lakh new Multi-purpose PACS/Dairy/Fisheries

Cooperative Societies will be set up under this Scheme in the Panchayats/Villages not covered so far, in the next 5 years.

4. World's largest Decentralized Grain Storage Program in Cooperative sector to ensure food security

The scheme involves creation of agricultural infrastructure such as godowns, custom hiring centres, processing units, fair price shops etc. at the PACS level.

5. PACS as Common Service Centres (CSCs) for better access to e-Services

A MoU has been signed on 02.02.2023 between Ministry of Cooperation, Ministry of Electronics and Information Technology, NABARD and CSC e-Governance Services India Limited for providing CSC services through PACS.

6. Formation of new Farmer Producer Organizations (FPOs) by PACS

NCDC shall support formation of 1100 new FPOs by PACS to facilitate market linkage and remunerative prices to farmers.

7. Eligibility of PACS for LPG Distributorship

On the initiative of Ministry of Cooperation, the Petroleum Ministry has amended its rules and issued guidelines for giving LPG dealership to PACS.

8. Permission to convert Bulk Consumer Petrol Pump operated by PACS into retail outlets

The Ministry of Petroleum and Natural Gas has also given consent to convert the existing bulk consumer licensee PACS into retail outlets.

9. Priority to PACS for new Petrol/Diesel Pump dealerships

PACS are also given priority in new retail Petrol/ Diesel Pump dealerships, for which guidelines have been issued by Oil Marketing Companies (OMCs)/ Petroleum Ministry.

10. PACS as Jan Aushadhi Kendra for access to generic medicines at Rural level

Based on the initiative of MOC, the Ministry of Chemicals and Fertilizers facilitates Jan Aushadhi

Kendras by PACS/Cooperative Societies with drug licences from State Drug Controllers, at village/block level.

11. PACS as Pradhan Mantri Kisan Samridhi Kendra (PMKSK)

The Ministry of Chemicals and Fertilizers decided to upgrade the PACS already functioning as fertilizer distribution centres as Pradhan Mantri Kisan Samridhi Kendras (PMKSK). As per information provided by States/UTs, 38,190 PACS in 22 States/UTs have been upgraded to PMKSK, remaining are in progress.

12. Micro-ATMs to Bank Mitra Cooperative Societies with the help of NABARD

Dairy and Fisheries cooperative societies have also been made Bank Mitra of District Central Cooperative Banks and State Cooperative Banks with Micro-ATMs with the support of NABARD to provide 'Door Step Financial Services'.

13. Rupay Kisan Credit Card to Members of Cooperative Societies

A Pilot project has been started in Panchmahal and Banaskantha districts of Gujarat to expand the reach and capacity of Rural Co-operative Banks and to provide necessary liquidity to the members of rural Co-operative Societies.

14. PACS as Paani Samiti

In order to utilize the reach of PACS in rural areas, on the initiative of the Ministry of Cooperation, Ministry of Jal Shakti has written a Letter to all the States to make PACS eligible as 'Paani Samiti' to undertake the work of Operation and Maintenance (O&M) of Piped Water Supply schemes in rural areas.

15. Convergence of PM-KUSUM Scheme at PACS Level

The structure and reach of PACS, which have direct linkage with 13 crore farmer members, is proposed to be leveraged to set up decentralized solar power plants at the Panchayat level.

16. Formation of Fish Farmer Producer Organisation (FPPO)

In order to provide market linkage and providing

processing facilities to the fishermen, NCDC has registered 70 FPPOs in the initial phase. Department of Fisheries, Government of India has further allocated conversion of 1000 existing fisheries cooperative societies into FPPOs to NCDC, with an approved outlay of ₹225.50 crore.

17. Three new Multi-State Cooperative Societies at the National level

Under the guidance of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi and leadership of Hon'ble Cooperation Minister Shri Amit Shah, the Ministry of Cooperation facilitated establishment of the following three new Multi-State Cooperative Societies at national level.

(i) New National Level Multi-State Cooperative Society for Exports

Under the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002, a new National Cooperative Exports Limited (NCEL) has been set up as an umbrella organization to promote exports from the cooperative sector. Cooperative societies from Primary to National level including District, State, National level federations and Multi-State Cooperative Societies can become its members.

(ii) New National Level Multi-State Cooperative Society for Certified Seeds

The Bhartiya Beej Sahakari Samiti Limited (BBSSL) has been set up under the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002, as an umbrella organization for cultivation, production and distribution of improved seeds under a single brand name. Cooperative Societies (Primary, District, State level) of States/Union Territories can become its members. This Society will increase availability of improved seeds to the farmers, boost productivity of crops and enhance the income of the farmers.

(iii) New National Level Multi-State Cooperative Society for Organic Farming

The National Cooperative Organics Limited (NCOL) has been established under the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 as an umbrella organization which will work for production, distribution and marketing of certified and authentic

organic products. Primary to National level cooperative societies including District, State, National level federations, Multi-State Cooperative Societies, and Farmer Producer Organizations (FPOs) can become its members. This will increase production of organic products and increase the profit of the farmers.

18. Relief in Income Tax law for Cooperative Societies

- (i) Surcharge reduced from 12% to 7% for co-operative societies having income between ₹1 to 10 Cr.

This will reduce the burden of Income Tax on Cooperative Societies and more capital will be available with them to work for the benefit of their members.

- (ii) Minimum Alternate Tax (MAT) reduced for cooperatives from 18.5% to 15%

With this provision, now there is parity between Cooperative Societies and Companies in this regard.

- (iii) Relief in cash transactions under section 269ST of the Income Tax Act

To remove difficulties in cash transactions by cooperatives under Section 269ST of IT Act, Government has issued a clarification that cash transaction of less than ₹2 lakhs done by a cooperative society with its distributor in a day will be considered separately, and will not be charged with income tax penalty.

- (iv) Tax cut for new manufacturing Cooperative societies

The Government has decided that a flat lower tax rate of 15% will be charged, compared to an earlier rate of up to 30% plus surcharge, for new cooperatives commencing manufacturing activities by March 31, 2024. This will encourage the formation of new cooperative societies in the manufacturing sector.

- (v) Increase in limit of Cash Deposits and Payments by PACS and PCARDBs

The Government has enhanced the limit for Cash Deposits and Payments by PACS and Primary

Cooperative Agriculture and Rural Development Banks (PCARDBs) from ₹20,000 to ₹2 lakh per member. This provision will facilitate their activities, increase their business and benefit members of their societies.

- (vi) Increase in the limit of Tax Deducted at Source (TDS) in Cash Withdrawal

The cash withdrawal limit of cooperative societies without deduction of tax at source enhanced from ₹1 crore to ₹3 crore per year. This provision will save Tax Deducted at Source (TDS) for cooperative societies and enhance ease of doing business.

- (vii) Enabling cooperatives to obtain low or nil TDS certificates

W.e.f. 01.10.2024, the S.194Q has been brought under the ambit of S. 197 enabling the taxpayers to apply for lower/nil deduction certificate in respect of transactions that require TDS compliance u/s. 194Q.

- (viii) TCS on sale of goods under S.206C(1H) has been made ineffective

A sunset clause has been inserted in Section 206C(1H), rendering the provisions of the said section inapplicable with effect from 1st April 2025.

19. Computerisation of Central Registrar's office

The office of the CRCS has been fully computerized to create a digital ecosystem for Multi-State Cooperatives for registration of new Societies and regulatory compliance.

20. The Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Act, 2023

The Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Act, 2023 was enacted to incorporate in the original Act the provisions of the 97th Constitutional Amendment and to strengthen governance, increase transparency, increase accountability, improve election process, etc in Multi State Cooperative Societies.

21. Revival of Cooperative Sugar Mills

- (i) Relief from Income Tax to Cooperative Sugar Mills

Cooperative Sugar Mills will not have to pay additional income tax on payment of higher sugarcane prices to farmers up to the fair and remunerative price or the

State advised price. With this provision, Cooperative Sugar Mills will now be able to give higher price of sugarcane to their members and they will get income tax deduction on this higher expenditure. According to the clarification issued on 25.10.2021, this provision is applicable from 01.04.2016 and since then, farmer members are getting this benefit through cooperative sugar mills.

(ii) Resolving decades old pending issues related to income tax of Cooperative Sugar Mills

A new sub-section 19(1) has been included in Section 155 of Income Tax, by which the payments made by cooperative sugar factories to sugarcane farmers before 2016-17 will be treated as expenditure. As per report given by National Federation of Cooperative Sugar Factories Limited this has benefitted cooperative sugar mills to the tune of ₹46,524 crore, thus resolving decade pending Income Tax issues.

(iii) Constituting a Special Fund with a corpus of ₹10,000 crore in NCDC for strengthening Cooperative Sugar Mills, ethanol procurement by Ministry of Petroleum from Cooperative Sugar Mills at terms on par with private mills, reduction of GST from 28% to 5% on molasses which will increase demand for molasses from Cooperative Sugar Mills, etc are other supports given to Cooperative sugar sector at the initiative of Ministry of Cooperation.

22. Redressal of Difficulties faced by Cooperative Banks

At the intervention of Shri Amit Shah, Hon'ble Union Cooperation Minister, several difficulties faced by cooperative banks in their business are now resolved. Issues in opening new branches, implementing OTS Schemes, enhancing housing loan limit, lending to commercial real estate sector, issuing collateral free loans to cooperatives, onboarding in 'Aadhaar enabled payment system', relaxation in the scheduling norms for Urban Cooperative Banks (UCBs), RBI approval for Umbrella Organisation for UCBs etc., are some of the additional facilities extended to Cooperative Banks at the intervention of the Ministry of Cooperation.

23. SAHAKARTAXI

A Cooperative taxi service app like Ola/Uber wherein

bike/taxi drivers are direct members of the society has been registered. The service aims to provide higher remuneration to drivers with minimal commission cuts while having the best customer experience at an affordable cost. The cooperative is promoted by Amul, NAFED, NABARD, IFFCO, KRIBHCO, NDDDB & NCEL with an authorized share capital – ₹300 crore. Over 7.97 lakh drivers and 40.84 lakh customers have already registered in the Shakar Taxi App. The scheme is expected to have nationwide presence by 2029.

24. Expansion of National Cooperative Development Corporation (NCDC)

(i) New schemes for Cooperative Societies started by NCDC

New schemes for Cooperative Societies have been started by NCDC in various sectors such as 'Swayamshakti Sahakar' for self-help groups; 'Dirghavadhi Krishak Sahakar' for long term agricultural credit; 'Dairy Sahakar' for dairy and 'Nandini Sahakar' for women's cooperative institutions etc.

(ii) Financial Assistance by NCDC for Deep Sea Trawlers

NCDC is providing financial assistance for projects related to deep sea trawlers in coordination with the Department of Fisheries, Government of India. NCDC has already sanctioned financial assistance of ₹25.95 crore for purchase of 44 deep sea trawlers for the Fisheries Cooperative Societies of Maharashtra.

25. The Cabinet has approved Cooperative Societies to be registered as 'Buyer' on Government e-Marketplace (GeM) on 1st June, 2022. Hon'ble Cooperation Minister Shri Amit Shah e-launched the on-boarding of Cooperative Societies on the GeM Portal on 09 August 2022 in New Delhi. Cooperative Societies will now be able to buy from around 60 lakh authentic sellers/service providers available across the country on the single platform of GeM.

26. Formulation of New National Cooperation Policy

The National Cooperation Policy 2025 was unveiled in July 2025. The NCP 2025 aims to modernize and

expand the Cooperative Sector to make it a key engine for the 'Viksit Bharat 2047'.

27. New National Cooperative Database

The MOC is in the process of building up authentic and updated National Cooperative Database in a phased manner with the assistance of State Governments. Under the First Phase, mapping of about 2.64 lakh societies of PACS, dairy and fisheries was completed. In the Second Phase, mapping of National Cooperative Societies and Federations was completed. So far, in the last phase, about 8.19 lakh cooperative societies have been included in the database.

28. Establishment of Cooperative University

At the initiative of Ministry of Cooperation, the Parliament has passed the 'Tribhuvan Sahakari University Bill' on 1st April 2025. The Act seeks to set up the National Cooperative University at Anand, Gujarat. IRMA will be dissolved and become one of the Schools of the Tribhuvan University with autonomous status. The objectives of the Tribhuvan Sahakari University include making available qualified and skilled manpower to meet the needs of the cooperative sector and to provide training, education and capacity building to the employees and board members of cooperatives.

29. Promotion of training and awareness through NCCT

The National Council for Cooperative Training (NCCT), an autonomous institute under the Ministry of Cooperation, organizes cooperative education and training programs for personnel, members and board members of Cooperative Societies across the country, including personnel from Cooperative Departments of States/UTs.

30. Computerization of Agriculture and Rural Development Banks (ARDBs)

To strengthen the Long-term Cooperative Credit Structure, the Ministry of Cooperation has approved a Centrally Sponsored Scheme for Computerization of Agriculture and Rural Development Banks (ARDBs). It will have various components such as hardware procurement, comprehensive Enterprise Resource

Planning (ERP) solutions, digitization, providing training and support, and maintenance of software, etc. Computerization will provide various benefits to ARDBs, such as increased efficiency, faster loan disbursement, reduced transaction costs, increased transparency and lower imbalances of payments, etc.

31. Scheme for computerization of office of Registrar of Cooperative Societies in States/Union Territories

To increase ease of doing business for Cooperative Societies and create a digital ecosystem for transparent paperless regulation in all States/Union Territories, Ministry of Cooperation has approved a Centrally Sponsored Scheme for computerization of offices of Registrar of Cooperative Societies of all States/UTs. The software developed under this scheme will be based on the Cooperative Act of the respective State/UT.

32. White Revolution 2.0

Ministry of Cooperation, Government of India, has launched a new initiative of 'White Revolution 2.0' with the aim of enhancing employment, promoting women's empowerment and improving milk production through cooperative societies. The key objectives of this initiative are 50% increase in procurement of milk by dairy cooperatives, providing market access to dairy farmers in areas that have not yet been covered by the organized dairy sector and promoting the share of dairy cooperative societies in the organized dairy sector.

33. Atmanirbharta Abhiyan

Ministry of Cooperation has launched the initiative to incentivize production of pulses (tur, masur and urad) to reduce dependency on imports, and production of maize to be used for production of ethanol for meeting the goal of Ethanol Blending Programme (EBP). National Cooperative Consumer Federation (NCCF) and National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India (NAFED) are the central nodal agencies under this initiative.

34. Refund to Investors of Sahara Group of Societies

The Ministry of Cooperation filed a Petition in the

Hon'ble Supreme Court based on which the Hon'ble Supreme Court vide order dated 29.03.2023, directed to transfer ₹5000 crore from Sahara-SEBI refund account to the Central Registrar of Co-operative Societies for disbursement of valid dues of the depositors of 4 Cooperative Societies of Sahara Group (Sahara Credit Cooperative Ltd., Saharayan Universal Multipurpose Society Ltd., Hamara India Credit

Cooperative Society Ltd. and Stars Multipurpose Cooperative Society Ltd.).

Till 22.12.2025, about 1.42 crore applications (₹ 96,555 crore claims) have been received on the 'CRCS-Sahara Refund Portal'. An amount of ₹ 8845.12 crore has been released to 40.33 lakh eligible depositors of Sahara Group of Cooperative Societies.

RURAL CREDIT SCENARIO

Historically, farmers in India, by and large have been resource-poor and heavily dependent on borrowings to support agricultural production and smoothen consumption needs. Given the inherent uncertainties of farming-especially under rain-fed conditions-rising indebtedness of farmers at often exploitative interest rates has long been a persistent feature of Indian agriculture.

Institutional credit for agriculture was virtually absent until the end of the nineteenth century, although the Government occasionally extended loans during drought years. The concept of forming cooperative societies to provide credit to farmers emerged only in the early twentieth century, culminating in the enactment of the Cooperative Credit Societies Act, 1904. This marked the beginning of organized institutional credit for farmers. Over time, cooperative institutions gradually evolved into an important source of agricultural credit across the country, and rural credit began receiving increasing policy attention from the Government.

The Cooperative Credit Societies Act of 1904 was later replaced by the Cooperative Societies Act, 1912, which provided stronger legal recognition and a more structured framework for cooperative credit institutions. Another significant development during this period was the establishment of Provincial Cooperative Banks, which laid the foundation for the three-tier cooperative credit structure. However, the operations of these cooperatives were largely confined to short-term credit.

At the same time, farmers required long-term credit to redeem their lands from existing debts, which often consumed a major portion of their crop income in the form of interest payments. To address this need, Land Mortgage Banks were established in the early 1920s to provide long-term agricultural credit.

The establishment of the first Land Mortgage Bank in Punjab in 1920 was followed by the formation of similar institutions at the provincial and primary levels in various parts of the country. Despite these efforts, the penetration of institutional credit remained extremely limited. By 1951, only 3.3% of farmers had access to cooperative credit, while less than 1% received loans from commercial banks.

The All India Rural Credit Survey Committee (1954) observed that agricultural credit was insufficient in quantity, inappropriate in type, and often failed to reach the intended beneficiaries. While the Committee pointed out several deficiencies in the functioning of cooperatives, it also recognized their potential role in rural credit delivery and famously concluded that:

“Cooperation has failed, but cooperation must succeed.”

To strengthen the institutional framework for long-term agricultural credit, the Agricultural Refinance Corporation (ARC) was established in 1963 to provide refinance support to cooperative institutions, particularly Land Development Banks. Subsequently, the All India Rural Credit Review Committee (1966) was constituted to review the availability of rural credit

and recommend measures to enhance the flow of institutional finance to agriculture.

The Committee recommended that commercial banks should play a complementary role alongside cooperatives in extending rural credit. This led to significant policy changes. The nationalization of major commercial banks in 1969, along with the introduction of the Priority Sector Lending policy, acted as a catalyst for expanding the role of commercial banks in rural lending. In the same year, the **Lead Bank Scheme** was introduced to promote decentralized credit planning, assigning each district to a designated commercial bank.

All these initiatives, however, failed to bring about the desired improvement in the flow of credit to agriculture. This was mainly because commercial banks were not adequately attuned to the needs of small and marginal farmers, while cooperative institutions lacked sufficient financial resources to meet the growing demand for credit.

Against this background, Regional Rural Banks (RRBs) were established in 1975, based on the recommendations of the Narasimham Working Group. RRBs were conceived as a distinct banking structure combining the cooperative advantage of local familiarity with rural conditions and problems, along with the managerial expertise and financial resources of commercial banks. Thus, by the late 1970s, a Multi-Agency System for rural credit delivery emerged in India, comprising Cooperatives, Commercial Banks, and RRBs.

Subsequently, following the recommendations of the Committee to Review Arrangements for Institutional Credit for Agriculture and Rural Development, the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) was established in 1982. NABARD took over the entire operations of the Agricultural Refinance and Development Corporation (ARDC) as well as the agricultural credit refinancing functions of the Reserve

Bank of India (RBI). Since its establishment, NABARD has been playing a central role in promoting sustainable and equitable agriculture and rural development by providing refinance support, policy guidance, and institutional development assistance to various credit institutions.

The 1990s witnessed the initiation of major financial sector reforms, largely based on the recommendations of the Committee on the Financial System (Chairman: Shri M. Narasimham, 1991). During this period, several committees were also constituted to examine various aspects of the rural financial system. These included the High-Level Committee on Agricultural Credit through Commercial Banks (R.V. Gupta Committee, 1998), the Task Force to Study the Functioning of the Cooperative Credit System (Jagdish Kapoor Committee, 1999), the Expert Committee on Rural Credit (V.S. Vyas Committee, 2001), and the Vaidyanathan Task Force I & II in the early 2000s, among others.

Many of the financial sector reforms implemented since the 1990s were based on the recommendations of these committees. However, it is observed that while the recommendations relating to Commercial Banks and RRBs were largely implemented, those concerning the strengthening of the Rural Cooperative Credit Structure did not receive the required policy attention. While the Vaidyanathan Task Force recommendations on the Short-Term Cooperative Credit Structure (STCCS) were only partially implemented, the recommendations relating to the Long-Term Cooperative Credit Structure (LTCCS) were largely ignored and remain unimplemented.

Despite these structural issues, there has been phenomenal growth in the flow of institutional credit to agriculture over the past two decades. The expansion in credit flow can be seen from the yearly targets and achievements for agricultural credit since 2004–05.

(₹ in crores)

YEAR	TARGET	ACHIEVEMENT
2004-05	1,05,000 (Base year)	1,25,309
2005-06	1,41,500 (34.76%)	1,80,486 (44.03%)
2006-07	1,75,000 (23.67%)	2,29,401 (27.10%)
2007-08	2,25,000 (28.57%)	2,50,000 (8.98%)
2008-09	2,80,000 (24.44%)	3,02,908 (21.16%)
2009-10	3,25,000 (16.07%)	3,84,541 (26.95%)
2010-11	3,75,000 (15.38%)	4,68,291 (21.78%)
2011-12	4,75,000 (26.67%)	5,11,029 (9.13%)
2012-13	5,75,000 (21.05%)	6,07,375 (18.85%)
2013-14	7,00,000 (21.74%)	7,30,765 (20.32%)
2014-15	8,00,000 (14.29%)	8,45,328 (15.68%)
2015-16	8,50,000 (6.25%)	9,15,509 (8.30%)
2016-17	9,00,000 (5.88%)	10,65,755 (16.41%)
2017-18	10,00,000 (11.11%)	11,62,617 (9.09%)
2018-19	11,00,000 (10.00%)	12,54,762 (7.93%)
2019-20	13,50,000 (22.73%)	13,73,766 (9.48%)
2020-21	15,00,000 (11.11%)	15,75,398 (14.68%)
2021-22	16,50,000 (10.00%)	18,63,364 (18.28%)
2022-23	18,50,000 (12.12%)	21,55,000 (15.65%)
2023-24	20,00,000 (8.11%)	25,10,000 (16.47%)
2024-25	27,50,000 (37.50%)	28,69,000 (14.30%)
2025-26	32,50,000 (18.18%)	-

(Source: rbi.org.in, Annual Report publication - NABARD)

The Government of India has set an ambitious Ground Level Credit (GLC) target of ₹32.50 lakh crore for the financial year 2025-26. This target aims to further strengthen institutional credit flow to agriculture and allied sectors. Notably, a sub-target of ₹5 lakh crore has been earmarked for allied activities such as dairy, poultry, animal husbandry, and fisheries, recognizing their growing contribution to rural income and agricultural diversification.

Over the years, the total credit flow to the agriculture sector has expanded significantly. Agricultural credit has nearly quadrupled from ₹7.30 lakh crore in 2013-14 to ₹28.69 lakh crore in 2024-25, reflecting the increasing role of institutional finance in supporting agricultural growth.

However, the institutional credit delivery mechanism continues to face a structural limitation in terms of

availability of long-term resources. The refinance support provided by NABARD largely serves as liquidity support to banks, rather than a sustained long-term funding mechanism. Commercial banks, in many cases, shorten the repayment period for investment credit, thereby compelling farmers to repay loans even before the investments start generating adequate income.

In this context, the observations of the Y.C. Nanda Working Group on Enhancing the Share of ARDBs in Long-Term Agricultural Credit assume significant importance. The Working Group observed that Cooperative Banks and RRBs do not have adequate long-term resources to expand their share in investment credit, while Agricultural and Rural Development Banks (ARDBs) continue to remain an important channel for providing long-term investment credit to farmers.

The Working Group emphasized that if the share of investment credit through ARDBs is to be expanded, they should be provided with liberalized funding support from NABARD or other higher financing agencies, since ARDBs were specifically established to provide long-term investment credit to agriculture. The Group further suggested that NABARD's refinancing policy requires a relook, so that the institution can play a more proactive role in strengthening ARDBs rather than adopting restrictive lending practices.

It was also pointed out that NABARD has generally been recovering its refinance dues from ARDBs irrespective of the recovery position of loans at the borrower level. Such a practice places considerable financial stress on ARDBs, particularly in situations where recovery is affected by socio-economic or climatic factors. The Working Group therefore recommended that NABARD should consider adopting a later-end repayment structure for refinance instalments, enabling ARDBs to withstand unfavourable recovery conditions and promoting a risk-sharing approach.

Another critical issue requiring policy attention is the high interest rates applicable to agricultural investment credit. The Government of India has taken several measures to ensure that crop loans remain affordable. With an interest subvention of 3%, the effective interest rate on crop loans is capped at 4% per annum, and with additional subvention by State Governments, crop loans are available at zero interest in some states.

However, similar measures have not been extended to investment credit for agriculture. NABARD's refinance support for investment loans carries interest rates of around 8.50% per annum, which results in the ultimate borrowing cost for farmers ranging between 12% and 14% per annum. This substantial difference between crop loan interest rates and investment loan interest rates acts as a major disincentive for farm investments, thereby affecting long-term agricultural productivity.

The Government has established a Long-Term Rural Credit Fund (LTRCF) in NABARD, financed through contributions arising from the shortfall in commercial banks' lending to agriculture. NABARD utilizes this fund to provide refinance support for investment credit at relatively lower rates, generally for a maximum period of up to five years. However, the impact of LTRCF on the cost of funds for State Cooperative Agriculture and Rural Development Banks (SCARDBs) remains limited, as the share of LTRCF in the overall funding support provided by NABARD is relatively small. The study on 'Reforms, Restructuring and Innovations in ARDBs' instituted by Ministry of Cooperation through NABCONS recommended separate state wise allocations to ARDBs under LTRCF which should be available on tap throughout the year, in order to ensure a fair share of low cost funds under LTRCF to ARDBs.

Over the last decade, there has been a significant expansion in irrigated agricultural land. Nevertheless, nearly 40-45% of the cultivated area in India continues to remain rain-fed, making agricultural financing inherently risky. Lending to agriculture under rain-fed conditions involves considerable uncertainty due to climate variability and production risks.

At present, the entire risk associated with agricultural financing is borne by the lending institutions, resulting in a high level of Non-Performing Assets (NPAs). For many institutions within the cooperative credit structure, particularly ARDBs which primarily serve small and marginal farmers, the level of NPAs has exceeded tolerable limits, posing serious challenges to their financial sustainability.

Growing overdues affecting financial health of lending institutions, lack of financial literacy among farmers, persisting disparities in availability of credit across regions in India and high transaction cost of delivering credit to rural areas are other major challenges in rural credit.

National Cooperative Agriculture & Rural Development Banks' Federation Ltd. (NAFCARD)

The Federation was established in 1960 as the National Apex organization of Long Term Rural Cooperative Credit Structure (LTCCS). Presently, the membership of the Federation consists of 15 State Cooperative Agriculture & Rural Development Banks (SCARDBs) and 3 State Cooperative Banks (SCBs) without separate structure for long term credit. The Federation is registered as a Multi-State Cooperative Society and is one of the National Federations listed in the 2nd schedule of the Act.

The principal objective of the Federation is to promote interests of its members to attain their organizational objectives & business goals and to promote mutual understanding amongst members by providing a common forum for discussing technical and practical problems relating to their business operations and

devise ways and means for solving such problems, based on self-help and mutual aid in accordance with cooperative principles. The vision of the Federation is to develop and strengthen its member institutions as resource based, member driven financial cooperatives, capable of helping their members through credit and other financial services support, to fully realise their development potential for raising income levels and living standards.

The Federation strives to realise the above vision by engaging actively and persistently with Central & State Governments and other agencies concerned, for financial, legal and policy support for strengthening LTCCS and by extending a range of support services to member banks to facilitate business diversification & expansion, resource mobilization, upgradation of Human Resources & Technology and achieve efficiency in operations.

The activities of the Federation include coordinating the working of ARDBs at national level, taking up legal & policy issues with the Central and State Govts, NABARD, RBI etc., compilation & publishing of statistics relating to LTCCS, organizing Seminars, Workshops, study visits, training programmes, providing guidance & advise on institutional development, business diversification & expansion etc.

Computerization of ARDBs under Central Sector scheme, internal reforms for streamlining loans & recovery systems and expanding avenues for mobilizing resources, business development plans etc., are currently major areas of focus for the Federation.

COOPERATIVE LONG TERM CREDIT STRUCTURE – OVERVIEW

The Long-Term Cooperative Credit Structure (LTCCS) as on 31 March 2026 comprises 15 SCARDBs, out of which 12 are fully functional. These banks operate through a network of 1,835 retail outlets at ground level.

The LTCCS has a total membership of 91.75 lakhs rural households, of which 38.19 lakh members are borrowing members with outstanding loans. As on 31 March 2026, the total loans outstanding of these banks stood at ₹23,050.45 crores, while their

borrowings outstanding amounted to ₹13,186.02 crores. The total loans outstanding of SCARDBs increased by 3.55% during the year from ₹22,260.89 crores as on 31 March 2025.

The SCARDBs had total outstanding deposits of ₹2,611.48 crores as on 31 March 2026, compared to ₹2,387.45 crores as on 31 March 2025, registering a growth 9.38% over the previous year. During the financial year 2025-26, the banks disbursed loans amounting to ₹7,423.93 crores, as against ₹6,868.69

crores in the previous year, showing a growth of 8.08%. The aggregate recovery performance at the ground level stood at 43.90% as on 31 March 2026, which is

slightly better than 41.59% recorded in the previous year, indicating continued challenges in loan recovery.

Overview of Long-Term Cooperative Credit Structure for last 2 years

(₹ Crores)

Sr. No.	Particulars	During the year	
		2024-25	2025-26*
1.	No. of SCARDBs		
	i Fully Functional	13	12
	ii Others	3	3
2.	Network of outlets		
	i Branches of SCARDBs	657	612
	ii Supervisory Units	90	88
	iii PCARDBs	610	610
	iv PCARDBs branches	520	525
	TOTAL	1,877	1835
3.	Membership of individuals	92,68,978	91,74,846
4.	Borrowing Membership	38,71,050	36,22,984
5.	Loans Outstanding	22,260.89	23,050.45
6.	Loans Disbursed	6,868.69	7,423.93
7.	Borrowings Outstanding	13,186.02	13,052.88
8.	Deposit Outstanding	2,387.45	2,611.48
9.	Loan Recovery Position As on 31 March		
A.	At Ultimate Borrowers' Level	2024-25	2025-26
	i Demand	16,857.28	17,591.85
	ii Collection	7,011.22	7,722.87
	iii Balance	9,846.06	9,868.99
	iv Recovery %	41.59	43.90
B.	At SCARDB Level	2024-25	2025-26
	i Demand	14,684.51	16,730.57
	ii Collection	6,463.55	7,706.53
	iii Balance	8,220.96	9,024.04
	iv Recovery %	44.02	46.06
10.	Amount of Profit	209.49	274.15
	No. of banks in Profit	9	7
11.	Amount of Losses	198.12	82.18
	No. of banks in Losses	4	2
12.	Staff Position		
	i SCARDB Level (Apex)	4,287	4,229
	ii PCARDB level (Ground)	3,870	3,767
	TOTAL	8,157	7,996

*The Government of Union Territory during the year decided to liquidate Jammu & Kashmir SCARDB, due to its unviable functioning and accumulated losses.

Major issues and challenges

- LTCCS is primarily designed as non-resource based lending agency.
 - The institutions in the structure are not given licence to function as banks coming under BR Act and hence not allowed to raise resources from the market like other rural financial institutions.
 - Depends heavily on NABARD's refinance for resources for lending.
 - The refinance support of NABARD, however, is steadily declining since the beginning of 2000s due to difficulties in arranging state govt guarantee and failure to meet eligibility conditions for refinance based on risk rating.
 - The Working Group on Enhancing the Share of ARDBs in Investment Credit (2017) under the chairmanship of Shri Y.C. Nanda, Ex-Chairman, NABARD recommended NABARD to introduce a new additional refinance product to extend refinance to SCARDBs on the basis of their unencumbered quality assets and other qualitative norms without government guarantee or collaterals. NABARD is yet to implement this recommendation.

Inability to advance crop loans to long term borrowers affecting returns from farm investments and loan repayment.

- The crop loan interest subvention scheme of Govt of India is not extended to ARDBs.
- Long term borrowers of ARDBs generally are unable to take crop loans from other agencies as their land is pledged with ARDBs.
- Non availability of crop loans affects the income and repaying capacity of these farmers.

Deteriorating recovery climate

- Aggregate recovery at the ground level has been hovering around 50% in the last few years.
- Though loans are secured by mortgage of land recovery of loan by selling agricultural land is difficult in many States.

- Inability of the structure to give production credit/working capital loans along with investment credit deprives full benefit of investments to borrowers who are not able to access short term loan from other agencies.
- In the absence of short term loan products and saving products, ARDBs are unable to maintain regular contact with borrowers which is necessary to improve repayment.
- Loan waivers, even when done as a one-time measure to help farmers in distress, give rise to expectations of further waivers in the future leading to default even by those who have the capacity to pay.

Exclusion of ARDBs from financial sector reforms.

- The financial performance of the structure started declining since 90s due to heavy overdues in govt sponsored schemes, long regime of regulated interest rates without allowing adequate margins and implementation of debt waiver scheme in 1990 by the Central Govt without fully reimbursing the loans written off under the scheme.
- While financial sector reforms including recapitalisation since 90s helped Commercial Banks, RRBs and STCCS to set off such losses, ARDBs continue to remain excluded from financial sector reforms.
- Even though Vaidyanathan Task Force II (2006) recommended a revival package comprising of reforms and recapitalization, the same was not implemented.

Issues and suggestions taken up through Ministry of Cooperation

- (i) **Computerisation of ARDBs** - The Ministry of Cooperation has now launched a scheme for computerisation of ARDBs under Centrally Sponsored Project of Strengthening of Cooperatives through IT Interventions. 1851 operating units of 13 fully functional SCARDBs are being computerized at a total estimated

cost of ₹119.40 crores under this project. The scheme is under implementation. The implementation of the scheme which was originally scheduled to be completed during 2025-26 has now been extended till March 2027.

- (ii) **Banking licence to SCARDBs** – Several Committees appointed by the Government including Capoor Committee (1999), Vaidyanathan Task Force II (2006) and of late the Study on Reforms, Restructuring and Innovations in ARDBs instituted by the MoC through NABARD recommended RBI to consider giving banking licence to SCARDBs subject to prudential stipulations and to frame norms for the same.
- (iii) **Extending crop loan interest subvention scheme to ARDBs** – Non availability of crop loans facility for its long term borrowers is a serious issue in LTCCS affecting their income and repaying capacity. MoC has already taken up this issue with Ministry of Agriculture & Farmers Welfare.
- (iv) **Setting up Long Term Fund with NCDC in the pattern of Long Term Rural Credit Fund (LTRCF) of NABARD** which has been set up out of shortfall in commercial banks' lending to agriculture. This will help NCDC to provide funds to rural credit cooperatives for long term agricultural lending at a significantly lower interest rate than the market rate.
- (v) **Extending DICGC insurance coverage to deposits of ARDBs** – Though ARDBs are allowed to accept member deposits and term deposits from public upto their net worth, not much progress is made in deposit mobilisation due to lack of insurance coverage for deposits.
- (vi) **Membership of SCARDBs in CIBIL and Other Credit Information Companies** - Presently SCARDBs are not included in the list of Credit Institutions, which are mandated to become members of Credit Information Companies under Section 2(f) of Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005. Exclusion of SCARDBs from the membership of Credit

Information Companies also results in exclusion of credit history of about 47 lakh rural households, who have outstanding loans of about ₹23,500 crores with ARDBs in deciding their credit score. Consequently, even wilful defaulters of ARDBs can easily avail loans from other institutions based on the credit score given to them by CIBIL or other Credit Information Companies, which do not reflect their credit history with ARDBs. Membership of SCARDBs in Credit Information Companies therefore, is necessary to make the credit score given by Credit Information Companies to such borrowers of ARDBs more accurate and reliable. It will also help ARDBs to bring down wilful default in repayment of loans significantly. It is seen that though SCARDBs are not specifically mentioned in the definition of Credit Institutions under Section 2(f) of Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005, Section 2 (f)(vii) empowers Reserve Bank of India to include "any other institution, which the Reserve Bank may specify from time to time for the purposes of this clause". The Federation, on the above background represented to Reserve Bank of India to consider including SCARDBs in the list of Credit Institutions mandated to be admitted as members of Credit Information Companies in exercise of its powers under Section 2(f)(vii) of Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005.

- (vii) **Study on Reforms, Restructuring and Innovations in ARDBs** – Ministry of Cooperation has undertaken a Study on Reforms, Restructuring and Innovations in ARDBs through NABCONS of NABARD. The Study Report exhaustively covers all the issues in the sector and made recommendations to address them. The Ministry of Cooperation has circulated the Report to State Governments for remarks. The action plan with timeline for implementing the recommendations of the Study Group is expected to be finalised after submission of remarks by State Governments.

- (viii) ARDBs are the oldest term lending institutions in the country having more than 100 years'

experience in financing farm infrastructure. However, Agri Infrastructure Fund Scheme which provides the benefits of interest subvention and credit guarantee support to farmers is not extended to ARDBs. Steps may be taken to extend the Agri Infrastructure Fund to SCARDBs.

(ix) Reforms in the refinance policies of NABARD -

Waiving the condition of government guarantee/pledging fixed deposits, for giving refinance even in the case of SCARDBs in the low risk category, reversing the trend of continuous decline in yearly allocation of refinance to SCARDBs by tightening eligibility norms, making provision to support production credit/working capital needs of borrowers, broadening the purposes eligible for refinance to cover the diverse credit needs of rural households, sharing of risk in agricultural lending etc. are some of the reforms required in the refinance policies of NABARD concerning ARDBs. However, NABARD continues to remain non responsive to recommendations by various Committees in this regard including the latest study on 'Reforms, Restructuring and Innovations in ARDBs', instituted by the Ministry of Cooperation.

- The MoC convened a meeting on 23rd Dec. 2025, in which the recommendations in the study on 'Reforms, Restructuring and Innovations in ARDBs' undertaken by Ministry of Cooperation through NABCONS were discussed in detail. As proposed in the said meeting, the Federation submitted a comprehensive list of issues concerning NABARD's refinance to ARDBs, for consideration by Ministry of Cooperation and NABARD

UNION BUDGET 2026-27

The Union Budget 2026–27, presented by the Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman in the Lok Sabha on 1 February 2026, outlines the Government of India's fiscal roadmap for sustaining economic growth, strengthening infrastructure, and promoting inclusive

Reforms in the Refinance Policies recommended in the NABCONS Report

- There has been a declining trend in the share of SCARDBs in the quantum of refinance disbursed by NABARD compared to other agencies, mainly due to the condition of government guarantee and stringent eligibility norms. The refinance policy of NABARD with regard to SCARDBs needs to be reviewed to address this issue.
- NABARD may consider giving a separate allocation under LTRCF exclusively for SCARDBs, to increase the share of low cost funds under LTRCF to ARDBs.
- NABARD needs to waive the condition of government guarantee for giving refinance to SCARDBs which are financially strong and falling in low risk category.
- NABARD may consider developing a refinance policy for STCCS for lending to ARDBs.
- Though ARDBs are financing NFS activities since the inception of NABARD the benefits under Agricultural Infrastructure Fund is not extended to SCARDBs and PCARDBs. NABARD may, therefore, consider extending Agricultural Infrastructure Fund Scheme to ARDBs also.
- A permanent structure, in the form of Business Planning and Recovery Cell, which can give focused attention, should be set up in each SCARDB with grant assistance from NABARD.
- Study team recommended NABARD to issue revised guidelines permitting SCARDBs to invest their surplus funds in debt mutual funds and money market mutual funds also for better returns as already permitted in the case of cooperative banks.

development. The budget seeks to balance high public investment with fiscal discipline, while supporting key sectors such as agriculture, manufacturing, MSMEs, and technology.

The total government expenditure is estimated at around ₹53.5 lakh crore, with a strong emphasis on capital expenditure of about ₹12.2 lakh crore to accelerate infrastructure development. Major investments have been planned in transport, logistics, railways, digital infrastructure, and energy sectors to enhance productivity and create employment opportunities. The government has also maintained a fiscal deficit target of about 4.3% of GDP, reflecting its commitment to fiscal consolidation.

Agriculture and rural development remain important priorities in the budget. Measures have been proposed to promote climate-resilient agriculture, digital farming, and allied activities such as animal husbandry and fisheries. Enhanced agricultural credit and investments in rural infrastructure are expected to support farmers' incomes and strengthen the rural economy.

The budget also focuses on strengthening the manufacturing sector through initiatives aimed at improving domestic production and reducing import dependence. Special emphasis has been placed on strategic sectors such as semiconductors, electronics, rare earth minerals, and biotechnology, which are critical for India's long-term industrial competitiveness.

Support for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) has been further strengthened through improved access to credit, simplified compliance mechanisms, and dedicated funds to promote entrepreneurship and innovation. These measures aim to enhance the role of MSMEs in employment generation and export growth.

In the area of taxation, the government has largely retained the existing income tax structure, while introducing measures to simplify tax compliance and improve ease of doing business. Efforts have also been made to rationalize certain tax provisions and encourage voluntary compliance.

The budget further emphasizes technology, innovation, and digital infrastructure, including investments in artificial intelligence, data infrastructure, and digital public platforms. Continued focus on skill development, education, healthcare, and social welfare programmes reflects the government's commitment to inclusive growth and human capital development.

The Budget also reflects the continued emphasis of strengthening the cooperative sector as an important pillar of inclusive growth and rural development through fiscal incentives and institutional support. The support announced this year includes extending tax deduction for primary cooperatives to more sectors, tax relief on inter cooperative dividend income to avoid double taxation within the cooperative sector and an allocation of ₹450 crore to National Cooperative Exports Ltd (NCEL) for strengthening agricultural exports and market access for farmers.

Overall, the Union Budget 2026-27 aims to sustain India's growth momentum by promoting infrastructure expansion, strengthening domestic manufacturing, supporting agriculture and MSMEs, and encouraging innovation, while maintaining fiscal stability. The budget is aligned with the government's long-term vision of achieving "Viksit Bharat" (Developed India) in the coming decades.

HIGHLIGHTS OF MAJOR DEVELOPMENTS/EVENTS DURING THE YEAR

Business Development Plans of SCARDBs

The Federation in 2022 prepared Business Development Plan for LTCCS with State-wise yearly targets for the period 2022-23 to 2027-28 and milestone targets for every 5 years thereafter till 2047-48. Subsequently, the study conducted by IRMA also made projections for business growth during Amrit Kaal with separate targets for lending, borrowing

membership, NPA reduction etc.

Based on the bank-wise projections in the Business Development Plan prepared by the Federation in consultation with member banks and projections made in IRMA study and the performance during the year 2025-26, SCARDBs have been advised to prepare their annual business plan for the year 2026-27.

Lending

While the growth targets for lending projected in the BDP prepared by the Federation was about 20% per year, IRMA study suggested 13.6% annual growth in lending taking into account the Financial, HR and Infrastructural capabilities of SCARDBs.

It is seen that the annual lending during 2025-26 was 18.35% higher than the previous year with 2 banks i.e. Uttar Pradesh and Himachal Pradesh performing significantly below par.

A target of 15 to 18% growth in total annual lending during the year 2026-27 is therefore considered realistic with sub-targets for (i) Growth in borrowing membership, (ii) Extending credit limit for meeting short term credit needs of long term borrowers who are regular in repayment and in new loans during the year, (iii) Targets for short term lending including Gold Loan and (iv) Non fund based businesses like income from insurance services, providing safe deposit lockers, undertaking multi-services activities etc.

Deposit Mobilisation

Business diversification by ARDBs is directly related to growth in deposits. Deposits mobilisation needs to be augmented to finance short term products like Gold loan, credit limit to long term borrowers etc. Overall growth in deposits during the period was impressive at 17.50% with Gujarat registering the highest growth rate of 54.23% followed by Tamil Nadu 32.69%, Himachal Pradesh with 24.86% and Kerala 18.70%.

All deposit taking SCARDBs need to ensure minimum 10% yearly growth in deposits outstanding to meet redemption demand from new deposits instead of relying on reserves and reasonable growth in loans funded by deposits. Rajasthan and Haryana are the 2 major banks which are not mobilizing deposits at present. Similarly, Uttar Pradesh appears to be in the process of closing down the deposit mobilisation programme by not accepting fresh deposits. While Uttar Pradesh SGVB needs to make fresh efforts to augment deposits. Rajasthan and Haryana should start accepting deposits from this year, as ARDBs have huge untapped potential for raising deposits from rural

sector and that deposits are the only reliable source of funding for business diversification and expansion, especially in introducing short term loan products.

NPAs

Overall NPA position remains at 37% as in the last year. While Gujarat, Haryana, Rajasthan and Pondicherry could not bring down Gross NPAs, Punjab, Tripura and Himachal Pradesh reported increase in Gross NPAs during the year. Of major banks, Kerala continued to maintain Gross NPAs at a moderate level of 13.21% as on 31.3.2026, inspite of increase in the percentage by 0.18% during the year. SCARDBs have been advised to set a target of minimum 5% reduction annually to bring down Gross NPAs below 10% in a time frame of 5 years.

Computerisation of ARDBs under Centrally Sponsored Project of 'Strengthening of Cooperatives through IT Interventions'

The Government of India vide communication dt. 6th October 2023, announced implementation of the Centrally Sponsored Project of "Strengthening of Cooperatives through IT Interventions" with separate components for computerisation of ARDBs and Development of digital portal and computerisation of offices of Registrar of Cooperative Societies and UTs.

Introduction

- The Scheme involves computerisation of 1851 operational units of LTCCS as below:

Head Office of SCARDBs	:	13
Controlling/Supervising Offices of SCARDBs	:	126
Branches of SCARDBs	:	619
PCARDBs	:	606
Branches of PCARDBs	:	487
Total		1851

◆ Outlay of Components of the Scheme

- Hardware units – 4127@ ₹1.53 lakhs each
- Digitisation – ₹24.03 crores
- Support System – ₹16.80 crores
- Customisation of Software – ₹15.51 crores

Total Outlay – ₹119.40 crores

- The implementation of the scheme which was originally scheduled to be completed during 2025-26 has now been extended till March 2027.
- Out of 13 fully functional SCARDBs the scheme is currently implemented in 10 banks excluding Kerala, West Bengal and Jammu & Kashmir SCARDBs. While a State Govt funded Computerisation scheme is nearing completion in West Bengal, Kerala is yet to commence implementation for want of State Govt approval.
- Even though Jammu & Kashmir SCARDB is also included in this scheme, implementation of the scheme has not been started as the state government is considering liquidation of the bank due to huge accumulated losses.

Software

The scheme envisaged using Common software developed for computerization of PACS by ARDBs also with required changes. The Intellect Informatics Pvt. Ltd., Hyderabad, which developed Common software for PACS was engaged by NABARD for customization as per the requirements of ARDBs. However, Intellect Informatics could not make much progress in finalizing Software, even after 2 years. Govt of India has recently cancelled the contract given to Intellect Informatics and constituted a Committee consisting of representatives of Govt of India, select State govts, NABARD, Federation and NIC to recommend available options to finalise a new Vendor for developing Common Software. It is expected that the new vendor will be finalized soon based on the report of the Committee submitted to Govt of India.

Formulating Draft State Act and Common Byelaws for SCARDB and PCARDBs

The original design of LTCCS as a non-resource based lender of a single product, over the years have put severe restrictions in diversifying their business according to changing needs of members and in raising resources to meet their credit needs adequately. Though various Committees related to Rural Credit appointed by Reserve Bank of India and

Govt of India in the past, examined the structural deficiencies and systemic gaps in LTCCS and recommended corrective measures, these issues remain unresolved even today in the absence of further actions on such recommendations, especially at the level of State Govts. The most recent study on LTCCS 'Reforms, Restructuring and Innovations in ARDBs' undertaken by the Ministry of Cooperation through NABCONS once again brought these issues to focus.

The study team has made as many as 51 recommendations to reform the legal and policy framework of LTCCS to facilitate augmenting resources for lending, diversifying and expanding business to meet the growing credit needs of rural sector and to maintain sustainable business levels by institutions in the structure across states. The modified report of the study also contains a proposal for restructuring of ARDBs involving merger of viable units with State Cooperative Banks/District Central Cooperative Banks and liquidation of unviable units. However, Federation has represented Ministry of Cooperation and NABARD to take steps to implement the reforms recommended in the study report, which is expected to help the structure as a whole to attain sustainable viability within a timeline of 3 to 5 years.

The study report underlines the need of amending State laws concerning LTCCS and has listed essential Clauses to be included in the ARDB Acts in various States in Annexure-24 of the report.

The Ministry of Cooperation is of the view that the Model Byelaws of ARDBs may be prepared on the lines of Model Byelaws of PACS.

Some of the States have amended their Acts to include some of the above provisions while no State Act fully conforms to these requirements.

The Federation on the above background, proposed to undertake a Project with the objective of identifying specific areas/clauses in the State Act/Laws relating to ARDBs in various States and to formulate Model Byelaws for SCARDBs and PCARDBs based on amended Acts.

As approved by the Board in its Meeting on 22nd July 2025, the Federation initiated the Project for preparing State-wise amendments required in State ARDB Acts and formulation of Model Byelaws of SCARDBs and

PCARDBs by a team of experts headed by Shri Arvind Kumar Srivastava, General Manager, NABARD (Retd.). The team also includes Shri R.K. Srivastava, Chief General Manager, NABARD (Retd.).

MODEL BYE-LAWS – PCARDBs

HIGHLIGHTS

Introduction and Definitions

Name, Address and Area of operation

Website and Email

The term 'Gehan' is introduced and defined as a special charge on movable property in favour of ARDB by a mere declaration in writing by the borrowers executed before the concerned officer of the bank for securing the payment of money advanced/to be advanced by way of loan, which will have all the characteristics of a valid mortgage.

Objectives and Activities

All functions and activities in the Model Byelaws of PACS included as additional activities, including short term loans, for production/working capital, personal and consumption purposes.

Loans for developing backward and forward linkages for produce of agriculture and its allied activities (Agriculture value chain financing).

Collaboration with local bodies/Govts/Universities/Societies/Companies for the benefit of members

Objectives also include promoting values and principles of cooperatives

- Focus on and encourage the inclusion of youths and women
- Fulfilling objectives of National Cooperation Policy 2025

Membership

- Membership opened additionally to SHGs, JLGs
- Minimum shareholding of ₹1000/-, fee for commercial membership of ₹500/-
- Disqualification of members
- Active Membership – Minimum services
- Minimum deposit amount of ₹5000/-

- Minimum interest payment of ₹5000/-
- availing services with ₹2000/-
- Purchase of good with ₹5000/-

Voting rights

- No voting right to members who continue to be a defaulter after 45 days notice.
- Senior citizens and person with disabilities affecting their movements and duly certified by a doctor from a Govt hospital may be given the facility of postal ballot.

Borrowing Power

- 25 times of net worth.
- PCARDB to deposit minimum 30% of loans deposits with the SCARDB.

Loans and Advances

- Include short term, medium term and long term

General Body

Meetings

- Annual General Meeting
- Special General Body Meeting
- Requisitioned General Body Meeting

Quorum

- 1/4th of total members, subject to a minimum as provided in the Act and Rules.
- Adjournment of meeting for want of quorum and reconvening the adjourned meeting after one hour on the same day or on any other date before the statutory deadline for holding the meeting in case of Annual General Meeting.

Management Committee

- Grounds for disqualification
- Reservation of seats for women and persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

- Co-option of maximum 2 persons in the Management Committee with professionally experience relevant to ARDBs.
- The term of office shall be fixed as 5 years.
- Filling up casual vacancies by election, if the remaining term is more than half of the original term.

Meetings of the Management Committee

- Minimum six meetings in a year.
- 7 days notice
- Quorum 50% of the total members or 6 members, whichever is more.
- Office bearers elected by the Management Committee.
- Grounds for Cessation of Membership on Management Committee.
- Powers and Duties of Management Committee

President and his powers

Chief Executive Officer and his duties

- Opening of Branches to be decided by the Management Committee, subject to norms finalized for the purpose.
- The services other than credit can be offered to non-members on payment of charges fixed for the same.

Internal Control

- Annual Accounts to be finalized within 30 days of the closure of the financial year.
- Accounting system prescribed by RCS/SCARDB to follow.
- Books of Accounts to be maintained.
- List of Books and Registers to be maintained.
- CEO to be the custodian of all records.
- Inspection and Internal Audit Department for inspecting an internal Audit of branches of PCARDBs.
- Provision to outsource the working relating to internal Audit, pre-Audit and concurrent Audit.

Amalgamation and Division

- Liability, Transfer, Division and Amalgamation/ Merger
- Division into 2 or more PCARDBs

- Provision to merge with SCARDB, another PCARDB or a DCCB.

Affiliation and Membership

- Mandatory affiliation with SCARDB
- Provision to affiliate with DCCB
- Provision to affiliate with Cooperative Union.
- Provision to affiliate with National Sectoral Federation.

Promotion of Subsidiary Organisation

- In furtherance of stated objectives of the PCARDB

Customer Protection and Disputes

- PCARDB to adopt the comprehensive scheme of complaint/grievance redressal with a dedicated nodal officer to attend to grievances.

Security for Loans

The loans issued to members shall be secured by one or more of the following.

- Mortgage of land and/or other fixed assets.
- Lien on Fixed deposits.
- Deposits of gold/gold ornaments.
- Insurance Policies
- Third party guarantee
- Hypothecation of assets
- Mutual guarantee in group lending through JLGs/FPOs etc.

Liquidation

Proposal for common arrangement for extending

Insurance Services to Borrowers of Member Banks

- The Board of the Federation in its meeting on 29th January 2026 considered a proposal to make arrangements at national level to facilitate Insurance services to members/clients of member banks.
- The Board observed that member banks as part of lending activities generate substantial demand for insurance products to insure the assets financed, which is mandatory during the tenure of the loan in most cases. The Board felt that a common arrangement at national level to facilitate insurance service to borrowers will be

beneficial to borrowers by obtaining competitive rates from multiple insurance companies.

- It will also be an additional source of income for financing banks as insurance companies share a portion of the premium amount with the broking firm which varies from 10-20% from General Insurance depending on the type of product and upto 30% in the case of Life Insurance products.
- The Board is expected to take a final decision on the subject shortly.

Constitution of Task Force to Holistically Examine the Challenges Faced by Cooperative Credit Institutions

The National Cooperation Policy 2025 has recommended formation of Task Force to holistically examine challenges faced by cooperative credit institutions and suggest measures to address these challenges including issues of long term credit and recommended to increase deposits of StCBs & DCCBs etc.

The composition of the Task Force is, as below.

Dy. Managing Director, NABARD	: Chairman
Managing Director, NAFSCOB	: Member
Managing Director, NAFCARD	: Member
Director, Cooperative Banking, MoC	: Member
General Manager & Dy. General Manager, NABARD HO concerned with the subject	: Member Secretary

It was also mentioned that the Task Force may invite officials/representatives from the following institutions for discussions on specific subjects.

- State Cooperative Departments
- State Cooperative Banks (StCBs)
- District Central Cooperative Banks (DCCBs)
- Agricultural & Rural Development Banks (ARDBs)
- Primary Agriculture Credit Societies (PACS)

The following are the Terms of Reference for the Task Force.

- To examine the structure, functioning and various challenges faced by cooperative credit institutions (StCB, DCCB, PACS, ARDB), in areas of governance, technology, business and human resource.
- To examine the recommendations of various committees on strengthening/ reorganization of different credit cooperative institutions.
- To recommend strategies, comprehensive action plan and roadmap with timelines and milestones for holistic development and strengthening of cooperative credit institutions covering governance, technology, business, human resources and outreach.
- To suggest legal and institutional changes required to foster a more democratic and self-reliant cooperative sector.
- To outline role of various stakeholders like RBI, NABARD, NCDC, NDDDB, State Governments, and other Cooperative institutions in strengthening the credit cooperative institutions.
- To recommend a review and monitoring mechanism for tracking the progress of recommended actions/ strategies of the task force including development of MIS and dashboards.
- To assess the financial implications of the various proposed remedial strategies and actions for strengthening the credit cooperative institutions.

The Task Force is given an initial term of 2 years with quarterly and annual reports.

Nomination to NCDC and ICA (AP) Credit and Banking

- Shri Dolar Kotecha, Chairman continues to be nominated as Member of NCDC General Council during the year (under Section 3(4)(xvii) of NCDC Act)
- Shri K.K. Ravindran, Managing Director was elected Chairman of ICA-AP Committee on Credit and Banking in the Regional Assembly of ICA-AP held in Colombo in November 2025.

INTERNATIONAL YEAR OF COOPERATIVES (IYC) 2025 – ACTIVITIES DURING 2025-26

(1) IYC 2025 Seminar on ‘Cooperatives Build a Better World’

Federation conducted its first IYC 2025 Seminar on ‘Cooperatives Build a Better World’ on 27th March 2025 in Chennai, Tamil Nadu. The IYC 2025 background notes prepared by the Federation was released in the Seminar. Federation has launched a separate section on IYC in the Website nafcard.org (link: <https://nafcard.org/blog>). Federation and its Member Banks started using IYC 2025 Logo in letterheads, other stationery, on Event Posters etc.



(2) ICA-AP & NAFCARD's Cooperative Learning Program - International Exposure Visit

Federation organised an International Exposure Visit from 21st - 25th July 2025 under the ICA-AP Committee on Credit and Banking & NAFCARD's Cooperative Learning Program. It significantly enhanced participants' capacity to drive growth, innovation, and sustainability in their cooperative organizations. Gujarat SCARDB (Kheti Bank) hosted this Learning Program. The event was attended by 20 delegates from Indonesia, Jordan, Nepal, Sri Lanka, Vanuatu, and Palestine, strengthened global collaboration, knowledge exchange, and the vision of “Cooperation among Cooperatives” and “Sahkar Se Samridhi.” The visit of international participants laid a strong foundation for regional collaboration, knowledge transfer, and cooperative excellence. Delegates also took part in a tree plantation drive under the initiative “Ek Ped Maa Ke Naam.”



(3) Workshop on National Cooperation Policy 2025

Federation conducted a Workshop on 'National Cooperation Policy 2025' on 13th September 2025 at Shimla, Himachal Pradesh. Himachal Pradesh SCARDB hosted the event in conjunction with the IYC National Cooperative Conference organized by Govt of Himachal Pradesh along with all State level Federations in the State during 13th - 14th September 2025 at Shimla.



(4) 'Swachhata Hi Seva' (Swachhotsav) – 2025 and 'Ek Din, Ek Ghanta, Ek Saath: Nationwide Voluntary Shramdhaan'

As part of the Swachhata Hi Seva (SHS) – 2025 campaign initiated by the Ministry of Cooperation, the Federation organized a cleanliness drive in its office premises on 17th September 2025, under the leadership of Shri. K.K.Ravindran, Managing Director, NAFCARD. The staff members of NAFCARD and other occupants of BSEL Tech Park Cooperative Society along with the cleaning staff of the society actively participated in the SHS mission 2025 campaign.

Gujarat SCARDB organized a 'Ek Din,Ek Ghanta Ek Saath: Nationwide Voluntary Shramdhaan' on 25th September 2025 at Ahmedabad. Around 70 employees from banks' head office dedicated one hour of selfless service to clean the surrounding areas near the bank premises.



(5) Tree Plantation Drive 'Ek Ped Maa Ke Naam' Achievements

Agroforestry was being promoted as an important activity during IYC 2025 by the Federation. ARDBs promoted planting of trees by farmers financed by the bank, were encouraged and supported to undertake

tree planting along the boundaries of their agricultural fields. This activity was being undertaken on an ongoing program throughout the year.



State and venue	Number trees planted	Month of programme
Gujarat, Head Office	400 and 15000 saplings distributed	August 2024, 1 st May & 20 th June 2025
Gujarat, Branches	2300	1 st March & 05 th June 2025
Himachal Pradesh - RBI Mega Plantation Drive	800	October 2025
Punjab	2500	May, June , July, August, September, October 2025
Karnataka	8000	June 2025
West Bengal	75000	June 2025
Delhi	16000	June 2025

(6) Seminars conducted under the theme 'Sahkar Se Samriddhi'

Name of State	Number of Programs & Date	Themes covered	No. of participants
GUJARAT	25 March to October 2025	Seminars at State level on 'Cooperatives Build a Better World'	1100
		Hosted Exposure visit jointly organized by NAFCARD and ICA-AP Credit & Banking Committee.	20

Name of State	Number of Programs & Date	Themes covered	No. of Participants
PUNJAB	145 March to October 2025	3 Events on World Yoga Day	30
		2 Seminars on Sustainable Development	100
		30 IYC Induction & Scheme Awareness Seminars.	1300
		25 Seminars at division level on theme 'Cooperatives Build a Better World' / Digitalization	350
		Seminars at State level on 'Cooperatives Build a Better World' women and youth empowerment.	400
WEST BENGAL	75 March to October 2025	Awareness program of OTS – 50% for the total loan interest amount.	50
		IYC introduction & scheme awareness seminars.	1300
MEGHALAYA	2 June 2025	3 Seminars on "Sahakar Se Samrudhi" / Skill Development Programme	265
TRIPURA	3 March 2025	Seminar on Digitalization and Training on DCT	15
HIMACHAL PRADESH	10 May to October 2025	Seminars on OTS Scheme	50

(6) Other campaigns and activities by member banks under the theme, "Development of Cooperatives through the IYC 2025."

- Youth Awareness Drives, Essay Competitions & Outreach Activities
- Workshops, Exhibitions, Seminars & Capacity Building Programmes
- Walkathons, Rallies & Public Mobilization Drive
- Skill Development, Farmer Centric conferences
- Women Empowerment & Financial Inclusion Initiatives
- Media Publicity & Social Media Campaigns
- Swachhata mein Sahkar Initiatives – 'Swachhata Hi Seva 2025'
- Tree Plantation Drives under 'Ek Ped Maa Ke Naam'
- Awareness Building in communities through street plays
- Photo exhibition showcasing global cooperative impact
- Membership workshops to strengthen local societies
- Publishing success stories of cooperative achievements
- Health camps promoting cooperative-led health initiatives

PLANNING, RESEARCH AND DEVELOPMENT (PRD) CELL ACTIVITIES DURING 2025-26

(A) Conferences, Training Programmes, Workshops, Seminars & Studies

1) Meeting to discuss on important developments in the sector requiring action by member banks and Federation

The Federation organized a Meeting with member banks on 28th May 2025 to discuss on important developments in the sector requiring action by member banks and Federation. Shri Dolar Kotecha, Chairman, NAFCARD presided over the Meeting. The meeting was attended by Chairmen, CEOs and concerned Senior Officers represented by 13 member banks. The meeting discussed on the following important points requiring action by member banks and the Federation.

- (1) To send to the Federation English Version of Act/Rules, Byelaws of the SCARDB with up-to-date amendments and Byelaws of any 3 PCARDBs in the State for identifying areas/clauses in the Act requiring amendments and to formulate model byelaws for SCARDBs and PCARDBs.
- (2) Each bank to designate an Officer as Social Media Coordinator and to initiate a campaign to enroll all staff working in the SCARDBs and PCARDBs/Branches as well as Directors of SCARDBs and PCARDBs and active members of ARDBs as subscribers in the Social Media Accounts of the Federation.
- (3) To take steps to publish Monthly e-Newsletter in local language which should also include important content of Federation's Monthly Newsletter.
- (4) To revive Staff Training Centres by all SCARDBs with accreditation by C-PEC of BIRD for getting financial assistance of NABARD.
- (5) SCARDBs to approach State Cooperative Banks concerned for line of credit at comparable interest

rates paid by SCBs on deposits of SCARDBs with the SCB.

- (6) To expedite implementation of Computerization scheme, particularly procurement of hardware.
- (7) Formulating Action Plan to attain sustainable viability within a timeline of 3 to 5 years by achieving substantial growth in lending, deposit mobilisation, loan recovery and NPA reduction.

2) Workshop on National Cooperation Policy 2025

The Government of India, Ministry of Cooperation finalised and announced the National Cooperation Policy 2025 on 24th July 2025 based on the report submitted by a 48 Member National Level Drafting Committee appointed by the Government of India in September 2022. The National Cooperation Policy 2025 consists of a statement of Vision, Mission, six Mission Pillars with 16 objectives to be achieved in the next 10 years and the strategies to achieve each of these objectives.

The National Cooperation Policy 2025 makes a special reference to the challenges faced by ARDBs and the plan to set up task force to address these challenges including issues of Long Term Credit.

The Federation on the above background organized the Workshop on National Cooperation Policy 2025 on 13th September 2025 at Shimla, Himachal Pradesh. The workshop was attended by the Board Members and Special Invitees represented by 12 member banks.

The Workshop decided to initiate required action at the level of Federation on the following points in the Policy relating to ARDBs and general points relevant to LTCCS.

- 3.2.8 Promote the cooperative credit structure, in addition to ARDBs, for dispensing long-term credit.

- 3.2.9 To constitute Task Force to holistically examine the challenges faced by Cooperative Credit Institutions including ARDBs.
- 5.2.9 Developing key performance indicators to evaluate the performance of member banks.
- 6.1.5 Strengthening members of primary cooperative societies by national federations through member education / sensitization, developing entrepreneurial skills and enhancing income levels.
- 6.2.2 Advocacy about benefits of cooperatives among younger generation, particularly women and weaker sections.

3) Webinar on 'Business Growth by ARDBs during Amrit Kaal'

Viable functioning through business diversification and expansion has become the most important challenge for ARDBs to maintain sustainability and to retain their separate identity in the rural credit system. There has been substantial reduction in the market share of ARDBs in long term lending from about 18% in 1999 to less than 1% in 2024. This has led to the recent move of GOI and NABARD proposing restructuring of ARDBs involving merger of viable units with STCCS and liquidation of unviable units (units with accumulated losses). Though State Governments and SCARDBs in most of the States have not accepted the restructuring proposal for the time being, the survival of institutions in the structure in the long run cannot be guaranteed unless they achieve substantial growth in their business and market share.

The Institute of Rural Management (IRMA), Anand has recently undertaken a study on Business Expansion by ARDBs, which was sponsored by the Ministry of Cooperation. The IRMA study team made a detailed assessment of the potential of ARDBs for business growth in various States and made year wise business projections during Amrit Kaal. According to the

projections made by IRMA, the annual lending by ARDBs will grow from ₹5768 crores in 2022-23 to ₹116464 crores in 2047-48 at ground level and from ₹5270 crores in 2022-23 to ₹1.06 lakh crores in 2047-48 at apex level. The business growth projections cover targets for NPA reduction, yearly growth in loan accounts and mobilization of resources for lending.

The Federation on the above background organized an online Seminar on Business Growth by ARDBs during Amrit Kaal on 17th November 2025. The meeting was chaired by Shri Dolar Kotecha, Chairman. The Theme Presentation was made by Dr. Indranil De, Professor, IRMA, who was heading the IRMA study team on Business Growth by ARDBs during Amrit Kaal.

Presentation by Prof. Indranil De, IRMA

Prof. Indranil De presented the highlights of the report, which included State-wise projected yearly targets for business growth.

- 1) Good practices in various States
- 2) Challenges faced by ARDBs
- 3) Suggestions for improvement
- 4) Recommendations for NAFCARD and further strategy

The Seminar made the following recommendations.

- 1) SCARDBs to fix their yearly targets for lending, resource mobilisation & NPA reduction based on the projections in the IRMA study, which is quite realistic.
- 2) ARDBs at State and Primary levels to consider and replicate good practices listed in the study, which are summarized in the presentation in the areas of repayment and NPA management, efficient operations, offering diversified loan products, increasing revenue and training & human resource management.

It was also decided to initiate action by the Federation to implement the following recommendations concerning NAFCARD.

- Providing training/ensuring arrangements for training through Staff Training Centres/NCCT/Tribhuvan Sahkari University for capacity building of staff in the areas of investment management, customer interaction, usage of new software, appraisal and follow-up of long term loans etc.
- Formulating Model Code of conduct for Board of Directors of SCARDBs and PCARDBs.
- Exploring alternative funding sources.
- Membership of ARDBs in Credit Information Companies.
- Appeal to State Govts for providing timely government guarantee and waiving/ fixing government guarantee, taking up with the Government for extending KCC loans including crop loans with interest subvention.
- The Seminar also recommended SCARDBs and Federation to document and circulate best practices in LTCCS though out the country for the benefit of all ARDBs.

(B) Core Group for Reform Initiatives (CGRI)

Core Group for Reform Initiatives (CGRI) constituted by SCARDBs continue to have regular meetings in most of the banks. CGRI has been concentrating on deepening of self-driven reforms at the ground level. CGRI also reviews the impact of reforms already initiated in the core areas of new avenues of mobilising resources, introduction of new products, identifying critical areas and taking corrective actions to improve the rating of SCARDBs, preparation of manuals on functional areas with a view to evolve consistent policies and well documented procedure specifying authority and accountability at various levels as well as recovery and NPA management.

(C) Social Media Engagement and Outreach Action Plan

The Federation started Social Media Accounts in 2023 for knowledge dissemination and business promotion by member banks. The links to these accounts are as below:

1. Facebook Account

Name - nafcard.coop

Username - NAFCARD.COOP

Profile URL -

<https://www.facebook.com/NAFCARD.COOP>

2. Instagram Account

Name - NAFCARD.COOP

Username - nafcard.coop

Profile URL -

<https://www.instagram.com/nafcard.coop>

3. YouTube Account

Name - NAFCARD WORLD

Username - @nafcard_world

Profile URL -

https://www.youtube.com/@nafcard_world.

The Federation has recently finalised the Social Media engagement and Outreach Action Plan based on guidelines issued by the Ministry of Cooperation. The Action Plan includes constitution of Social Media team at Federation's office headed by Chief Director supported by one Senior Assistant and Social Media Coordinator in all SCARDBs. SCARDBs have since nominated one of their senior Officers in the Head Office as Social Media Coordinator, to join this team. The team will have weekly interaction online to review progress of outreach and decide on weekly actions. The Social Media Coordinator at State level are also assigned the work of sending weekly reports on news and activities at state level with focus on business promotion activities of the Bank. The outreach of Federation's Social Media accounts has reached a level of 12000 to 14000 viewership, which however is inadequate for a sector with a strength of about 50000

official and non-official functionaries at various levels and more than 100 lakh membership at ground level. On the above background, the action plan includes special efforts by the SCARDBs and PCARDBs to enroll the entire staff, Directors of SCARDBs and PCARDBs as well as members at ground level as much as possible in the social media platforms of the Federation.

(D) Publications

Land Bank Journal (Quarterly)

Federation publishes Land Bank Journal (Quarterly Edition) since 1962. From September 2025, Federation has resumed publishing the Land Bank Journal. Journal publishes research articles and news on Agriculture Rural Credit and Cooperation. We also cover important events in the sector and reports on activities of member banks in the publication. Federation news, International /ICA news are other sections covered in the Journal.

Land Bank Journal Monthly Newsletter

Federation started publishing Land Bank Journal (LBJ) - Monthly Newsletter since 1st April 2023 and has published the same for all the 12 months during the year (Volume 3, Issues – I to XII). The LBJ Newsletter is also published as an e-letter in addition to the printed version. The total circulation during 2025-26 of the

newsletter has now reached circulation of 5000 subscribers by the end of the year. The newsletter covers important events in the sector and also reports on activities of member banks as well as news on important events in the cooperative sector at national level which also covers the programmes and initiatives by Ministry of Cooperation.

Annual Statistical Bulletin

Collection and compilation of statistics relating to member banks' operations and publication of Annual Statistical Bulletin is also undertaken by the Cell. Federation is trying to make this important publication up to date by streamlining the reporting system in order to remove the delay in getting ground level data. The Annual Statistical Bulletin for the year 2023-24 is published and circulated. The Annual Statistical Bulletin for the year 2024-25 is being released soon.

Monthly Progress Report of ARDBs

Federation collects and compiles data on member banks' key operations on a monthly basis for review at its level and reporting to Govt of India. Loans Disbursements, Recovery Performance, Borrowings and Deposit Mobilisation are the main areas covered in the monthly progress report. The Monthly Progress Reports for the months from February 2025 to January 2026 are circulated.

AFFILIATIONS

At National level

- (a) National Cooperative Union of India (NCUI)
- (b) Cooperative Bank of India (COBI)
- (c) National Film and Fine Arts Cooperatives Ltd. (NAFFAC)
- (d) National Cooperative Development Corporation (NCDC)
- (e) Centre for International Cooperation and Training in Agricultural Banking (CICTAB)

Federation is also holding associate membership with the following organizations.

- Indian Merchants Chamber (IMC)
- Indian Banks' Association (IBA)
- Indian Society for Studies in Cooperation (ISSC)
- Indian Tourism Cooperative Ltd. (ITC)

At International level

- International Cooperative Alliance (ICA)
- International Raiffeisen Union (IRU)

MANAGEMENT OF THE FEDERATION

General Body

The General Body consists of members of the Federation, represented by the Delegates nominated by the Board of Directors of the respective bank.

Following is the list of members of the Federation.

1. Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Guwahati.
2. The Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd. (Bihar- Jharkhand), Patna.
3. Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Ahmedabad.
4. Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Panchkula.
5. Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Shimla.
6. Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Srinagar.
7. Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Bangalore.
8. Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Thiruvananthapuram.
9. Odisha State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Bhubaneswar.
10. Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd., Puducherry.
11. Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd., Chandigarh.
12. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd., Jaipur.
13. Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Chennai.
14. Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Agartala.
15. Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd., Lucknow.
16. West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Kolkata.
17. Delhi State Cooperative Bank Ltd., New Delhi.
18. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd., Shillong.
19. Telangana State Co-operative Apex Bank Ltd., Hyderabad.

Board of Management

As per Byelaw No.20 (i to v), The Board of Management of the Federation shall consist of:

- (i) One representative each of eligible members subject to a maximum of 20;
- (ii) One nominee of Central Govt. subject to provisions under section 48 of the Act;
- (iii) Maximum 2 persons having experience in the field of management, cooperative management and finance or specialization in any other field relating to objects and activities undertaken by the Federation, co-opted by the Board who shall not have the right to vote in any election of office bearers or be eligible to be elected as office bearers;
- (iv) Managing Director shall be the ex-officio member of the Board;
- (v) Functional Directors of the Federation shall also be members of the Board who shall be excluded for the purpose of counting the number of Directors.

Board of Management :- Position as on 31.03.2026

Sr.No.	Name of Board Member	Member Bank representing
1.	Shri Dolar Kotecha Chairman	Gujarat State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
2.	Dr. Moinul Hassan Vice Chairman	West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd
3.	Shri Pawan Kumar Tinu Vice Chairman	Punjab State Coop. Agricultural Development Bank Ltd.
4.	Dr. Bijender Singh	Delhi State Cooperative Bank Ltd.
5.	Shri Bijay Kumar Singh	Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd (Bihar-Jharkhand)
6.	Shri Dalip Singh Yadav	Haryana State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
7.	Shri W.K. Kyndiah	Meghalaya Cooperative Apex Bank Ltd.
8.	Shri Sanjay Singh Chauhan	Himachal Pradesh State Cooperative Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.
9.	Capt. (Dr.) K. Rajendra, IAS	Karnataka State Co-operative Agri. & Rural Dev. Bank Ltd.
10.	Dr. A.D. Baskaran	Tamil Nadu Co-operative State Agri. & Rural Development Bank Ltd.
11.	Shri Jitendra Prasad	Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.
12.	Shri K.K. Ravindran	Managing Director, NAFCARD

Executive Committee

As per Byelaw No.26(a), Executive Committee shall consist of Chairman, 4 Vice Chairmen, Managing Director and 5 Board members elected by the Board.

- (1) **Shri Dolar Kotecha**, Chairman, (Gujarat State Coop. Agriculture & Rural Development Bank Ltd.)
- (2) **Dr. Moinul Hassan**, Vice Chairman, (West Bengal State Cooperative Agri. & Rural Dev. Bank Ltd.)
- (3) **Shri Pawan Kumar Tinu**, Vice Chairman, (Punjab State Cooperative Agricultural Dev. Bank Ltd.)
- (4) **Dr. Bijender Singh**, (Delhi State Co-op. Bank Ltd.)
- (5) **Shri Sanjay Singh Chauhan**, (Himachal Pradesh State Cooperative Agri. & Rural Dev. Bank Ltd.)
- (6) **Shri Waibha K. Kyndiah**, (Meghalaya Cooperative Apex Bank Ltd.)
- (7) **Shri K.K. Ravindran**, Managing Director, NAFCARD

Administrative Committee

As per Byelaw No.27(a), the Administrative Committee consists of Chairman, 4 Vice Chairmen and the Managing Director. Following are the members of Administrative Committee as of 31/3/2026.

- (1) **Shri Dolar Kotecha**, Chairman
- (2) **Dr. Moinul Hassan**, Vice Chairman
- (3) **Shri Pawan Kumar Tinu**, Vice Chairman
- (4) **Shri K.K. Ravindran**, Managing Director

Meeting of General Body and Board during the financial year 2025-26

The Meetings of the General Body and Board during the year under report with dates and venues are listed below:

Meetings	Place	Date
(a) Annual General Meeting	New Delhi	22 July 2025
(b) Board of Management		
179 th Board	New Delhi	22 July 2025
180 th Board	Shimla, (Himachal Pradesh)	13 September 2025
181 st Board	Mumbai	29 January 2026
182 nd Board	Online (Google)	25 March 2026

Important issues discussed in Board Meetings

The Board Meetings continued to be the main forum for discussing the policy and operational issues related to rural credit apart from reviewing the operations of member banks.

During the year under report, the Board, besides discussing regular items related to business operations of member banks and periodical review of performance under NABARD refinance, advances, recovery etc. also considered and discussed the following subjects in its meetings.

- 1) Recommendations of the study on 'Reforms, Restructuring and Innovations in ARDBs'
- 2) Action initiated by the Federation on the recommendations in the study report on 'Reforms, Restructuring and Innovations in ARDBs'
- 3) Model Policy for engaging Agents/Business Correspondents (BCs) by ARDBs.
- 4) Shared Services Entity for Rural Cooperative Credit Structure.
- 5) IRMA Study Report on Business Growth in LTCCS during Amrit Kaal and Compliance of Section 24 of MSCS Act, 2002.
- 6) Compliance with Rule 35A of the MSCS Rules 2002.
- 7) Operationalisation of "Tribhuvan Sahakari University.
- 8) Subjects forwarded by member banks for inclusion in the Agenda.
- 9) Membership of SCARDBs in Credit Information Companies.
- 10) Remarks of State Governments on NABCONS study Report called by Ministry of Cooperation, GOI.
- 11) National Cooperation Policy 2025.
- 12) IYC Upcoming Activities.
- 13) IYC-2025 Performance Awards.
- 14) Planting Trees along the Boundaries of Agricultural Fields.
- 15) ICA-AP Regional Assembly and related Events from 24 to 28 November 2025 in Sri Lanka.
- 16) Meeting convened by Ministry of Cooperation under the Chairmanship of Additional Secretary to discuss issues concerning ARDBs.
- 17) Comprehensive list of issues relating to NABARD's refinance taken up with NABARD through Ministry of Cooperation.
- 18) Updates on activities of the Federation and Appeal for support.
- 19) Constitution of Task Force to holistically examine the challenges faced by Cooperative Credit Institutions.
- 20) Proposal for setting up Subsidiary Organisation to extend support services to borrowers of member banks.
- 21) Support given by State Government to ARDBs for Loan recovery.
- 22) Presentation of Performance Awards to SCARDBs and PCARDBs.
- 23) Dissemination of PESB decision permitting applicants from National and State level cooperative Federations for Board level posts in Central Public Sector Enterprises (CPSEs).
- 24) Monitoring and review of state and district level Federations.
- 25) Promotion of cooperative education through Scholarships for students pursuing Cooperative Courses.
- 26) Implementation of recommendations of the National Cooperation Policy 2025.
- 27) Draft Model Act and Common Byelaws for SCARDB and PCARDBs – Highlights.
- 28) Joint Venture by the Federation and member banks for extending Insurance services – Concept Note.
- 29) Centrally sponsored scheme for Computerization of ARDBs – State wise status of implementation.
- 30) Follow-up with state government on NABCONS study report on 'Reforms, Restructuring and Innovations in ARDBs'.
- 31) Amendment in the second schedule of the MSCS Act, 2002 (39 of 2002) – Change of Name of the Federation.
- 32) Review of Performance by fully functional SCARDBs under Key Operational Areas during 2025-26 (April 2025 – January 2026).

FINANCE AND ACCOUNTS

The summary of Assets and Liabilities and Income & Expenditure Accounts for the year 2025-26 are given below:

ASSETS AND LIABILITIES

(₹ in Lakhs)

Sr.No.	LIABILITIES	As on		Sr.No.	ASSETS	As on	
		31.3.2026	31.3.2025			31.3.2026	31.3.2025
1.	Reserves & Other Funds	2295.47	2370.82	1.	Cash & Bank Balances	26.49	0.66
2.	Secured Loans	515.45	562.22	2.	Investments	2595.11	2832.62
3.	Other Liabilities & Provisions	168.29	282.61	3.	Fixed Assets	172.37	173.74
4.	Surplus transferred from Income & Exp.A/C	3.11	20.15	4.	Sundry Debtors & Receivables	165.50	170.41
				5.	Loans & Advances	3.03	3.87
				6.	Sundry Deposits & Prepaid Exps.	5.21	4.92
				7.	Income Tax (Advance Tax & TDS Receivable & GST Credit)	14.61	49.58
	TOTAL	2982.32	3235.80		TOTAL	2982.32	3235.80

INCOME AND EXPENDITURE

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Amount	
	INCOME	2025-26	2024-25
1.	AMS , Additional contributions & Participation / Nomination fees from member banks	64.91	103.93
2.	Interest, Dividend & LT Capital Gains (MF)	116.66	426.36
3.	Grants from GOI (IRMA Study)	29.95	0.00
4.	Excess provision reversed/Prior Period Income/Provisions for BDDR	113.75	0.53
5.	Miscellaneous Incomes	13.07	12.15
	TOTAL (1 to 5)	338.34	542.97
	EXPENDITURE		
1.	Management Cost	166.26	157.80
2.	Other Office Expenses	71.02	77.44
3.	Meetings/Seminar/Conference / Study Expenses /Trng. Prog.	13.72	4.38
4.	Consultancy Charges (IRMA Study)	17.95	0.00
5.	Premises Maintenance Expenses	5.79	6.34
6.	Provisions /Contributions to Reserves	60.37	78.81
7.	Other appropriations	0.12	198.05
	TOTAL (1 to 7)	335.23	522.82
	Surplus	3.11	20.15

BRIEF PROFILE OF MEMBER BANKS

Fully Functional SCARDB

The Gujarat State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

489, Ashram Road, Opp. Nehru Bridge Corner, Ahmedabad – 380 009

Email: info@gscardbank.org / Website: www.khetibank.org

Telephone Nos: 079-26585365, 26585370, 26585371

Chairman : Shri Dollarra V. Kotecha
Email : dollar.kotecha@jcombank.com
Mobile : 9924118900

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2023-24	2024-25	2025-26
Number of Branches	176	177	179
Membership at Ground Level	292759	291933	291741
Loans Issued	37336.67	36179.29	36718.01
Loans Outstanding	83364.50	95257.92	112760.55
Staff			
i. SCARDBs	598	581	758
ii. PCARDBs	-	-	-
Total Paid up Capital	5291.41	5266.34	5046.64
Free Reserves	27676.98	30473.71	33205.73
Capital to Asset Ratio (%)	52.36	49.77	NR
Recovery Position At Ground Level			
- Demand	58167.71	61104.52	74776.97
- Collection	28307.25	32398.27	41534.22
- Balance	29860.45	28706.25	33242.75
- Recovery (%)	48.66	53.02	55.54

NR - Not Reported.

The Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

Bays No. 31-34, Sahkarita Bhawan, Sector-2, Panchkula – 134 109

Email: dev.incharge@gmail.com / Website : www.haryanacardbank.org

Telephone No.: 0172-2587040

Chairman : Shri Subhash Kalsana
Email : chairmanharyana@gmail.com
Mobile : 9812304420

Managing Director : Shri Naresh Goyal
Email : pa2md.hscardb@gmail.com
Mobile : 9466520383

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2023-24	2024-25	2025-26
Number of PCARDB Branches	70	70	70
Membership at Ground Level	730197	725591	726413
Loans Issued	6367.15	7081.00	12873.00
Loan Outstanding	175834.75	177972.99	185882.72
Staff			
i. SCARDBs	48	46	40
ii. PCARDBs	458	424	378
Total Paid up Capital	4281.02	4281.02	3956.02
Free Reserves	51166.15	51174.77	51182.15
Capital to Asset Ratio	NR	NR	NR
Recovery Position At Ground Level			
- Demand	209612.52	217665.20	212418.57
- Collection	10705.44	4141.95	20167.42
- Balance	198907.08	213523.25	192251.15
- Recovery (%)	5.11	1.90	9.49

NR - Not Reported.

The Himachal Pradesh State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

Block No-3D, SDA Complex, Kasumpti, Shimla – 171 009

Email: hpardbank@gmail.com / Website: www.hpardb.in

Telephone Nos: 0177-2621137, 2621437, 2623837

Chairman : Shri Sanjay Singh Chauhan
Email : chairmanardb2023@gmail.com
Mobile : 9418400033

Managing Director : Dr. Harish Gajju, (HAS)
Email : mdhpscardb@gmail.com
Mobile : 9418000088

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2023-24	2024-25	2025-26
Number of PCARDB Branches	30	30	30
Membership at Ground Level	114942	104166	107512
Loans Issued	11012.31	5501.85	6365.88
Loans Outstanding	42425.13	40001.45	40738.00
Staff			
i. SCARDBs	172	167	159
ii. PCARDBs	54	119	139
Total Paid up Capital	2872.01	2777.91	2805.11
Free Reserves	1781.75	1781.75	1781.75
Capital to Asset Ratio (%)	254.05	214.21	210.25
Recovery Position At Ground Level			
- Demand	21653.96	23027.86	22733.84
- Collection	6209.54	7668.13	6343.04
- Balance	15444.42	15359.73	16390.80
- Recovery (%)	28.68	33.30	27.90

Karnataka State Co-operative Agriculture and Rural Development Bank Ltd.

Tippu sultan palace road, Chamarajpet, Bengaluru, Karnataka – 560 018

Email: md.kscardbank@gmail.com / Website: www.kscardbank.in

Telephone No. : 080-26702024

Administrator : Shri (Captain) Dr. K. Rajendra, I. A. S.
Email : president.sldb@yahoo.com
Mobile : 9902522660

Managing Director : Shri Mahesh P.
Email : md.kscardbank@gmail.com
Mobile : 9845731414

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2023-24	2024-25	2025-26
Number of PCARDBs	183	184	184
Membership at Ground Level	1225933	1189017	1189017
Loans Issued	35192.01	56079.34	52364.49
Loans Outstanding	199498.90	225940.36	236385.80
Staff			
i. SCARDBs	240	233	221
ii. PCARDBs	444	408	392
Total Paid up Capital	8939.91	9325.96	NR
Free Reserves	1607.79	1771.70	NR
Capital to Asset Ratio (%)	10.37	9.09	NR
Recovery Position At Ground Level			
- Demand	93962.03	70062.76	75631.85
- Collection	75294.06	48257.36	48726.30
- Balance	18667.97	21805.40	25905.55
- Recovery (%)	80.13	68.88	65.29

NR - Not Reported.

Kerala State Co-operative Agricultural and Rural Development Bank Ltd.

PB. No.56, Statue Junction, Thiruvananthapuram – 695 001

Email: ho.cardbank@gmail.com / Website: www.keralalandbank.in

Telephone No : 0471-2460595

Convenor : Adv. C.K Shajimohan
Email : convenorkscardb@gmail.com
Mobile : 9447207863

Managing Director : Shri Gopalkrishnan K. (IAS)
Email : md.kscardb@gmail.com
Mobile : 8078081166

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2023-24	2024-25	2025-26
Number of PCARDBs	77	77	77
Membership at Ground Level	1976439	2008488	2114538
Loans Issued	282625.80	319483.89	363145.55
Loans Outstanding	782475.16	801840.25	805523.40
Staff			
i. SCARDBs	213	264	296
ii. PCARDBs	1381	1175	1208
Total Paid up Capital	23592.58	24054.81	24414.44
Free Reserves	85437.96	85778.86	87834.27
Capital to Asset Ratio (%)	4.85	4.84	4.84
Recovery Position At Ground Level			
- Demand	405114.53	421310.90	446336.85
- Collection	253747.99	269170.82	295699.57
- Balance	151366.54	152140.08	150637.28
- Recovery (%)	62.64	63.89	66.25

Pondicherry Cooperative Central Land Development Bank Ltd.,

No. 24, Colas Nagar, Uppalam, Puducherry - 605 001

Email : pccldbank@gmail.com

Telephone Nos: 0413-2357985 / 2358827

Administrator : Shri E. Sarnagapani, Under Secretary/Joint Registrar
Email : NR
Mobile : NR

Managing Director : Shri K. Maran
Email : maran.kaliaperumal@gmail.com
Mobile : 9600993153

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2023-24	2024-25	2025-26
Number of Branches	1	1	1
Membership at Ground Level	20738	20856	21053
Loans Issued	4495.70	4226.93	5739.75
Loans Outstanding	5257.20	5444.67	6008.33
Staff			
i. SCARDBs	27	25	24
ii. PCARDBs	-	-	-
Total Paid up Capital	580.03	601.02	630.99
Free Reserves	414.27	447.10	460.10
Capital to Asset Ratio (%)	49.69	47.50	NR
Recovery Position At Ground Level			
- Demand	3970.19	5040.34	4798.83
- Collection	3580.98	4658.11	4430.96
- Balance	389.20	382.23	367.86
- Recovery (%)	90.20	92.42	92.33

NR - Not Reported

The Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd.

S.C.O 51-54, Bank Square, Sector- 17-B, Chandigarh – 160 017

Email : sadbmd@gmail.com

Telephone Nos.: 0172-2708134, 5011708

Chairman : Shri Pawan Kumar Tinu
Email : sadbchairman@gmail.com
Mobile : 9417033919

Managing Director : Smt. Barjinder Kaur Bajwa Addl. RCS
Email : sadbmd@gmail.com
Mobile : 9878670005

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2023-24	2024-25	2025-26
Number of PCARDBs	89	89	89
Membership at Ground Level	832480	832725	NR
Loans Issued	0.00	0.00	442
Loans Outstanding	161780.04	145961.84	138200.00
Staff			
i. SCARDBs	121	82	79
ii. PCARDBs	536	550	525
Total Paid up Capital	7888.15	7888.15	7888.15
Free Reserves	45938.22	45918.89	NR
Capital to Asset Ratio (%)	33.92	31.86	NR
Recovery Position At Ground Level			
- Demand	272914.89	278102.44	280873.65
- Collection	30745.14	28172.14	24490.77
- Balance	242169.75	249930.30	256382.88
- Recovery (%)	11.27	10.13	8.72

NR - Not Reported.

Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.

Nehru Sahakar Bhavan, 22 Godown Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur – 302 005

Email:rsldbmd@yahoo.in / Website:www.rsldb.nic.in

Telephone No. 0141 - 2740440

Administrator : Shri Sandeep Khandelwal
Email : addl2ho.coop@rajasthan.gov.in
Mobile : 9950466755

Managing Director : Shri Jitendra Prasad
Email : rsldbmd@yahoo.in
Mobile : 9829120798

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2023-24	2024-25	2025-26
Number of PCARDBs	124	124	124
Membership at Ground Level	1235689	1199941	NR
Loans Issued	5284.80	10682.79	15313.15
Loans Outstanding	154139.15	155011.11	154194.27
Staff			
i. SCARDBs	40	39	37
ii. PCARDBs	188	172	148
Total Paid up Capital	4134.55	4134.55	4134.55
Free Reserves	86869.81	92497.02	94836.89
Capital to Asset Ratio (%)	13.35	14.04	18.87
Recovery Position At Ground Level			
- Demand	95576.65	107159.76	99379.16
- Collection	19601.08	29439.07	30124.60
- Balance	75975.57	77720.69	69254.56
- Recovery (%)	20.51	27.47	30.31

NR - Not Reported.

Tamil Nadu Cooperative State Agriculture and Rural Development Bank Ltd.,

No.181, Luz Church Road, Mylapore, Chennai - 600 004.

Email : sldbchn@yahoo.co.in /tncsardbho@gmail.com

Telephone No. : 044 - 24993854

Managing Director : Dr. A. D. Baskaran, Additional Registrar

Email : tncsardbho@gmail.com

Mobile : 7338850010

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2023-24	2024-25	2025-26
Number of PCARDBs	180	180	180
Membership at Ground Level	1487529	897930	782829
Loans Issued	125028.91	174785.50	242934.09
Loans Outstanding	115080.98	150736.69	167275.62
Staff			
i. SCARDBs	109	101	117
ii. PCARDBs	453	460	436
Total Paid up Capital	5236.76	5216.76	5106.19
Free Reserves	17593.22	28865.86	36095.48
Capital to Asset Ratio (%)	42.44	44.94	NR
Recovery Position At Ground Level			
- Demand	149666.30	183596.81	221146.40
- Collection	142235.93	177752.36	214630.60
- Balance	7430.37	5844.45	6515.85
- Recovery (%)	95.04	96.82	97.05

NR - Not Reported.

Tripura Cooperative Agriculture and Rural Development Bank Ltd.

O/O RCS, Palace Compound, Agartala - 799 001

Email : tcardsbld.2012@gmail.com

Telephone No.: 0381 - 2323972

Administrator : Shri Atanu Dewanjee, TCS, Gr-I

Email : tcardsbld.2012@gmail.com

Mobile : NR

General Manager : Shri Jayanta Jamatia, TCS, Gr-II

Email : tcardsbld.2012@gmail.com

Mobile : 9717624645

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2023-24	2024-25	2025-26
Number of Branches	5	5	5
Membership at Ground Level	955706	24263	17672
Loans Issued	74.45	0.00	0.00
Loans Outstanding	793.62	726.32	672.61
Staff			
i. SCARDBs	19	21	21
ii. PCARDBs	-	-	-
Total Paid up Capital	957.10	952.28	940.48
Free Reserves	8.68	8.68	8.68
Capital to Asset Ratio (%)	NR	NR	NR
Recovery Position At Ground Level			
- Demand	784.72	1119.49	1705.99
- Collection	65.55	103.21	135.15
- Balance	719.17	1016.28	1570.84
- Recovery (%)	8.35	9.22	7.92

NR - Not Reported.

Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd.

10, Mall Avenue, Lucknow – 226 001

Email : upsgvb@yahoo.in / Website:www.upsgvb.in

Telephone Nos.: 0522-2238844, 2238855

Chairman : Shri Anil Kumar Singh (IAS)
Email : adc-coop-admin-hq-lu@up.gov.in
Mobile : 9793987200

Managing Director : Shri Rajesh Kumar Kulshreshtha
Email : md.upsgvb@gmail.com
Mobile : 9005433333

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2023-24	2024-25	2025-26
Number of Branches	323	323	323
Membership at Ground Level	1410573	1421925	1409432
Loans Issued	40854.00	39316.31	36300.03
Loans Outstanding	269309.66	282248.94	292324.20
Staff			
i. SCARDBs	2520	2459	2401
ii. PCARDBs	-	-	-
Total Paid up Capital	28187.75	28946.92	29626.88
Free Reserves	26190.30	26224.92	27266.76
Capital to Asset Ratio (%)	32.09	30.74	31.99
Recovery Position At Ground Level			
- Demand	207415.66	199899.85	197545.68
- Collection	61691.68	54054.59	38665.39
- Balance	145723.98	145845.26	158880.29
- Recovery (%)	29.74	27.04	19.57

West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, CIT Scheme- VIII (M), Ultadanga, Kolkata - 700 067

Email : wbscardb@gmail.com / Website:www.wbscardb.com

Telephone Nos.: 033 - 23560028, 23560065

Special Officer / Managing Director : Shri Brajesh Kumar Singh

Email : md@wbscardb.com

Mobile : 9163055935

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2023-24	2024-25	2025-26
Number of PCARDBs	24	24	24
Membership at Ground Level	401628	429711	458679
Loans Issued	28657.89	30452.84	47648.94
Loans Outstanding	138357.79	137378.86	142134.44
Staff			
i. SCARDBs	80	75	76
ii. PCARDBs	594	562	541
Total Paid up Capital	4269.20	5814.73	5810.38
Free Reserves	4461.21	4798.21	5203.89
Capital to Asset Ratio (%)	2.73	3.25	3.28
Recovery Position At Ground Level			
- Demand	107188.79	114265.89	122837.51
- Collection	41397.55	44607.08	47338.46
- Balance	65791.24	69658.81	75499.05
- Recovery (%)	38.62	39.04	38.54

STATE COOPERATIVE BANKS (SCB)
The Delhi State Cooperative Bank Ltd.

31, Netaji Subhash Marg, Darya Ganj, New Delhi - 110 002

Email : bkg.dscb@gmail.com

Telephone No.: 011-41705038

Chairman : Dr. Bijender Singh

Email : dscbho@gmail.com

Mobile : 9810830255

Managing Director : Shri R.K.Kadyan (Officiating)

Email : md.dscb@gmail.com

Mobile : 9899363942

Staff Position :- HO : 62
Branches: 354

Interest rate : On Loans: 7% to 17.00%
On Deposit Collection: 3% to 6.45%

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2023-24	2024-25	2025-26
Loans Outstanding	97080.21	105948.10	103094.37
Loans Disbursed	26172.05	30321.69	25653.47
Total Paid up Capital	2093.68	2225.45	2248.73
Free Reserves	39103.33	41561.80	43931.58
Capital to Asset Ratio (%)	53.75	50.53	48.53
Deposit Outstanding	133542.80	135552.47	134869.03
Borrowings Outstanding	-	-	-
Net Profit	2279.24	2177.83	777.56
Accumulated losses, if any	-	-	-
Recovery Position At Ground Level			
- Demand	64476.33	66644.71	71772.29
- Collection	63504.38	65618.85	70150.46
- Balance	971.95	1025.86	1621.83
- Recovery (%)	98.49	98.46	97.74

The Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd.

M.G. Road, Shillong – 793 001

Email : headoffice@megcab.bank.in / Website:www.megcab.com

Telephone Nos : 0364-2225190, 2224160

Chairman : Shri Waibha K. Kyndiah

Email : headoffice@megcab.com

Mobile : 7702331133

Managing Director : Shri Osmand E.J. Nongbri

Email : headoffice@megcab.com

Mobile : 9402306321

Staff Position :- HO : 118
Branches : 316

Interest rate : On Loans: 7% to 12.45%
On Deposit Collection: 3.25% to 7.50%

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2023-24	2024-25	2025-26
Loans Outstanding	187443.01	190940.21	195792.62
Loans Disbursed	15888.96	16954.17	19313.49
Total Paid up Capital	1022.45	1092.78	1173.57
Free Reserves	20771.02	22508.14	22485.15
Capital to Asset Ratio (%)	24.58	23.01	23.00
Deposit Outstanding	376429.24	396569.04	413665.09
Borrowings Outstanding	6036.08	5606.55	16243.30
Net Profit/ Loss	1669.53	1831.83	2000.00
Accumulated losses, if any	-	-	-
Recovery position at Ground Level			
- Demand	21449.08	14774.08	19439.82
- Collection	12572.45	6296.17	10829.21
- Balance	8876.63	8477.91	8610.62
- Recovery (%)	58.62	42.62	55.71

OTHER SCARDB

Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd.

Bhumi Vikas Bank Bhawan, Budh Marg, Patna – 800 001

Email : ldbpat@gmail.com

Telephone Nos. : 0612-2226221,2226222

Chairperson : Smt. Mamta Singh
Email : ldbpat@gmail.com
Tel. : 0612-2223853

Managing Director : Dr. Kaushalendra Singh
Email : ldbpat@gmail.com
Mobile : 9430265715

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2023-24	2024-25	2025-26
Number of Branches	151	151	151
Membership at Ground Level	702362	702362	702362
Loans Issued	0.00	0.00	0.00
Loans Outstanding	3178.76	3021.72	2866.72
Staff			
i. SCARDBs	361	358	356
ii. PCARDBs	-	-	-
Total Paid up Capital	2808.40	2804.51	2806.18
Free Reserves	43935.04	43935.04	43935.04
Capital to Asset Ratio (%)	2.60	2.55	2.58
Recovery Position At Ground Level			
- Demand	42461.04	42619.67	42913.02
- Collection	4430.96	3143.85	3389.63
- Balance	38030.08	39475.82	39523.39
- Recovery (%)	10.43	7.37	7.89

REPORT ON MEMBER BANKS' OPERATIONS DURING 2025-26

Data on operations of 12 fully functional SCARDBs during 2025-26 are furnished in Statements given in the **Annexures** of this Report.

1. Loans Advances

The total advances of 12 fully functional SCARDBs as on 31 March 2026 were ₹7423.93 crores as against ₹6860.73 crores compared to the previous year. Aggregate lending by SCARDBs increased by ₹563.21 crores registering a growth of 8.21% during the year. Haryana, Himachal Pradesh, Kerala, Pondicherry, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu and West Bengal SCARDBs contributed most part of the growth in lending during the year.

2. Loans Outstanding

Total loans outstanding of SCARDBs as on 31.3.2026 stood at ₹23050.45 crores as against ₹22210.01 crores during the previous year showing 4% growth during the year. Out of 12 fully functional SCARDBs, 8 banks viz. Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, Pondicherry, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal have registered growth in loans outstanding during the year.

3. Borrowings

Total Borrowings by 12 SCARDB during the year stood at ₹3832.69 crores as against ₹3703.04 crores in the previous year. The composition of resources raised from different agencies shows that, 60% of borrowings was sourced from NABARD while NCDC and others including State Govt., NHB, SCB, etc. accounted for the balance of 40%. Further, only 7 out of 12 fully functional SCARDBs were given refinance by NABARD during the year.

4. Borrowings Outstanding

The total borrowings outstanding of SCARDBs slightly decreased by 1% to ₹13052.88 crores as on 31.3.2026 as against ₹13179.86 crores in the previous year with about 80% of the total sourced from NABARD.

5. Deposits Outstanding

Total outstanding deposits of SCARDBs, as on 31 March 2026 were ₹2611.48 crores as against ₹2183.50 crores as of 31 March 2025 recording a growth of ₹427.98 crores over the previous year. Tamil Nadu and Kerala SCARDBs, occupy first two positions in deposit mobilization followed by, Karnataka, Gujarat, West Bengal, Himachal Pradesh and Punjab while deposit mobilization is yet to pick up momentum in Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh. Out of 11 banks, 7 SCARDBs increased deposits outstanding during the year.

6. Financial Details

According to pre-audited data for the year, 7 banks earned net profits during the year. Total net profits earned by these 7 banks during the year stood at ₹274.15 crores as against ₹209.49 crores last year earned by 10 banks. While 3 banks incurred losses aggregating ₹85.68 crores compared to ₹180.20 crores in the previous year.

7. Non-Performing Assets (NPA)

SCARDBs generally continue to struggle with high NPAs averaging above 30% as in the last year. Only Pondicherry and Tamil Nadu could maintain the NPA at comfortable levels of 2.82% and 6.89% respectively.

8. Recovery Position

Recovery performance of SCARDBs indicate only marginal improvement during the year at both apex and ground levels. Aggregate average recovery of SCARDBs at apex level stood at 46.06% compared to 44.07% during the previous year, and at Ultimate Borrowers' level improved from 41.63% in 2024-25 to 43.90% in 2025-26.

9. Staff Position

The total staff position of 12 fully functional SCARDBs stood at 4229 during 2025-26 as against 4093 during the previous year, while PCARDBs had total staff strength of 3767 as on 31.03.2026 as against 3870 during the previous year.

10. Organizational Network (Outlets)

Total number of operational units increased from 1828 during 2024-25 to 1835 during 2025-26. The number of branches of SCARDBs increased from 610 in 2024-25 to 612 during the year. Similarly, the branches of PCARDBs increased from 520 to 525 during the year. Number of Supervisory Units and PCARDBs remained constant at 88 and 610 respectively during the year.

11. Membership

The total membership of 12 fully functional SCARDBs stood at 91.75 lakhs, during the year as against 91.69 lakhs, last year. The borrowing membership decreased by 1.90 lakhs from 37.93 lakhs as on 31.03.2025 to 36.23 lakhs as on 31.03.2026. Further, Non-borrowing membership decreased by 2.83 lakhs from 53.76 lakhs to 50.93 lakhs during the year.

Note :- This review is based on data received from member banks before audit.

ACKNOWLEDGEMENT

The Federation continues to maintain close liaison and constructive engagement with Government of India, Ministry of Cooperation, NABARD, NCDC, NCUI and various other agencies and institutions in its endeavour to strengthen the Long Term Cooperative Credit Structure (LTCCS) and expand the operations of member banks. The Board of Management places on record its sincere gratitude to all these organizations for the continued support and cooperation extended to the Federation.

The Federation and its member institutions continued to receive financial and policy support from the Government of India, Ministry of Cooperation. The Board of Management expresses its deep appreciation to the Ministry for its policy guidance and sustained support towards economic revival, particularly through technology adoption in the LTCCS.

NABARD since its inception, has been extending refinance and developmental support to SCARDBs. The Board conveys its gratitude to NABARD for its continued refinance assistance and its significant role in strengthening the Long Term Rural Cooperative Credit Structure over the years.

During the year under report, the Federation continued to receive financial assistance and active cooperation from its member banks. The Board expresses its profound appreciation to the Chairpersons, Chief Executive Officers, and staff of all member institutions for their valuable support, which enabled the Federation to effectively discharge its responsibilities and contribute to the development of the sector.

The Board of Management also places on record its appreciation of the valuable contributions of Shri Dolar Kotecha, Chairman, for his able leadership and for effectively representing the concerns of LTCCS with the Government of India and other stakeholders. The Board further acknowledges the leadership and guidance provided by the Vice Chairpersons — Shri K. Ravinder Rao, Shri Moinul Hassan, Shri A. R. Shivaram and Shri Pawan Kumar Tinu; Chairpersons and CEOs of member banks for their leadership and guidance.

The Board also places on record its appreciation for the dedicated services of Shri K. K. Ravindran, Managing Director, NAFCARD who efficiently discharged his responsibilities as Chief Executive. The Management further acknowledges with gratitude the commitment and contributions of all officers and staff of the Federation during the year.

On behalf of the Board of Management

Sd/-

Dolar Kotecha
Chairman

TABLE 1 - LOANS DISBURSED AND LOANS OUTSTANDING

Sr. No.	Name of SCARDB	Loans Disbursed During 2025-26					Loans Disbursed During 2024-25	Loans Outstanding as on 31 March 2026					Loans Outstanding as on 31 March 2025
		Farm Sector	Non Farm Sector	Rural Housing Sector	Others (S.T. Loans)	Total Loans Disbursed		Farm Sector	Non Farm Sector	Rural Housing Sector	Others (S.T. Loans)	Total Loans Outstanding	
1.	Gujarat	36178.62	528.53	10.86	0.00	36718.01	36179.29	95452.87	16465.56	18.14	823.98	112760.55	95257.92
2.	Haryana	9592.29	1196.20	671.20	1408.10	12867.79	7521.50	123447.39	21741.59	16340.82	24352.92	185882.72	178896.09
3.	Himachal Pradesh	5455.42	194.85	715.61	0.00	6365.88	5501.85	28930.32	3900.82	6885.28	0.00	39716.42	40001.45
4.	Karnataka	50937.21	0.00	0.00	1427.28	52364.49	56079.34	234267.76	142.96	166.46	1808.62	236385.80	225940.36
5.	Kerala	220233.95	24333.69	89517.25	29060.66	363145.55	319483.88	341056.93	74317.18	353888.54	36260.75	805523.40	801840.25
6.	Pondicherry	0.00	0.00	0.00	5739.75	5739.75	4226.93	0.00	2.78	0.00	6005.55	6008.33	5444.37
7.	Punjab	0.00	0.00	0.00	442.00	442.00	0.00	83700.67	1238.12	52982.59	442.00	138363.38	145656.42
8.	Rajasthan	14113.83	149.12	1050.20	0.00	15313.15	10682.79	131648.16	4393.47	18152.64	0.00	154194.27	155011.11
9.	Tamil Nadu	0.00	0.00	0.00	177278.99	177278.99	176493.63	0.00	5426.75	2038.58	182322.39	189787.72	153843.28
10.	Tripura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	672.61	726.32
11.	Uttar Pradesh	24428.12	10851.16	0.00	1021.05	36300.33	39317.46	212342.92	56981.32	2773.65	20226.31	292324.20	282096.02
12.	West Bengal	31126.54	3539.42	1108.69	82.82	35857.47	30586.18	110682.36	14540.15	17803.81	399.56	143425.88	136287.70
TOTAL [1 to 12]		392065.98	40792.97	93073.81	216460.65	742393.41	686072.85	1361529.38	199150.70	471050.51	272642.08	2305045.28	2221001.29

Note: - Bifurcation not available.

TABLE 2 - BORROWINGS DURING THE YEAR

(₹ Lakhs)

Sr. No.	Name of SCARDB	Raised During 2025-26				Grand Total	
		NABARD	Central Govt.	State Govt.	Others (NCDC/ NHB/ SCB etc.)	2025-26 (3+4+5+6)	2024-25
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gujarat	3317.83	0.00	0.00	0.00	3317.83	0.00
2.	Haryana	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	1000.00
3.	Himachal Pradesh	6100.00	0.00	0.00	0.00	6100.00	7800.00
4.	Karnataka	48700.16	0.00	1600.00	0.00	50300.16	57129.78
5.	Kerala	108500.00	0.00	0.00	0.00	108500.00	155400.00
6.	Pondicherry	0.00	0.00	0.00	1409.78	1409.78	1229.40
7.	Punjab	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00
8.	Rajasthan	6000.00	0.00	0.00	49466.00	55466.00	14159.36
9.	Tamil Nadu	0.00	0.00	0.00	39577.00	39577.00	18817.00
10.	Tripura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Uttar Pradesh	34923.72	0.00	0.00	20412.52	55336.24	58133.51
12.	West Bengal	20000.00	0.00	0.00	30261.59	50261.59	46635.37
	TOTAL [1 to 12]	227541.71	0.00	4600.00	151126.89	383268.60	370304.42

TABLE 3 - BORROWINGS OUTSTANDING

(₹ Lakhs)

Sr. No.	Name of SCARDB	Borrowings Outstanding as on 31 March 2026					Grand Total	
		NABARD	Central Govt.	State Govt.	Others (NCDC/ NHB/ SCB etc.)	As on 31/03/2026 (3+4+5+6)	As on 31/03/2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Gujarat	3317.83	0.00	0.00	0.00	3317.83	2200.00	
2.	Haryana	0.00	3441.13	107685.00	0.00	111126.13	109126.35	
3.	Himachal Pradesh	29273.02	610.05	20.12	0.00	29903.19	27990.96	
4.	Karnataka	163235.89	195.98	4898.91	0.00	168330.78	151302.28	
5.	Kerala	612744.08	31.95	0.00	0.00	612776.03	659043.08	
6.	Pondicherry	0.00	0.00	0.00	441.67	441.67	478.45	
7.	Punjab	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	
8.	Rajasthan	42937.00	151.01	151.01	36047.94	79286.96	89973.92	
9.	Tamil Nadu	0.00	0.00	1875.00	26224.00	28099.00	22240.37	
10.	Tripura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.	Uttar Pradesh	95776.66	0.00	27200.00	9679.37	132656.03	123474.32	
12.	West Bengal	100753.94	0.00	0.00	28596.44	129350.38	122156.22	
	TOTAL [1 to 12]	1048038.42	4430.12	141830.04	110989.42	1305288.00	1317985.95	

TABLE 4 - DEPOSIT MOBILIZATION

(₹ Lakhs)

Sr. No.	Name of SCARDB	Deposit Mobilisation during the year							
		2025-26				2024-25			
		Outstanding at the end of previous year	Collected during the year	Repaid during the year	Outstanding at the end of current year	Outstanding at the end of previous year	Collected during the year	Repaid during the year	Outstanding at the end of current year
1.	Gujarat	24978.75	34956.67	21410.27	38525.15	22454.94	21699.69	19175.88	24978.75
2.	Haryana	11.01	0.10	0.99	10.12	10.66	2.03	1.68	11.01
3.	Himachal Pradesh	18674.10	4145.65	1330.28	21489.47	16699.18	3715.55	1740.63	18674.10
4.	Karnataka	45366.87	29250.81	29741.94	44875.74	47272.21	46935.09	48840.43	45366.87
5.	Kerala	39628.92	19481.48	12069.20	47041.20	37041.58	14873.34	12286.00	39628.92
6.	Pondicherry	4818.53	3197.96	2734.94	5281.55	4801.95	3411.98	3395.40	4818.53
7.	Punjab	10366.57	9015.24	8682.25	10699.56	15303.66	13478.06	18415.15	10366.57
8.	Rajasthan	169.32	0.00	0.00	169.32	170.32	-	-	169.32
9.	Tamil Nadu	45720.24	-	-	64155.14	33822.90	-	-	45720.24
10.	Uttar Pradesh	806.84	105.96	234.26	678.54	930.20	181.49	304.85	806.84
11.	West Bengal	27808.95	25212.29	24799.10	28222.14	26721.33	24492.60	23404.98	27808.95
	TOTAL [1 to 11]	218350.10	125366.16	101003.23	261147.93	205228.93	165711.14	154510.29	218350.10

Note :- Bifurcation not available

TABLE 5 - PROFIT / LOSS (AT APEX BANK LEVEL)
(₹ Lakhs)

Sr. No.	Name of SCARDB	Profit / Loss as on		Accumulated Loss as on	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1.	Gujarat	8734.90	6717.59	0.00	0.00
2.	Haryana	(8188.48)	(12418.41)	116126.02	107937.54
3.	Himachal Pradesh	(350.00)	1414.34	303.50	0.00
4.	Karnataka	NR	8.18	NR	0.00
5.	Kerala	4264.93	3874.99	0.00	0.00
6.	Pondicherry	56.21	23.50	241.29	297.50
7.	Punjab	NR	(5595.77)	0.00	0.00
8.	Rajasthan	4073.29	216.05	0.00	0.00
9.	Tamil Nadu	9715.67	6841.07	0.00	0.00
10.	Tripura	(29.42)	(6.27)	1894.35	1864.94
11.	Uttar Pradesh	410.19	1700.77	0.00	0.00
12.	West Bengal	159.52	152.05	0.00	0.00

Note :- (1) Figures in brackets indicate loss.

(2) NR - Not Reported.

TABLE 6 - NON-PERFORMING ASSETS (NPA)
(₹ Lakhs)

Sr. No.	Name of SCARDB	As on 31 March 2026			As on 31 March 2025		
		Total Loan Outstanding	Total NPAs	NPA as % of Loans Outstanding	Total Loans Outstanding	Total NPAs	NPA as % of Loans Outstanding
1.	Gujarat	112760.55	25496.94	22.61	95257.92	23197.23	24.35
2.	Haryana	185882.72	159457.81	85.78	177972.94	160717.41	90.30
3.	Himachal Pradesh	39665.73	15527.70	39.15	40001.45	14697.50	36.74
4.	Karnataka *	225940.36	79033.98	34.98	225940.36	79033.98	34.98
5.	Kerala	805523.40	106413.03	13.21	801840.24	107395.08	13.39
6.	Pondicherry	6008.33	167.80	2.79	5444.37	172.28	3.16
7.	Punjab	138200.00	110000.00	79.59	145961.84	105498.49	72.28
8.	Rajasthan	154194.27	92667.11	60.10	155011.11	97956.24	63.19
9.	Tamil Nadu *	154699.28	10655.71	6.89	154699.28	10655.71	6.89
10.	Tripura	672.61	643.23	95.63	726.32	678.50	93.42
11.	Uttar Pradesh	263456.40	195943.01	74.37	253544.44	187037.02	73.77
12.	West Bengal *	137378.86	33701.28	24.53	137378.86	33701.28	24.53
	TOTAL [1 to 12]	2224382.51	829707.60	37.30	2193779.13	820740.72	37.41

Note : *Position as on 31.03.2025 is considered for review.

TABLE 7 - DEMAND, COLLECTION, BALANCE POSITION

(₹ Lakhs)

Sr. No.	Name of SCARDB	At Apex Bank Level as on 31 March 2026				Recovery (%) as on 31.03.2025	At Ultimate Borrowers' Level as on 31 March 2026				Recovery (%) as on 31.03.2025
		Demand	Collection	Balance	Recovery (%)		Demand	Collection	Balance	Recovery (%)	
1.	Gujarat	74776.97	41534.22	33242.75	55.54	53.02	74776.97	41534.22	33242.75	55.54	53.02
2.	Haryana	261400.75	11983.49	249417.26	4.58	4.02	212418.57	20167.42	192251.15	9.49	1.90
3.	Himachal Pradesh	21573.54	5182.74	16390.80	24.02	28.90	22733.84	6343.04	16390.80	27.90	33.30
4.	Karnataka	163467.50	63364.72	100102.78	38.76	30.94	74631.85	48726.30	25905.55	65.29	68.88
5.	Kerala	380490.47	328677.48	51812.99	86.38	83.76	446336.85	295699.57	150637.28	66.25	63.89
6.	Pondicherry	4798.83	4430.96	367.87	92.33	92.42	4798.83	4430.96	367.87	92.33	92.42
7.	Punjab	125200.00	20000.00	105200.00	15.97	19.50	280873.65	24490.77	256382.88	8.72	10.13
8.	Rajasthan	154349.99	34147.37	120202.62	22.12	13.42	99379.16	30124.60	69254.56	30.31	27.47
9.	Tamil Nadu	195680.99	183853.62	11827.37	93.96	92.34	221146.44	214630.59	6515.85	97.05	96.82
10.	Tripura	1705.99	135.15	1570.84	7.92	9.22	1705.99	135.15	1570.84	7.92	9.22
11.	Uttar Pradesh	197545.68	38665.39	158880.29	19.57	27.04	197545.68	38665.39	158880.29	19.57	27.04
12.	West Bengal	92066.58	38677.74	53388.84	42.01	45.58	122837.51	47338.46	75499.05	38.54	39.04
	TOTAL [1 to 12]	1673057.29	770652.88	902404.41	46.06	44.07	1759185.34	772286.47	986898.87	43.90	41.63

TABLE 8 - STAFF POSITION DETAILS

(Number)

Sr. No.	Name of SCARDB	Staff Position of SCARDBs During				Staff Position of PCARDBs During					
		2025-26		2024-25		2025-26		2024-25			
		Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	
1.	Gujarat	644	114	758	506	75	581	NA	NA	NA	NA
2.	Haryana	NR	NR	40	40	6	46	NR	NR	37	424
3.	Himachal Pradesh	112	47	159	118	49	167	113	26	139	119
4.	Karnataka	146	75	221	154	79	233	264	128	392	408
5.	Kerala	101	195	296	93	171	264	722	486	1208	1175
6.	Pondicherry	20	4	24	21	4	25	NA	NA	NA	NA
7.	Punjab	57	22	79	60	22	82	472	53	525	550
8.	Rajasthan	32	5	37	34	5	39	NR	NR	148	172
9.	Tamil Nadu	64	53	117	55	46	101	324	112	436	460
10.	Tripura	17	4	21	17	4	21	NA	NA	NA	NA
11.	Uttar Pradesh	2123	278	2401	2178	281	2459	NA	NA	NA	NA
12.	West Bengal	62	14	76	61	14	75	NR	NR	541	562
	TOTAL [1 to 12]	3378	811	4229	3337	756	4093	1895	805	3767	3870

 Note :- (1) NA - Not Applicable.
(2) NR - Not Reported.

TABLE 9 - ORGANISATIONAL NETWORK

(Number)

Sr. No.	Name of SCARDB	Number of Branches (Unitary / Mixed Structures)		No. of Supervisory Units (Regional/ Divisional/Zonal Offices)		No. of PCARDBs (Federal / Mixed Structures)		No. of Branches of PCARDBs (Federal/ Mixed Structure)		Total Network	
		31.3.2026	31.3.2025	31.3.2026	31.3.2025	31.3.2026	31.3.2025	31.3.2026	31.3.2025	31.3.2026	31.3.2025
1.	Gujarat	179	177	17	17	NA	NA	NA	NA	196	194
2.	Haryana	0	0	0	0	19	19	70	70	89	89
3.	Himachal Pradesh	51	51	0	0	1	1	35	30	87	82
4.	Karnataka	25	25	0	0	184	184	0	0	209	209
5.	Kerala	17	17	2	2	77	77	195	195	291	291
6.	Pondicherry	1	1	1	1	NA	NA	NA	NA	2	2
7.	Punjab	0	0	24	24	89	89	0	0	113	113
8.	Rajasthan	0	0	2	2	36	36	124	124	162	162
9.	Tamil Nadu	0	0	22	22	180	180	0	0	202	202
10.	Tripura	5	5	0	0	NA	NA	NA	NA	5	5
11.	Uttar Pradesh	323	323	18	18	NA	NA	NA	NA	341	341
12.	West Bengal	11	11	2	2	24	24	101	101	138	138
	TOTAL [1 to 12]	612	610	88	88	610	610	525	520	1835	1828

Note :- NA - Not Applicable.

TABLE 10 - DETAILS OF MEMBERSHIP AND ELECTED BOARD (SCARDBs)

(Number)

Sr. No.	Name of SCARDB	Borrowing Members		Non-borrowing Members		Total Membership (Borrowings+Non-Borrowings)		Whether SCARDB has Elected Board (Yes/No)		Number of PCARDBs having Elected Boards	
		31.3.2026	31.3.2025	31.3.2026	31.3.2025	31.3.2026	31.3.2025	31.3.2026	31.3.2025	31.3.2026	31.3.2025
1.	Gujarat	291741	291933	8596	8330	300337	300263	Yes	Yes	NA	NA
2.	Haryana	67289	70068	659124	655523	726413	725591	Yes	Yes	15	14
3.	Himachal Pradesh	14698	14146	107512	104166	122210	118312	Yes	Yes	1	1
4.	Karnataka	666751	666751	522266	522266	1189017	1189017	No	Yes	182	182
5.	Kerala	1411802	1339852	702736	668636	2114538	2008488	No	Yes	77	76
6.	Pondicherry	2958	3196	18095	17660	21053	20856	No	No	NA	NA
7.	Punjab *	51796	51796	780929	780929	832725	832725	Yes	Yes	77	82
8.	Rajasthan *	710451	710451	489490	489490	1199941	1199941	No	No	21	21
9.	Tamil Nadu	62847	93167	719982	804763	782829	897930	No	No	0	0
10.	Tripura	1171	1232	16501	23031	17672	24263	No	No	NA	NA
11.	Uttar Pradesh	341480	353916	1067952	1068009	1409432	1421925	No	Yes	NA	NA
12.	West Bengal	NR	196452	NR	233259	458679	429711	No	No	11	11
	TOTAL [1 to 12]	3622984	3792960	5093183	5376062	9174846	9169022	-	-	384	387

Note:- (1) NA - Not Applicable.
(2) NR - Not Reported.
(3) * Position as on 31.03.2025 is considered for review.



The 179th Board Meeting and Annual General Meeting (AGM) of the Board of Management of the NAFCARD held on 22nd July 2025 in the Board Room of NCUI, New Delhi. (seen on dias are Shri Dolar Kotecha, Chairman, NAFCARD, Shri Ravinder Rao, Vice Chairman of NAFCARD, Dr. Bijender Singh, President, Delhi SCB and Shri K.K. Ravindran, MD, NAFCARD)



180th Meeting of the Board of Management and Workshop on National Cooperation Policy 2025 held on 13th September 2025 at Shimla. (seen on dias Shri Dolar Kotecha, Chirman, NAFCARD, Shri K.K. Ravindran, MD, NAFCARD, Shri Sanjay Singh Chauhan, Chairman, HP SCARDB)



IYC 2025 celebration, Himachal Pradesh SCARDB held its Board Meeting on 14th September 2025 in Shimla.
(seen on dīas Shri Sanjay Singh Chauhan, Chairman, Himachal Pradesh SCARDB, Shri K.K. Ravindran, MD, NAFCARD)



International Delegates Visit Gujarat SCARDB as Part of ICA-AP & NAFCARD's Cooperative Learning Programme
on 23rd July, 2025 at Ahmedabad, Gujarat



Online (zoom) Seminar on 'Business Growth by ARDBs during Amrit Kaal' held on 17th November 2025 from Gujarat SCARDB, Ahmedabad. (Seen on dias Shri Dolar Kotecha, Chairman, NAFCARD, Shri K.K. Ravindran, MD, NAFCARD and Prof. Indranil De, Professor IRMA)



17th ICA-AP Regional Assembly & the 12th Cooperative Forum' Colombo, Sri Lanka – Roundtable on 'Challenges for Credit and Banking Cooperatives' on 25th November, 2025 at Colombo, Sri Lanka



NAFCARD Chairman Shri Dolar Kotecha, met Shri Ashish Bhutani, Secretary of Ministry of Cooperation on 18th December 2025 at New Delhi



NAFCARD Chairman Shri Dolar Kotecha, met Shri Pankaj Kumar Bansal, Additional Secretary, Ministry of Cooperation held on 18th December 2025 at New Delhi. The meeting was attended by Shri Raman Kumar, Joint Secretary, Shri Kumar Rama Krishna, Director and Shri K.K Ravindran, MD NAFCARD



NAFCARD Chairman Shri Dolar Kotecha and Shri K.K. Ravindran, Managing Director met Shri K.V. Shaji, Chairman, NABARD Chairman on 29th January 2026 at NABARD HO, Mumbai to discuss about various suggestions for augmenting refinance support to SCARDBs, particularly allocation of low cost funds under LTRCF.

छियासठवाँ वार्षिक रिपोर्ट २०२७-२६



**राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
महासंघ मर्यादित**

७०३ए, बीएसईएल टेक पार्क, ७वी मंजिल, ए - विंग,
रेल्वे स्टेशन के सामने, वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०३

टेलीफोन : (०२२) ४०००४९६९/४०००४९७०
ई-मेल : nafcard.org@gmail.com/ncardbf.org@gmail.com

फैक्स : (०२२) २७८१ ४२२३
वेबसाइट : www.nafcard.org

राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड

फेडरेशन की वार्षिक सामान्य निकाय बैठक

सूचना

राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक्स संघ लिमिटेड की वर्ष 2026 के लिए वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक **31 अगस्त 2026 को सुबह 11.00 बजे होटल हॉलिडे इन, जयपुर, राजस्थान** में निम्नलिखित व्यवसाय प्रबंधन हेतु आहुत किए जाने की एतद्वारा सूचना निर्गत की जाति है ।

1. दिनांक 22 जुलाई 2025 को एनसीयूआई, नई दिल्ली के बोर्ड रूम में आयोजित महासंघ की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि किया जाना ।
2. वर्ष 2025-26 की लेखा परीक्षित खातों के विवरण पत्रों पर विचार ।
3. 31.03.2026 को समाप्त हुए वर्ष की सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन पर विचार करना ।
4. वर्ष 2025-26 की सम्प्रेक्षण अनुपालन आख्या पर विचार ।
5. वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार ।
6. वर्ष 2025-26 के अधिशेष का निराकरण ।
7. साल 2026-27 के लिए सम्प्रेक्षकों तथा सम्प्रेक्षा शुल्क निर्धारित करने पर विचार ।
8. वर्ष 2027-28 के लिए वार्षिक बजट पर विचार ।
9. संघ के उप-नियमों का संशोधन अधिनियमन के परिणामस्वरूप बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम 2023 – उप-नियमों को एमएससीएस अधिनियम और नियमों के साथ संरेखित करने के लिए ।

बहु राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के प्रावधानों तथा महासंघ के उपनियमों के अनुसार, सामान्य सभा में महासंघ का प्रत्येक सदस्य बैंक का एक प्रतिनिधि जो या तो संबंधित सदस्य बैंक के निदेशक मंडल के प्रस्ताव, अथवा प्रशासक द्वारा, जहाँ निदेशक मंडल नहीं है, जिस नाम से भी कहा गया हो, नामित अध्यक्ष / सभापति अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। तदनुसार, सदस्य बैंकों को यह परामर्श दिया जाता है वह फेडरेशन को, सामान्य सभा के लिए अपने अपने प्रतिनिधि का नाम, निदेशक मंडल के प्रस्ताव के साथ सामान्य सभा की बैठक से न्यूनतम 10 दिन पहले सूचित करने का कष्ट करें।

कृपया अनिवार्य रूप से बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें

फेडरेशन के निदेशक मण्डल की आज्ञा से

स्थान: नवी मुंबई
दिनांक: 05 अगस्त 2026

हस्ता / –
(के. के. रविन्द्रन)
प्रबन्ध निदेशक

आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2025-26 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7% से अधिक की जीडीपी वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी। यह वृद्धि मजबूत घरेलू उपभोग, सुदृढ़ विनिर्माण तथा उच्च अवसंरचना व्यय से प्रेरित रही और इसे घटती मुद्रास्फीति तथा अधिक स्वस्थ बैंकिंग क्षेत्र का समर्थन प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.4% अनुमानित की गई, जो पूर्व अपेक्षाओं और अनुमानों से अधिक है। मजबूत घरेलू मांग वृद्धि का मुख्य आधार बनी रही। निजी उपभोग व्यय वर्ष के दौरान 5.8% से बढ़कर 7.7% हो गया, जिसे आयकर तथा जीएसटी की दरों में कमी से प्रोत्साहन मिला। सरकारी उपभोग में भी वर्ष के दौरान 6.6% की वृद्धि हुई। उच्च अमेरिकी प्रतिपूरक शुल्कों (US reciprocal tariffs) के प्रभाव के बावजूद निर्यात में 6.5% तथा आयात में 6.4% की वृद्धि हुई। आपूर्ति पक्ष पर सेवा क्षेत्र ने 2024-25 के 7.9% की तुलना में 9.5% की वृद्धि दर्ज की। औद्योगिक क्षेत्र में 8.8% वृद्धि हुई, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार 11.5% रहा। कृषि क्षेत्र ने अनुकूल मौसम की सहायता से 2.4% की वृद्धि दर बनाए रखी, हालांकि यह पिछले वर्ष के 4.2% से कम रही।

कृषि 2025-26

अनुमान है कि 2025-26 में कृषि क्षेत्र ने भारत की जीडीपी में 16.2% का योगदान दिया है। पिछले 10 वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में 3.5% से अधिक की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की विकास दर 2.3% रहने का अनुमान है, जबकि 2024-25 में यह 4.2% थी। 2025-26 के लिए अनुमानित कुल खाद्यान्न उत्पादन 348.65 मिलियन टन है, जो पिछले वर्षों के उत्पादन की तुलना में लगभग 5% की वृद्धि दर्शाता है; यह वृद्धि अनुकूल मौसम और प्रमुख फसलों के लिए अधिक बुवाई क्षेत्र के कारण हुई है। वर्ष के दौरान खरीफ और रबी के 2 प्रमुख कृषि मौसमों में कुल उत्पादन का लगभग समान हिस्सा था। वर्ष के दौरान गेहूं का उत्पादन 120.21 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जबकि 2024-25 में यह 117.94 मिलियन टन था। वर्ष के दौरान चावल का कुल उत्पादन 141 मिलियन टन रहने का अनुमान है। अनुमान है कि 2025-26 के दौरान दालों के उत्पादन में 7% की वृद्धि हुई है।

2025-26 के पहले नौ महीनों में खुदरा मुद्रास्फीति औसतन 1.7% रही, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 4.6% थी। मुद्रास्फीति दर लक्ष्य सीमा 2% से 6% से नीचे आने के कारण मौद्रिक नीति का ध्यान ब्याज दरों में नरमी तथा तरलता बढ़ाने पर केंद्रित रहा। तरलता बढ़ाने हेतु रेपो दर और नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में कमी सहित किए गए उपायों के परिणामस्वरूप 2025-26 के दौरान नए ऋणों पर औसत ब्याज दरों में 97 आधार अंकों (आधार अंक) की कमी आई। बैंक ऋण वृद्धि में तेजी आई और जनवरी 2026 में गैर-खाद्य ऋण वृद्धि 14.5% रही, जबकि जनवरी 2025 में यह 12.5% थी। बैंकिंग क्षेत्र समग्र रूप से स्वस्थ स्थिति में बना रहा, जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (जीएनपीए) सितंबर 2025 में घटकर 2.1% रह गई, जो मार्च 2025 में 2.3% थीं।

केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.8% से घटकर 2025-26 में अनुमानतः 4.4% रह गया, जिसका मुख्य कारण बजट से कम व्यय रहा। सरकार के कुल राजस्व में 10.1% की वृद्धि हुई, जो वर्ष के दौरान किए गए अनियोजित कर कटौतियों के कारण बजट अनुमान से कम रही।

कृषि, पशुपालन और डेयरी भारत की अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ हैं। ये क्षेत्र ग्रामीण रोजगार और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2025-26 के केंद्रीय बजट में कृषि को भारत के विकास के सबसे प्रमुख इंजन के रूप में रेखांकित किया गया, जिसमें उत्पादकता, किसानों की आय, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और प्रमुख वस्तुओं में आत्मनिर्भरता में सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया।

कृषि क्षेत्र में नीतिगत पहलें

कृषि के राज्य विषय होने के कारण, भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उचित नीतिगत उपायों और बजटीय आवंटन के माध्यम से राज्य के प्रयासों का समर्थन करती है। इन योजनाओं का उद्देश्य उत्पादन में बढ़ा कर किसानों के हितों में वृद्धि करना, लाभकारी प्रतिफल सुनिश्चित करना और आय में वृद्धि कराना है।

इनमें से एक उल्लेखनीय पहल 22 रबी और खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में निरन्तर वृद्धि है। कृषि वर्ष 2018-19 से, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक फसल के लिए अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50% का सीमांत धनराशि सुनिश्चित की है। इस मूल्य समर्थन का उद्देश्य भारत की आयात पर निर्भरता को कम करना तथा दालों, तेलो एवं वाणिज्यिक फसलों की ओर विविधीकरण को बढ़ावा देना भी है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) जैसी नीतिगत फसलों ने किसानों को आय तथा उनको वित्तीय सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन की है। 2019 में प्रारंभ की गई पीएम-किसान योजना के माध्यम से वर्ष के दौरान तीन बराबर किस्तों में प्रति चार माह में ₹6,000 का नियमित हस्तांतरण किया जाना भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। फरवरी 2025 तक, लगभग 100 मिलियन छोटे किसानों को 3.5 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार पीएम-केएमवाई के तहत नामांकित 24.66 लाख छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन लाभ प्रदान करती है।

कृषि क्षेत्र में भारत सरकार की अन्यप्रमुख उपक्रम निम्नलिखित हैं।

• प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

- एक नई योजना, जिसका लक्ष्य 100 कम उत्पादकता वाले जिले हैं।
- कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसलों में विविधता लाने, टिकाऊ कृषि पद्धतियों, सिंचाई और फसल कटाई के बाद भंडारण पर जोर।
- इससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की संभावना है।

• ग्रामीण समृद्धि और सुदृढ़ता कार्यक्रम

- कृषि क्षेत्र में अल्प-रोजगार की समस्या के समाधान हेतु एक बहु-क्षेत्रीय पहल।
- कौशल विकास, निवेश और प्रौद्योगिकी-आधारित बदलाव पर विशेष जोर।
- प्रथम चरण के अंतर्गत 100 कृषि-प्रधान जिलों को शामिल किया जाएगा।

• दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन

- छह साल का मिशन, जिसमें अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- जलवायु-अनुकूल बीजों का विकास।
- चार वर्षों तक नेफेड और एनसीसीएफ द्वारा खरीद के माध्यम से लाभकारी मूल्यों की गारंटी।

• सब्जियों और फलों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम।

- कुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से सब्जियों और फलों के उत्पादन को बढ़ावा देना।
- मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और बेहतर बाजार मूल्य सुनिश्चित करने पर विशेष जोर।
- राज्यों और किसान उत्पादक संगठनों के साथ साझेदारी में कार्यान्वयन।

• अधिक उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन

- अधिक उपज देने वाले, कीट-प्रतिरोधी और जलवायु-अनुकूल बीजों के लिए अनुसंधान को सुदृढ़ बनाना।
- जुलाई 2024 से जारी 100 से अधिक बीज किस्मों की व्यावसायिक उपलब्धता।

• कपास उत्पादकता मिशन

- कपास की पैदावार और उसकी निरंतरता को बेहतर बनाने के लिए पाँच साल का मिशन।
- कपास उगाने वाले किसानों को फायदा पहुँचाने के लिए एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल कपास को बढ़ावा देना।

- कपड़ा उद्योग के लिए 5F दृष्टिकोण के साथ तालमेल, जो खेत से रेशा (फार्म टू फाइबर), रेशा से कारखाना (फाइबर टू फैक्ट्री), कारखाना से फैशन (फैक्ट्री टू फैशन) और फैशन से विदेश (फैशन टू फॉरेन) तक की संपूर्ण विकास योजना है।
- **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण सीमा में बढ़ोतरी**
 - संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना के तहत ऋण सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया है।
 - इससे 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को लाभ होने की उम्मीद है।
- **असम में यूरिया संयंत्र**
 - असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक नया यूरिया संयंत्र।
 - इससे यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ने की उम्मीद।

पशुपालन और डेयरी

- **बिहार में मखाना बोर्ड**
 - मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित बोर्ड की स्थापना।
 - मखाना किसानों को किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के रूप में संगठित करना।
- **मत्स्य विकास ढाँचा**
 - अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपों पर विशेष ध्यान।
 - विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और गहरे समुद्र से मत्स्य संसाधनों का सतत दोहन।
 - समुद्री क्षेत्र की क्षमता को बढ़ावा देने और निर्यात बढ़ाने की उम्मीद।

क्रेडिट और वित्तीय समावेशन

- **ग्रामीण क्रेडिट स्कोर**
 - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसएचजी सदस्यों और ग्रामीण ऋण आवश्यकताओं के लिए एक रूपरेखा तैयार करेंगे।

- **सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण का विस्तार**
- उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए ₹5 लाख की सीमा वाले विशेष क्रेडिट कार्ड की शुरुआत।
- पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे।

अनुसंधान और बुनियादी ढांचा विकास

- **फसलों के जर्मप्लाज्म के लिए जीन बैंक**
 - भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइनों वाला एक दूसरा जीन बैंक।
- **कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास**
 - निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) के लिए बढ़ा हुआ सहयोग।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रमुख मौजूदा कार्यक्रम जारी रहेंगे:

- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)**
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना।
- **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि**
सरकार नियमित रूप से विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में संशोधन करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसानों को उनकी उपज के लिए एक सुनिश्चित न्यूनतम मूल्य प्राप्त होता है।
- **प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन**
सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के साथ-साथ किसानों की बाहरी साधनों पर निर्भरता को कम करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य, जैव विविधता, जलवायु अनुकूलन क्षमता और टिकाऊ कृषि को बेहतर बनाना है। प्राकृतिक खेती एक रसायन-मुक्त कृषि पद्धति है, जो पारंपरिक ज्ञान, स्थानीय कृषि-पारिस्थितिक सिद्धांतों और विविध फसल प्रणालियों पर आधारित है। प्राकृतिक खेती से

खेती की लागत और मिट्टी के क्षरण में कमी आती है, साथ ही उर्वरकों और कीटनाशकों से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम भी कम होते हैं; इस प्रकार यह पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करती है और जलवायु अनुकूलन क्षमता को बढ़ाती है।

• प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) और कृषोन्नति योजना (केवाई)

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) सतत कृषि को बढ़ावा देगी, जबकि कृषोन्नति योजना (केवाई) खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता के मुद्दों को संबोधित करेगी। इन योजनाओं को राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जाता है।

• खाद्य तेल – तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन

इस मिशन का उद्देश्य घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना और खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। इस मिशन को 2024-25 से 2030-31 तक सात साल की अवधि में लागू किया जाएगा। इसका लक्ष्य 2030-31 तक प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 69.79 मिलियन टन करना है, और साथ ही घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को भी बढ़ाकर 25.45 मिलियन टन तक पहुँचाना है, ताकि अनुमानित घरेलू जरूरत का लगभग 72% हिस्सा पूरा किया जा सके।

• प्रधानमंत्री सम्मान निधि (पीएम-किसान)

यह 2019 में शुरू की गई एक आय सहायता योजना है, जिसके तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि 3 बराबर किस्तों में प्रदान की जाती है। जून 2026 तक, 23 किस्तों के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसानों को 4.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।

• प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई)

पीएमकेएमवाई छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान शामिल हो सकते हैं, और 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर उन्हें हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन देने का प्रावधान है।

अब तक 24.96 लाख छोटे और सीमांत किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं।

• राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास और प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि करना है, जिसका लक्ष्य मांस, बकरी के दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन को बढ़ाना है।

• पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एचआईडीएफ)

इस योजना का उद्देश्य व्यक्तियों, उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, एफपीओ और धारा 8 कंपनियों (गैर-लाभकारी संगठनों) द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करना है, ताकि डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, मांस प्रसंस्करण, पशु चारा संयंत्र, नस्ल सुधार तकनीक और नस्ल गुणन फार्म, पशु चिकित्सा दवाओं और टीकों की अवसंरचना, तथा “कचरे से धन” (Waste to Wealth) प्रबंधन की स्थापना की जा सके।

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण प्रबंधन (एनएडीसीपी)

इस कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2030 तक एफएमडी और ब्रुसेल्लोसिस रोगों का उन्मूलन करना है।

‘सहकार-से-समृद्धि’ – सहकारिता मंत्रालय के प्रमुख उपक्रम

देश के प्रथम सहकारिता मंत्री के रूप में श्री अमित शाह के दूरदर्शी नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने जुलाई 2021 में गठन के बाद से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के “सहकार-से-समृद्धि” के स्वप्न को साकार करने के लिए अब तक 50 से अधिक उपक्रम किए गये हैं। इन उपक्रमों को नीचे दिए गए 34 प्रमुख शीर्षों के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

1. प्राथमिक सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय बनाने के लिए आदर्श उप-नियम

आदर्श उप-नियम, ग्रामवासियों की संपूर्ण ऋण तथा गैर-ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने वाली प्राथमिक सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय समितियों में परिवर्तित करने की एक प्रमुख पहल है। 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही पैक्स के आदर्श

उप-नियम को अपना लिया है और शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आदर्श उप-नियम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है।

2. कंप्यूटरीकरण के माध्यम से पैक्स को सुदृढ़ बनाना

सहकारिता मंत्रालय की इस पहल के तहत 79,630 पैक्स/वृहद क्षेत्र की बहुउद्देशीय समितियाँ (लैम्स) का कंप्यूटरीकरण प्रगति पर है।

3. प्रत्येक ग्राम पंचायत/गांव में बहुउद्देशीय पैक्स / दुग्ध/मत्स्य पालन सहकारी समितियों की स्थापना

इस योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में उन पंचायतों/गांवों में 2 लाख नए बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियाँ स्थापित की जाएंगी जो अब तक शामिल नहीं किए गए हैं।

4. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण कार्यक्रम

इस योजना में पैक्स स्तर पर गोदाम, कस्टम हायरिंग केंद्र, प्रसंस्करण इकाइयाँ, उचित मूल्य की दुकानों आदि जैसे कृषि बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है।

5. ई-सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) के रूप में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (पैक्स)

पैक्स के माध्यम से सीएससी सेवाएं प्रदान करने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच 02.02.2023 पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

6. पैक्स द्वारा नए किसान प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (FPOs) बनाना

एनसीडीसी किसानों को मार्केट लिंकेज और सही दाम दिलाने में मदद के लिए पैक्स द्वारा 1100 नए FPOs बनाने में मदद करेगा।

7. एलपीजी वितरण के लिए पैक्स की पात्रता

सहकारिता मंत्रालय की पहल पर, पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपने नियमों में बदलाव किया है और पैक्स को एलपीजी वितरण देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

8. पैक्स द्वारा चलाए जा रहे थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंप को बिक्री केंद्र में बदलने की अनुमति

पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंस पैक्स को बिक्री केंद्र में बदलने की भी अनुमति दे दी है।

9. नए पेट्रोल/डीजल पंप डीलरशिप के लिए पैक्स को प्राथमिकता।

पैक्स को नए रिटेल पेट्रोल/डीजल पंप एजेंसी में भी प्राथमिकता दी जाती है, जिसके लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी)/पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने दिशानिर्देश जारी किए हैं।

10. ग्रामीण स्तर पर जेनेरिक दवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए पैक्स को जन औषधि केंद्र के रूप में गठन

एमओसी की पहल के आधार पर, रसायन और उर्वरक मंत्रालय राज्य औषधि नियंत्रकों से दवा लाइसेंस के साथ पैक्स/सहकारी समितियों द्वारा ग्राम/ब्लॉक स्तर पर जन औषधि केंद्रों की सुविधा प्रदान करता है।

11. प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) के तौर पर पैक्स

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने पहले से उर्वरक वितरण सेंटर के तौर पर काम कर रहे पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) के तौर पर उन्नत करने का फैसला किया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से मिली जानकारी के मुताबिक, 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 38,190 पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) में उन्नत किया जा चुका है, शेष पर काम चल रहा है।

12. नाबार्ड की सहायता से बैंक मित्र सहकारी समितियों को माइक्रो-एटीएम उपलब्ध कराया जाना।

डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियों को भी नाबार्ड के

सहयोग से जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों का बैंक मित्र बनाया गया है, जिसमें माइक्रो-एटीएम लगाए गए हैं ताकि 'सुविधाजनक वित्तीय सुविधाएं' (डोर स्टेप वित्तीय सुविधाएं) दी जा सकें।

13. सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपये किसान क्रेडिट कार्ड

ग्रामीण सहकारी बैंकों की पहुंच और क्षमता का विस्तार करने तथा ग्रामीण सहकारी समितियों के सदस्यों को आवश्यक नकदी उपलब्ध कराने के लिए गुजरात के पंचमहल तथा बनासकांठा जिलों में एक अग्रगामी परियोजना शुरू की गई है।

14. पानी समिति के रूप में पैक्स

ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्स की पहुंच का उपयोग करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय की पहल पर, जल शक्ति मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर पैक्स को ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप जलपूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) का कार्य करने के लिए 'पानी समिति' के रूप में पात्र बनाने के लिए कहा है।

15. पैक्स स्तर पर पीएम-कुसुम योजना का अभिसरण

13 करोड़ किसान सदस्यों से जुड़े पैक्स की संरचना और पहुंच का लाभ उठाकर पंचायत स्तर पर विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

16. मछली पालक उत्पादक संगठन (एफपीपीओ) का गठन

मछुआरों को बाजार संपर्क प्रदान करने तथा प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करने के लिए, एनसीडीसी ने प्रारंभिक चरण में 70 एफपीपीओ को पंजीकृत किए हैं। भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने 225.50 करोड़ रुपये के अनुमोदित परियोजना के साथ 1000 मौजूदा मत्स्य सहकारी समितियों को एफपीपीओ में परिवर्तित करने के लिए एनसीडीसी को आवंटित किया है।

17. राष्ट्रीय स्तर पर तीन नई बहु-राज्य सहकारी समितियां

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन तथा माननीय

सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में, सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित तीन नई बहु-राज्य सहकारी समितियों की स्थापना में मदद की।

(i) निर्यात के लिए नई राष्ट्रीय स्तर की राज्यीय सहकारी समिति

बहुराज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम-2002 के अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र से निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु एक छत्र संगठन के रूप में एक नई राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) स्थापना की गई है। प्राथमिक से राष्ट्रीय स्तर तक की सहकारी समितियां जिनमें जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर के महासंघ और बहुराज्यीय सहकारी समितियां सम्मिलित हैं, इनकी सदस्य बन सकती हैं।

(ii) प्रमाणित बीजों हेतु नई बहु-राज्यीय सहकारी समिति

भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की स्थापना बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत एक छत्र संगठन के रूप में की गई है, जो एक ही ब्रांड नाम के तहत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन और वितरण करता है। राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों की सहकारी समितियां (प्राथमिक, जिला, राज्य स्तर) इसकी सदस्य बन सकती हैं। यह समिति किसानों को उन्नत बीजों की उपलब्धता बढ़ाएगी, फसलों की उत्पादकता को बढ़ावा देगी और किसानों की आय में वृद्धि करेगी।

(iii) जैविक खेती हेतु नई बहु-राज्यीय सहकारी समिति

राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) की स्थापना बहु-राज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के तहत एक छत्र संगठन के रूप में की गई है जो प्रमाणित और प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, तथा वितरण और विपणन के लिए काम करेगा। जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर के महासंघों, बहु-राज्यीय सहकारी समितियों तथा किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) सहित प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां इसकी सदस्य बन सकती हैं। इससे जैविक उत्पादों का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों का मुनाफा बढ़ेगा।

18. सहकारी समितियों के लिए बने आयकर कानून में राहत

- i. 1 से 10 करोड़ रुपये तक की आयवाली सहकारी समितियों के लिए आयकर पर अधिभार 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है।

इससे सहकारी समितियों पर आयकर का बोझ कम होगा तथा सदस्यों के लाभ के लिए काम करने के लिए उनके पास अधिक पूंजी उपलब्ध होगी।

- ii. सहकारिताओं के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) 18.5% से घटाकर 15% कर दी गई है।

इस प्रावधान से अब सहकारी समितियों और कंपनियों के मध्य इस परिप्रेक्ष्य में समानता आ गई है।

- iii. आयकर अधिनियम की धारा 269एसटी के तहत नकद लेनदेन में राहत।

आयकर अधिनियम की धारा 269 एसटी के तहत सहकारी समितियों द्वारा नकद लेनदेन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए, सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है कि एक सहकारी समिति द्वारा अपने वितरक के साथ दिन में किए गए 2 लाख रुपये से कम के नकद लेनदेन को अलग से माना जाएगा, और उस पर आयकर दंड नहीं लगेगी।

- iv. नई विनिर्माणकारी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए आयकर टैक्स में कटौती

सरकार ने तय किया है कि 31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण गतिविधियाँ शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों के लिए, पहले के 30% अतिरिक्त अधिभार की दर की तुलना में, 15% की एक समान दर से कर लगाया जाएगा। इससे विनिर्माण क्षेत्र में नई सहकारी समितियों को बनाने को बढ़ावा मिलेगा।

- v. पैक्स तथा पीसीएआरडी बैंको द्वारा नकद जमा तथा नगद ऋण राशि की सीमा में वृद्धि

सरकार ने पैक्स तथा प्राथमिक सहकारी कृषि और

ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) द्वारा नकद जमा तथा नगद ऋण की सीमा प्रति सदस्य 20,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रति सदस्य कर दी गई है। इस प्रावधान से उनके कार्य सम्पादन में सुविधा मिलेगी तथा उनका व्यवसाय बढ़ेगा और उनकी समितियों के सदस्यों को फायदा होगा।

- vi. नकद निकालने पर कर कटौती (टीडीएस) की सीमा में वृद्धि

सहकारी समितियों की स्रोत पर कर कटौती के बिना नकद निकासी की सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दिया है। इस प्रावधान से सहकारी समितियों के स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की बचत होगी व्यापार करने में आसानी होगी।

- vii. सहकारी समितियों को कम या जीरो कर कटौती प्रमाणपत्र पाने में मदद करना

धारा 194Q को धारा 197 के दायरे में 01.10.2024 से लाया गया है, जिससे करदाता उन लेन-देन के संबंध में कम/जीरो कटौती प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे जिनके लिए धारा 194Q के तहत टीडीएस अनुपालन की जरूरत होती है।

- viii. धारा 206C(1H) के तहत सामान की बिक्री पर टीसीएस को बेअसर कर दिया गया है।

धारा 206C (1H) में एक समाप्ति तिथि (सनसेट क्लॉज) जोड़ा गया है, जिससे 1 अप्रैल 2025 से इस धारा के नियम लागू नहीं होंगे।

19. केंद्रीय निबंधक कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण

केंद्रीय निबंधक कार्यालय को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकरण किया गया है ताकि नई सोसाइटी पंजीकरण और विनियामक अनुपालन (रेगुलेटरी कम्प्लायंस) के लिए बहु राज्य सहकारी समितियों के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र (डिजिटल इकोसिस्टम) बनाया जा सके।

20. बहु राज्यीय सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2023

बहु राज्यीय सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2023 को

१७वें संशोधन के प्रावधानों को मूल अधिनियम में शामिल करने और बहु राज्यीय सहकारी समितियों में शासन को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने, उत्तरदायित्व बढ़ाने, चुनाव प्रक्रिया को बेहतर बनाने आदि के लिए लागू किया गया था।

21. सहकारी चीनी मिलों का पुनरुद्धार

(i) सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत

सहकारी चीनी मिलों को किसानों को उचित एवं लाभकारी मूल्य या राज्य परामर्शित मूल्य तक गन्ने की ज्यादा कीमत देने पर अतिरिक्त आयकर नहीं देना होगा। इस प्रावधान से, सहकारी चीनी मिलें अब अपने सदस्य को गन्ने का उचित मूल्य दे पाएंगी तथा उन्हें इस उच्च व्यय पर आयकर में छूट मिलेगी। दिनांक 25.10.2021 को जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, यह प्रावधान 01.04.2016 से लागू है तथा तब से, सहकारी चीनी मिलों के माध्यम से किसान सदस्यों को यह फायदा मिल रहा है।

(ii) सहकारी चीनी मिलों के आयकर से जुड़े दशकों पुराने लंबित मुद्दों को समाधान

आयकर की धारा 155 में एक नई उपधारा 19(1) जोड़ी गई है, जिसके अनुसार सहकारी चीनी मिलों द्वारा 2016-17 से पहले गन्ना किसानों को किए गए भुगतान को व्यय माना जाएगा। राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ लिमिटेड की प्रतिवेदन (रिपोर्ट) के अनुसार, इससे सहकारी चीनी मिलों को 46,524 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है, जिससे दशकों से लंबित आयकर के मामले सुलझ गए हैं।

(iii) सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी चीनी मिलों सुदृढ़ करने के लिए एनसीडीसी में 10,000 करोड़ रुपए की एक विशेष निधि का गठन निजी मिलों के समान शर्तों पर सहकारी चीनी मिलों से पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा इथेनॉल की खरीद, गुड़ पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% करना, जिससे सहकारी चीनी मिलों से गुड़ की मांग बढ़ेगी, आदि सहकारिता मंत्रालय की पहल पर सहकारी चीनी क्षेत्र को दिए गए अन्य समर्थन हैं।

22. सहकारी बैंकों को होने वाली मुश्किलों का हल

माननीय केंद्रीय सहकारी मंत्री श्री अमित शाह के हस्तक्षेप पर, सहकारी बैंकों के अपने कारोबार में आने वाली कठिनाइयों का

अब निराकरण कर दिया गया है। नई शाखा खोलना, एकमुश्त योजना (ओटीएस) लागू करने, हाउसिंग लोन सीमा बढ़ाना, वाणिज्यिक अचल संपत्ति क्षेत्र को लोन देने, सहकारी समितियों को बिना जमानत के ऋण जारी करना, 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' में शामिल करने, अर्बन सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए समय-निर्धारण के नियम में छूट देना, यूसीबी के लिए छत्र संगठन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी आदि जैसी दिक्कतें, सहकारिता मंत्रालय के दखल से सहकारी बैंकों को दी गई कुछ अतिरिक्त सुविधाएं हैं।

23. सहकार टैक्सी

ओलाधुबर जैसा एक सहकारी टैक्सी सेवा ऐप रजिस्टर किया गया है, जिसमें बाइक/टैक्सी ड्राइवर सीधे सोसायटी के सदस्य होते हैं। इस सेवा का मकसद ड्राइवरों को कम से कम कमीशन कट के साथ ज्यादा वेतन देना है, साथ ही कम कीमत पर सबसे अच्छा ग्राहक अनुभव देना है। इस कोऑपरेटिव को अमूल, नैफेड, नाबार्ड, इफको, कृभको, एनडीडीबी और एनसीईएल प्रमोट करते हैं, जिसका अधिकृत शेयर पूंजी 300 रुपये करोड़ है। सहकार टैक्सी ऐप पर अब तक 7.97 लाख से अधिक ड्राइवर और 40.84 लाख ग्राहक पंजीकरण करा चुके हैं। इस योजना के 2029 तक पूरे देश में पहुँचने की उम्मीद है।

24. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) का विस्तार

(i) एनसीडीसी द्वारा सहकारी समितियों के लिए नई योजनाओं का प्रारंभ

एनसीडीसी द्वारा अलग-अलग क्षेत्र में सहकारी समितियों के लिए नई योजना प्रारंभ की गई हैं, जैसे स्वयं सहायता समूह के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार'; दीर्घकालीन कृषक ऋण के लिए 'दीर्घकालीन कृषक सहकार'; दुग्ध योजना के लिए 'दुग्ध योजना सहकार' और महिलाओं सहकारी संस्थाओं के लिए 'नंदिनी सहकार' आदि।

(ii) गहरे समुद्री जालदार जहाजों के लिए एनसीडीसी द्वारा वित्तीय सहायता

एनसीडीसी, मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार के समन्वय से गहरे समुद्र में चलनेवाले ट्रॉलरों से संबंधित

परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। एनसीडीसी ने महाराष्ट्र की मत्स्य सहकारी समितियों के लिए 44 गहरे समुद्र में चलनेवाले ट्रॉलरों की खरीद के लिए 25.95 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

25. मंत्रिमंडल ने सहकारी समितियों को 1 जून, 2022 को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पर "क्रेता" के तौर पर पंजीकृत करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 09 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में जीईएम पोर्टल पर सहकारी समितियों की ऑन-बोर्डिंग को ई-लॉन्च किया। सहकारी समितियां अब जीईएम के एकल मंच (सिंगल प्लेटफॉर्म) पर देश भर में मौजूद लगभग 60 लाख प्रामाणिक विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं से खरीदारी कर सकेंगी।

26. नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का गठन

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 जुलाई 2025 में पेश की गई थी। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का मकसद सहकारी क्षेत्र को आधुनिक बनाना और बढ़ाना है ताकि इसे 'विकसित भारत 2047' के लिए एक अहम इंजन बनाया जा सके।

27. नया राष्ट्रीय डेटाबेस सहकारिता नीति

सहकारिता मंत्रालय (एमओसी) राज्य सरकारों की सहायता से चरणबद्ध तरीके से प्रामाणिक और अद्यतन राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया में है। पहले चरण के तहत, पैक्स, डेयरी और मत्स्य पालन की लगभग 2.64 लाख समितियों की प्रतिचित्रण पूरी हो गई थी। दूसरे चरण में, राष्ट्रीय सहकारी समितियों और संघों की प्रतिचित्रण पूरी हो गई थी। अब तक, पिछले चरण में, लगभग 8.19 लाख सहकारी समितियों को डेटाबेस में शामिल किया गया है।

28. सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना

सहकारिता मंत्रालय की पहल पर संसद ने 1 अप्रैल 2025 को "त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक" पारित किया है। इस अधिनियम के तहत गुजरात के आनंद में राष्ट्रीय सहकारी

विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी है। आईआरएमए को भंग कर दिया जाएगा और यह स्वायत्त दर्जा प्राप्त त्रिभुवन विश्वविद्यालय के अंतर्गत आनेवाले विद्यालयों में से एक बन जाएगा। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में सहकारी क्षेत्र की आवश्यकताओं को आपूर्ति करने के लिए योग्य एवं कुशल जनशक्ति उपलब्ध कराना तथा सहकारी समितियों के कर्मचारियों और बोर्ड सदस्यों को प्रशिक्षण, शिक्षा और क्षमता निर्माण प्रदान करना शामिल है।

29. एनसीसीटी के माध्यम से प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देना

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी), सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है, जो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी विभागों के कर्मियों सहित देश भर में सहकारी समितियों के कर्मियों, सदस्यों तथा बोर्ड के सदस्यों के लिए सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

30. कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) का कंप्यूटरीकरण

दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को मजबूत करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय ने कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) के कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसमें हार्डवेयर खरीद, व्यापक उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) समाधान, डिजिटलीकरण, प्रशिक्षण तथा सहायता प्रदान करना, और सॉफ्टवेयर का रखरखाव आदि जैसे विभिन्न घटक होंगे। कंप्यूटरीकरण से एआरडीबी को विभिन्न लाभ मिलेंगे, जैसे कि बढ़ी हुई दक्षता, तेजी से ऋण वितरण, लेनदेन लागत में कमी, पारदर्शिता में वृद्धि और भुगतान में कम असंतुलन आदि।

31. राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में सहकारी समितियों के निबंधक के कार्यालय के कंप्यूटरीकरण की योजना

सहकारी समितियों के लिए व्यवसाय में सरलता में वृद्धि करने तथा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पारदर्शी कागज रहित विनियमन के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के

लिए, सहकारिता मंत्रालय ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी समितियों के निबंधक के कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत विकसित सॉफ्टवेयर संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के सहकारी अधिनियम पर आधारित होगा।

32. श्वेत क्रांति 2.0

भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता समितियों के माध्यम से रोजगार बढ़ाने, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने तथा दूध उत्पादन में सुधार करने के उद्देश्य से 'श्वेत क्रांति 2.0' की एक नई पहल प्रारंभ की है। इस पहल के प्रमुख उद्देश्य हैं डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में 50% की वृद्धि करना, उन क्षेत्रों में डेयरी किसानों को बाजार पहुंच प्रदान कराना है, जो अभी तक संगठित डेयरी क्षेत्र की परिधि में नहीं आये हैं और संगठित डेयरी क्षेत्र में डेयरी सहकारी समितियों की हिस्सेदारी को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

33. आत्मनिर्भरता अभियान

सहकारिता मंत्रालय ने आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए दालों (तुअर, मसूर और उड़द) के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इथेनॉल के उत्पादन के लिए मक्का के उत्पादन को प्रोत्साहित देने हेतु इस पहल की शुरुआत की है। राष्ट्रीय

ग्रामीण ऋण परिदृश्य

ऐतिहासिक रूप से, भारत में किसान, बड़े पैमाने पर संसाधन-गरीब रहे हैं और कृषि उत्पादन का समर्थन करने और खपत की जरूरतों को सुचारु करने के लिए उधार पर भारी निर्भरता रखते हैं। वर्षा-आधारित परिस्थितियों में खेती की अंतर्निहित अनिश्चितताओं को देखते हुए अक्सर शोषणकारी ब्याज दरों पर किसानों का बढ़ता ऋण लंबे समय से भारतीय कृषि की एक स्थायी विशेषता रही है।

उन्नीसवीं सदी के अंत तक कृषि के लिए संस्थागत ऋण लगभग नहीं था, हालांकि सरकार ने सूखे के वर्षों के दौरान कभी-कभी ऋण का विस्तार किया। किसानों को ऋण प्रदान

सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (एनएएफईडी) इस पहल के तहत केंद्रीय नोडल एजेंसियां हैं।

34. सहारा समूह की समितियों के निवेशकों को धन वापसी

सहकारिता मंत्रालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसके आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 29.03.2023 के आदेश के द्वारा सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों (सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड) के जमाकर्ताओं के वैध बकाया के वितरण के लिए सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5000 करोड़ रुपये केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।

22.12.2025 तक, 'सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल' पर लगभग 1.42 करोड़ आवेदन (96,555 करोड़ रुपये के दावे) प्राप्त हुए हैं। सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 40.33 लाख पात्र जमाकर्ताओं को 8845.12 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

करने के लिए सहकारी समितियों के गठन की अवधारणा केवल बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में उभरी, जिसका समापन सहकारी ऋण सोसायटी अधिनियम, 1904 के अधिनियमन में हुआ। यह किसानों के लिए संगठित संस्थागत ऋण की शुरुआत थी। समय के साथ, सहकारी संस्थाएं धीरे-धीरे देश भर में कृषि ऋण के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में विकसित हुईं, और ग्रामीण ऋण को सरकार से बढ़ती, नीतिगत ध्यान मिलना शुरू हो गया।

1904 के सहकारी ऋण समितियां अधिनियम को बाद में सहकारी समितियां अधिनियम, 1912 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसने सहकारी ऋण संस्थानों के लिए मजबूत कानूनी

मान्यता और अधिक संरचित ढांचे का प्रावधान किया। इस अवधि के दौरान एक और महत्वपूर्ण विकास प्रांतीय सहकारी बैंकों की स्थापना थी, जिसने तीन स्तरीय सहकारी ऋण संरचना की नींव रखी। हालांकि, इन सहकारी समितियों का संचालन काफी हद तक अल्पकालिक ऋण तक ही सीमित था।

साथ ही, किसानों को मौजूदा ऋणों से अपनी भूमि को छुड़ाने के लिए दीर्घकालिक ऋण की आवश्यकता थी, जिसमें अक्सर ब्याज भुगतान के रूप में उनकी फसल आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता था। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, 1920 के दशक की शुरुआत में दीर्घकालिक कृषि ऋण प्रदान करने के लिए भूमि बंधक बैंक स्थापित किए गए थे।

1920 में पंजाब में पहली भूमि बंधक बैंक की स्थापना के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में प्रांतीय और प्राथमिक स्तर पर इसी तरह के संस्थानों का गठन किया गया था। इन प्रयासों के बावजूद, संस्थागत ऋण की पहुंच बेहद सीमित रही। 1951 तक, केवल 3.3% किसानों को सहकारी ऋण तक पहुंच प्राप्त थी, जबकि 1% से भी कम को वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त हुआ था।

अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति (1954) ने देखा कि कृषि ऋण मात्रा में अपर्याप्त था, प्रकार में अनुचित था, और अक्सर इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचने में विफल रहा था। जबकि समिति ने सहकारी समितियों के कामकाज में कई कमियों की ओर इशारा किया, इसने ग्रामीण ऋण वितरण में उनकी संभावित भूमिका को भी मान्यता दी और प्रसिद्ध रूप से निष्कर्ष निकाला कि:

सहकारिता विफल हो गया है, लेकिन सहकारिता को सफल होना चाहिए।'

दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए, सहकारी संस्थानों, विशेष रूप से भूमि विकास बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने के लिए 1963 में कृषि पुनर्वित्त निगम (एआरसी) की स्थापना की गई थी। इसके बाद, ग्रामीण ऋण की उपलब्धता की समीक्षा करने और कृषि में संस्थागत वित्त के प्रवाह को बढ़ाने के लिए उपायों की सिफारिश करने के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति (1966) का गठन किया गया था।

समिति ने सिफारिश की, कि ग्रामीण ऋण के विस्तार में वाणिज्यिक बैंकों को सहकारी समितियों के साथ पूरक भूमिका निभानी चाहिए। इससे महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन हुए। 1969 में प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण नीति की शुरुआत के साथ, ग्रामीण ऋण में वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका का विस्तार करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया। उसी वर्ष, विकेंद्रीकृत ऋण योजना को बढ़ावा देने के लिए **लीड बैंक योजना** शुरू की गई, जिसमें प्रत्येक जिले को एक नामित वाणिज्यिक बैंक सौंपा गया।

हालांकि, इन सभी पहलों से कृषि को ऋण के प्रवाह में वांछित सुधार नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण यह था कि वाणिज्यिक बैंक छोटे और सीमांत किसानों की जरूरतों के प्रति पर्याप्त रूप से अनुकूल नहीं थे, जबकि सहकारी संस्थानों के पास ऋण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की स्थापना 1975 में, नरसिम्हम कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। आरआरबी को एक अलग बैंकिंग संरचना के रूप में कल्पना की गई थी, जिसमें ग्रामीण परिस्थितियों और समस्याओं के साथ स्थानीय परिचितता का सहकारी लाभ, वाणिज्यिक बैंकों की प्रबंधकीय विशेषज्ञता और वित्तीय संसाधनों का संयोजन था। इस प्रकार, 1970 के दशक के अंत तक, ग्रामीण ऋण वितरण के लिए एक बहु-एजेंसी प्रणाली भारत में उभरी, जिसमें सहकारी समितियां, वाणिज्यिक बैंक और आरआरबी शामिल थे।

इसके बाद, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए समिति की सिफारिशों के बाद, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना 1982 में की गई थी। नाबार्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी) के साथ-साथ कृषि ऋण पुनर्वित्त कार्यों के पूरे संचालन को अपने हाथ में ले लिया। अपनी स्थापना के बाद से, नाबार्ड विभिन्न ऋण संस्थानों को पुनर्वित्त सहायता, नीतिगत मार्गदर्शन और संस्थागत विकास सहायता प्रदान करके सतत और न्यायसंगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है।

१९९० के दशक में वित्तीय प्रणाली पर समिति (अध्यक्ष: श्री एम. नरसिम्हम, १९९१) की सिफारिशों के आधार पर बड़े वित्तीय क्षेत्र सुधारों की शुरुआत हुई। इस अवधि के दौरान, ग्रामीण वित्तीय प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए कई समितियां भी गठित की गईं। इनमें वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से कृषि ऋण पर उच्च स्तरीय समिति (आर.वी. गुप्ता समिति, १९९८), सहकारी ऋण प्रणाली के कामकाज का अध्ययन करने के लिए कार्य बल (जगदीश कपूर समिति, १९९९), ग्रामीण ऋण पर विशेषज्ञ समिति (वी.एस. व्यास समिति, २००१), और २००० के दशक की शुरुआत में वैद्यनाथन टास्क फोर्स। और II, अन्य और भी बहुत शामिल थी।

१९९० के दशक से लागू किए गए वित्तीय क्षेत्र के कई सुधार इन समितियों की सिफारिशों पर आधारित थे। हालाँकि, यह देखा गया है कि वाणिज्यिक बैंकों और आरआरबी से संबंधित

सिफारिशों को काफी हद तक लागू किया गया था, जबकि ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना को मजबूत करने से संबंधित सिफारिशों को आवश्यक नीतिगत ध्यान नहीं मिला। जबकि अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) पर वैद्यनाथन टास्क फोर्स की सिफारिशों को केवल आंशिक रूप से लागू किया गया था, दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) से संबंधित सिफारिशों को बड़े पैमाने पर नजरअंदाज कर दिया गया था और वे अभी भी कार्यान्वित नहीं हैं।

इन संरचनात्मक मुद्दों के बावजूद, पिछले दो दशकों में कृषि के लिए संस्थागत ऋण के प्रवाह में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। २००४-०५ से कृषि ऋण के लिए वार्षिक लक्ष्यों और उपलब्धियों से ऋण प्रवाह में विस्तार देखा जा सकता है।

(₹ करोड़ों में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां
२००४-०५	१,०५,००० (आधार वर्ष)	१,२५,३०९
२००५-०६	१,४१,५०० (३४.७६%)	१,८०,४८६ (४४.०३%)
२००६-०७	१,७५,००० (२३.६७%)	२,२९,४०१ (२७.१०%)
२००७-०८	२,२५,००० (२८.५७%)	२,५०,००० (८.९८%)
२००८-०९	२,८०,००० (२४.४४%)	३,०२,९०८ (२१.१६%)
२००९-१०	३,२५,००० (१६.०७%)	३,८४,५४१ (२६.९५%)
२०१०-११	३,७५,००० (१५.३८%)	४,६८,२९१ (२१.७८%)
२०११-१२	४,७५,००० (२६.६७%)	५,११,०२९ (९.१३%)
२०१२-१३	५,७५,००० (२१.०५%)	६,०७,३७५ (१८.८५%)
२०१३-१४	७,००,००० (२१.७४%)	७,३०,७६५ (२०.३२%)
२०१४-१५	८,००,००० (१४.२९%)	८,४५,३२८ (१५.६८%)
२०१५-१६	८,५०,००० (६.२५%)	९,१५,५०९ (८.३०%)
२०१६-१७	९,००,००० (५.८८%)	१०,६५,७५५ (१६.४१%)
२०१७-१८	१०,००,००० (११.११%)	११,६२,६१७ (९.०९%)
२०१८-१९	११,००,००० (१०.००%)	१२,५४,७६२ (७.९३%)
२०१९-२०	१३,५०,००० (२२.७३%)	१३,७३,७६६ (९.४८%)
२०२०-२१	१५,००,००० (११.११%)	१५,७५,३९८ (१४.६८%)
२०२१-२२	१६,५०,००० (१०.००%)	१८,६३,३६४ (१८.२८%)

2022-23	18,50,000 (12.12%)	21,55,000 (15.65%)
2023-24	20,00,000 (8.11%)	25,10,000 (16.47%)
2024-25	27,50,000 (37.50%)	28,69,000 (14.30%)
2025-26	32,50,000 (18.18%)	-

(स्रोत:- rbi-org-in, वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशन – नाबार्ड)

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए ₹32.50 लाख करोड़ का एक महत्वाकांक्षी ग्राउंड लेवल क्रेडिट (जीएलसी) लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य का उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में संस्थागत ऋण प्रवाह को और मजबूत करना है। विशेष रूप से, डेयरी, मुर्गी पालन, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी संबद्ध गतिविधियों के लिए ₹5 लाख करोड़ का उप-लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो ग्रामीण आय और कृषि विविधीकरण में उनके बढ़ते योगदान को पहचानता है।

पिछले कुछ वर्षों में, कृषि क्षेत्र में कुल ऋण प्रवाह में काफी विस्तार हुआ है। कृषि ऋण 2013–14 में ₹7.30 लाख करोड़ से बढ़कर 2024–25 में लगभग चार गुना ₹28.69 लाख करोड़ हो गया है, जो कृषि विकास का समर्थन करने में संस्थागत वित्त की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

हालांकि, संस्थागत ऋण वितरण तंत्र को दीर्घकालिक संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में संरचनात्मक सीमा का सामना करना पड़ता है। नाबार्ड द्वारा प्रदान की गई पुनर्वित्त सहायता मुख्य रूप से बैंकों को तरलता समर्थन के रूप में कार्य करती है, न कि एक निरंतर दीर्घकालिक वित्तपोषण तंत्र के रूप में। वाणिज्यिक बैंक, कई मामलों में, निवेश ऋण के लिए पुनर्भुगतान अवधि को कम करते हैं, जिससे किसानों को निवेश पर्याप्त आय उत्पन्न करना शुरू करने से पहले ही ऋण चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

इस संदर्भ में, दीर्घकालिक कृषि ऋण में एआरडीबी की हिस्सेदारी बढ़ाने पर वाईसी नंदा कार्य समूह के अवलोकन महत्वपूर्ण महत्व ग्रहण करते हैं। कार्य समूह ने देखा कि सहकारी बैंकों और आरआरबी के पास निवेश ऋण में अपनी हिस्सेदारी का विस्तार करने के लिए पर्याप्त दीर्घकालिक संसाधन नहीं हैं, जबकि कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबी) किसानों को दीर्घकालिक निवेश ऋण प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बने हुए हैं।

कार्यकारी समूह ने इस बात पर जोर दिया कि यदि एआरडीबी के माध्यम से निवेश ऋण की हिस्सेदारी का विस्तार किया जाना है, तो उन्हें नाबार्ड या अन्य उच्च वित्तपोषण एजेंसियों से उदार वित्त पोषण सहायता प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि एआरडीबी विशेष रूप से कृषि को दीर्घकालिक निवेश ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए थे। समूह ने आगे सुझाव दिया कि नाबार्ड की पुनर्वित्त नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, ताकि संस्था प्रतिबंधात्मक ऋण प्रथाओं को अपनाने के बजाय एआरडीबी को मजबूत करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सके।

यह भी बताया गया कि नाबार्ड आमतौर पर उधारकर्ता स्तर पर ऋणों की वसूली की स्थिति की परवाह किए बिना एआरडीबी से अपने पुनर्वित्त बकाया की वसूली कर रहा है। इस तरह की प्रथा एआरडीबी पर काफी वित्तीय दबाव डालती है, विशेष रूप से उन स्थितियों में जहां पुनर्प्राप्ति सामाजिक-आर्थिक या जलवायु कारकों से प्रभावित होती है। इसलिए कार्य समूह ने सिफारिश की, कि नाबार्ड को पुनर्वित्त किश्तों के लिए बाद में – अंतिम पुनर्भुगतान संरचना अपनाने पर विचार करना चाहिए, जिससे एआरडीबी प्रतिकूल वसूली स्थितियों का सामना कर सकें और जोखिम-साझाकरण दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकें।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर नीतिगत ध्यान देने की आवश्यकता है, वह कृषि निवेश ऋण पर लागू उच्च ब्याज दरें हैं। भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं कि फसल ऋण किफायती बने रहें। 3% की ब्याज सहायता के साथ, फसल ऋण पर प्रभावी ब्याज दर 4% प्रति वर्ष पर सीमित है, और राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त सहायता के साथ, कुछ राज्यों में फसल ऋण शून्य ब्याज पर उपलब्ध हैं।

हालांकि, कृषि के लिए निवेश ऋण के लिए समान उपायों का विस्तार नहीं किया गया है। निवेश ऋण के लिए नाबार्ड के पुनर्वित्त समर्थन में प्रति वर्ष लगभग 8.50% की ब्याज दरें हैं,

जिसके परिणामस्वरूप किसानों के लिए अंतिम उधार लागत प्रति वर्ष 12% और 14% के बीच होती है। फसल ऋण ब्याज दरों और निवेश ऋण ब्याज दरों के बीच यह महत्वपूर्ण अंतर कृषि निवेश के लिए एक प्रमुख निरुत्साहक के रूप में कार्य करता है, जिससे दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता प्रभावित होती है।

सरकार ने कृषि को वाणिज्यिक बैंकों के ऋण में कमी से उत्पन्न योगदान के माध्यम से वित्तपोषित नाबार्ड में एक दीर्घकालिक ग्रामीण ऋण निधि (एलटीआरसीएफ) की स्थापना की है। नाबार्ड इस निधि का उपयोग अपेक्षाकृत कम दरों पर निवेश ऋण के लिए पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने के लिए करता है, आम तौर पर अधिकतम पांच साल की अवधि के लिए। हालांकि, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडीबी) के लिए धन की लागत पर एलटीआरसीएफ का प्रभाव सीमित है, क्योंकि नाबार्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली समग्र वित्त पोषण सहायता में एलटीआरसीएफ की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम है। नाबार्ड के माध्यम से सहकारिता मंत्रालय द्वारा स्थापित 'एआरडीबी में सुधार, पुनर्गठन और नवाचार' पर अध्ययन ने एलटीआरसीएफ के तहत एआरडीबी को अलग-अलग राज्यवार आवंटन की सिफारिश की, जो पूरे वर्ष माँग के अनुसार टैप पर उपलब्ध होना चाहिए, ताकि एलटीआरसीएफ के तहत कम लागत वाले ऋण का उचित हिस्सा एआरडीबी को सुनिश्चित किया जा सके।

पिछले दशक में, सिंचित कृषि भूमि में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। फिर भी, भारत में लगभग 40-45% कृषि क्षेत्र वर्षा-आधारित बना हुआ है, जिससे कृषि वित्तपोषण स्वाभाविक रूप से जोखिम भरा हो जाता है। वर्षा-आधारित परिस्थितियों में कृषि को उधार देने में जलवायु परिवर्तनशीलता और उत्पादन जोखिम के कारण काफी अनिश्चितता शामिल है।

वर्तमान में, कृषि वित्तपोषण से जुड़ा पूरा जोखिम उधार देने वाली संस्थाओं द्वारा वहन किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का उच्च स्तर होता है। सहकारी ऋण संरचना के भीतर कई संस्थानों के लिए, विशेष रूप से एआरडीबी जो मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों की सेवा करते हैं, एनपीए का स्तर सहनीय सीमाओं से अधिक हो

गया है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर चुनौतियाँ पैदा हो रही हैं।

ऋण देने वाली संस्थाओं के वित्तीय स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले बढ़ते अतिदेय, किसानों के बीच वित्तीय साक्षरता की कमी, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता में लगातार असमानता और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने की उच्च लेनदेन लागत ग्रामीण ऋण में अन्य प्रमुख चुनौतियाँ हैं।

राष्ट्रीय सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक फेडरेशन लिमिटेड (नैफकार्ड)

फेडरेशन की स्थापना 1960 में दीर्घकालिक ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) के राष्ट्रीय शीर्ष संगठन के रूप में की गई थी। वर्तमान में, फेडरेशन की सदस्यता में 15 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) और 3 राज्य सहकारी बैंक (एससीबी) शामिल हैं, जिनके पास दीर्घकालिक ऋण के लिए अलग ढांचा नहीं है। फेडरेशन एक बहु-राज्य सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत है और अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध राष्ट्रीय संघों में से एक है।

फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों के संगठनात्मक उद्देश्यों और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हितों को बढ़ावा देना है और अपने व्यावसायिक कार्यों से संबंधित तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एक सामान्य मंच प्रदान करके सदस्यों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना है और सहकारी सिद्धांतों के अनुसार स्व-सहायता और आपसी सहायता के आधार पर ऐसी समस्याओं को हल करने के तरीके और साधन तैयार करना है। फेडरेशन का दृष्टिकोण अपने सदस्य संस्थानों को संसाधन-आधारित, सदस्य-संचालित वित्तीय सहकारी समितियों के रूप में विकसित और मजबूत करना है, जो अपने सदस्यों को ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं के माध्यम से सहायता करने में सक्षम हों, ताकि आय स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए उनकी विकासात्मक क्षमता का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके।

फेडरेशन, एलटीसीसीएस को मजबूत करने के लिए वित्तीय, कानूनी और नीतिगत सहायता के लिए संबंधित केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के साथ सक्रिय और लगातार

संपर्क में रहकर तथा सदस्य बैंकों को व्यापार विविधीकरण और विस्तार, संसाधन जुटाने, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी के उन्नयन और संचालन में दक्षता प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की सहायता सेवाएं प्रदान करके उपरोक्त दृष्टिकोण को साकार करने का प्रयास करता है।

फेडरेशन की गतिविधियों में राष्ट्रीय स्तर पर एआरडीबी के कामकाज का समन्वय करना, केंद्र और राज्य सरकारों, नाबार्ड, आरबीआई आदि के साथ कानूनी और नीतिगत मुद्दों को उठाना, एलटीसीसीएस से संबंधित आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन,

सेमिनार, कार्यशालाओं, अध्ययन यात्राओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना, संस्थागत विकास, व्यवसाय विविधीकरण और विस्तार आदि पर मार्गदर्शन और सलाह देना शामिल है।

केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत एआरडीबीएस का कंप्यूटरीकरण, ऋण और वसूली प्रणालियों को सुव्यवस्थित करने के लिए आंतरिक सुधार और संसाधन जुटाने के लिए रास्ते का विस्तार, व्यवसाय विकास योजनाएं आदि वर्तमान में फेडरेशन के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं।

दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना – विहंगावलोकन

31 मार्च 2026 तक दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) में 15 एससीएआरडीबी शामिल हैं, जिनमें से 12 पूरी तरह से कार्यात्मक हैं। ये बैंक जमीनी स्तर पर 1,835 खुदरा दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से काम करते हैं।

एलटीसीसीएस के पास कुल 91.75 लाख ग्रामीण परिवारों की सदस्यता है, जिनमें से 38.19 लाख सदस्य बकाया ऋण वाले उधार सदस्य हैं। 31 मार्च 2026 तक, इन बैंकों के कुल बकाया ऋण ₹23,050.45 करोड़ रुपये थे, जबकि उनकी बकाया उधार ₹13,186.02 करोड़ रुपये थी। 31 मार्च 2025 को ₹22,260.89 करोड़ से वर्ष के दौरान एससीएआरडीबी के कुल बकाया ऋण में

3.55% की वृद्धि हुई।

31 मार्च 2026 को एससीएआरडीबी के पास कुल बकाया जमा ₹2,611.48 करोड़ था, जबकि 31 मार्च 2025 को यह ₹2,387.45 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.38% की वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंकों ने पिछले वर्ष के ₹6,868.69 करोड़ के मुकाबले ₹7,423.93 करोड़ के ऋण वितरित किए, जो 8.08% की वृद्धि दर्शाता है।

31 मार्च 2026 को जमीनी स्तर पर कुल वसूली प्रदर्शन 43.90% था, जो पिछले वर्ष में दर्ज 41.59% से थोड़ा बेहतर है, जो ऋण वसूली में निरंतर चुनौतियों को दर्शाता है।

पिछले 2 वर्षों के लिए दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना का अवलोकन

(करोड़ में ₹.)

क्रम संख्या	विवरण	वर्ष के दौरान	
		2024-25	2025-26*
1.	एससीएआरडीबी की संख्या		
	i. पूरी तरह से कार्यात्मक	13	12
	ii. अन्य	3	3
2.	परिचालन इकाइयों का जाल		
	i. एससीएआरडीबी की शाखाएँ	657	612
	ii. पर्यवेक्षी इकाइयाँ	90	88
	iii. पीसीएआरडीबी	610	610
	iv. पीसीएआरडीबी शाखाएँ	520	525
	कुल	1,877	1835
3.	व्यक्तियों की सदस्यता	92,68,978	91,74,846
4.	सदस्यता उधार लेना	38,71,050	36,22,984
5.	ऋण बकाया	22,260.89	23,050.45

6.	ऋण वितरित किया गया	6,868.69	7,423.93
7.	बकाया उधार	13,186.02	13,052.88
8.	जमा बकाया	2,387.45	2,611.48
9.	31 मार्च तक ऋण वसूली की स्थिति		
A.	अंतिम उधारकर्ताओं के स्तर पर	2024-25	2025-26
	i. मांग	16,857.28	17,591.85
	ii. ऋण वसूली	7,011.22	7,722.87
	iii. शेष	9,846.06	9,868.99
	iv. वसूली %	41.59	43.90
B.	एससीएआरडीबी स्तर पर	2024-25	2025-26
	i. मांग	14,684.51	16,730.57
	ii. ऋण वसूली	6,463.55	7,706.53
	iii. शेष	8,220.96	9,024.04
	iv. वसूली %	44.02	46.06
10.	लाभ की राशि	209.49	274.15
	लाभ में बैंकों की संख्या	9	7
11.	हानियों की राशि	198.12	82.18
	घाटे में बैंकों की संख्या	4	2
12.	कर्मचारियों की स्थिति		
	i. एससीएआरडीबी स्तर (शीर्ष)	4,287	4,229
	ii. पीसीएआरडीबी स्तर (भूमि)	3,870	3,767
	कुल	8,157	7,996

* वर्ष के दौरान केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने अपने अव्यवहार्य कामकाज और संचित नुकसान के कारण जम्मू और कश्मीर एससीएआरडीबी को समाप्त करने का निर्णय लिया।

प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ

- एलटीसीसीएस को मुख्य रूप से गैर-संसाधन आधारित ऋण एजेंसी के रूप में डिजाइन किया गया है।
 - इस संरचना में संस्थाओं को बीआर अधिनियम के तहत आने वाले बैंकों के रूप में कार्य करने का लाइसेंस नहीं दिया गया है और इसलिए उन्हें अन्य ग्रामीण वित्तीय संस्थानों की तरह मार्केट से संसाधन जुटाने की अनुमति नहीं है।
 - ऋण वितरण संसाधनों के लिए बहुत अधिक मात्रा में नाबार्ड के पुनर्वित्त पर निर्भर रहना पड़ता है।
 - हालांकि, राज्य सरकार की गारंटी की व्यवस्था करने में कठिनाइयों और जोखिम रेटिंग के आधार पर पुनर्वित्त के

लिए पात्रता शर्तों को पूरा करने में विफलता के कारण 2000 के दशक की शुरुआत से नाबार्ड का पुनर्वित्त समर्थन लगातार घट रहा है।

- श्री वाई.सी. नंदा, पूर्व अध्यक्ष, नाबार्ड की अध्यक्षता में निवेश ऋण में एआरडीबी की हिस्सेदारी बढ़ाने पर कार्य समूह (2017) ने सरकार की गारंटी या संपार्श्विक के बिना उनकी भारमुक्त गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियों और अन्य गुणात्मक मानदंडों के आधार पर एससीएआरडीबी को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए एक नया अतिरिक्त पुनर्वित्त उत्पाद शुरू करने के लिए नाबार्ड को सिफारिश की है। नाबार्ड को अभी तक इस सिफारिश को लागू करना है।

- दीर्घकालिक उधारकर्ताओं को फसल ऋण देने में असमर्थता, जिससे कृषि निवेश और ऋण चुकौती से प्रतिफल प्रभावित होता है।
- भारत सरकार की फसल ऋण ब्याज सहायता योजना एआरडी बैंकों पर लागू नहीं किया गया है।
- एआरडी बैंकों के दीर्घकालिक ऋणी सदस्य आम तौर पर अन्य एजेंसियों से फसल ऋण लेने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनकी जमीन एआरडीबी के साथ गिरवी रखी जाती है।
- फसल ऋण की अनुपलब्धता इन किसानों की आय और ऋण अदायगी की क्षमता को प्रभावित करती है।

बढ़ती रिकवरी जलवायु

- पिछले कुछ वर्षों में जमीनी स्तर पर कुल वसूली लगभग 50% के आसपास है।
- यद्यपि, वितरित ऋण भूमि के बंधक किये जाने से सुरक्षित हैं, फिर भी कई राज्यों में कृषि भूमि बेचकर ऋण की वसूली किया जाना मुश्किल है।
- निवेश ऋण के साथ-साथ उत्पादन ऋण/कार्यशील पूंजी ऋण देने में संरचना की अक्षमता उन ऋणी उधारकर्ताओं को निवेश का पूरा लाभ देने से वंचित करता है जो अन्य एजेंसियों से अल्पकालिक ऋण प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं।
- अल्पकालिक ऋण उत्पादों और बचत उत्पादों की अनुपस्थिति में, एआरडी बैंक उधारकर्ताओं के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने में असमर्थ हैं, जो कि पुनर्भुगतान में सुधार के लिए आवश्यक है।
- कर्ज माफी, यहां तक कि संकटग्रस्त किसानों की मदद के लिए एक बार के उपाय के रूप में की गई हो, भविष्य में और ऋण माफी की और अधिक उम्मीदों को जन्म देती है, जिससे परिणामस्वरूप वे लोग भी स्वेच्छा से ऋण भुगतान करना बंद कर बकायादार बन जाते हैं, जो भुगतान करने की क्षमता रखते हैं।

वित्तीय क्षेत्र सुधारों से एआरडीबी को बाहर रखना।

- सरकार की प्रायोजित योजनाओं में भारी अतिदेय राशि,

पर्याप्त लागत लाभ की अनुमति दिए बिना विनियमित ब्याज दरों की लंबे व्यवस्था तथा योजना के तहत बड़े खाते में डाले गए ऋणों की पूरी तरह से प्रतिपूर्ति किए बिना 1990 में केंद्र सरकार द्वारा ऋण माफी योजना के कार्यान्वयन के तहत संरचना के वित्तीय निष्पादन 90 के दशक में गिरना शुरू हो गई।

- जबकि 90 के दशक से पुनरुपजीकरण सहित वित्तीय क्षेत्र के सुधारों ने वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी और एसटीसीसीएस को इस तरह के नुकसान को दूर करने में मदद की, एआरडीबी वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से बाहर रहे हैं।

- यद्यपि वैद्यनाथन टास्क फोर्स – II (2006) ने सुधारों और पुनरुपजीकरण से युक्त एक पुनरुद्धार पैकेज की सिफारिश की थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था।

सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से उठाए गए मुद्दे और सुझाव

- (i) **एआरडी बैंकों का कंप्यूटरीकरण** – सहकारिता मंत्रालय ने अब आईटी हस्तक्षेप के माध्यम से सहकारी समितियों को मजबूत करने की केंद्र प्रायोजित परियोजना के तहत एआरडी बैंकों के कंप्यूटरीकरण के लिए एक योजना शुरू की है। इस परियोजना के तहत कुल अनुमानित लागत 119.40 करोड़ रुपये पर 13 पूरी तरह से कार्यात्मक एससीएआरडी बैंकों की 1851 परिचालन इकाइयों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। योजना कार्यान्वयन के अधीन है। योजना का कार्यान्वयन जो मूल रूप से 2025-26 के दौरान पूरा होने वाला था, अब मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है।
- (ii) **एससीएआरडी बैंकों को बैंकिंग लाइसेंस** – सरकार द्वारा नियुक्त कई समितियों, जिनमें कपूर समिति (1999), वैद्यनाथन टास्क फोर्स II (2006) और हाल ही में नाबार्ड के माध्यम से सहकारिता मंत्रालय द्वारा एआरडी बैंकों में सुधार, पुनर्गठन और नवाचारों पर अध्ययन में भारतीय रिजर्व बैंक को विवेकपूर्ण शर्तों के अधीन एससीएआरडी बैंकों को बैंकिंग लाइसेंस देने पर विचार करने और इसके लिए मानदंड तैयार करने की सिफारिश की।

- (iii) **फसल ऋण ब्याज माफी योजना को एआरडी बैंकों में लागू करना** – अपने दीर्घकालिक सहकारी साख संरचना में दीर्घकालिक ऋणी सदस्यों के लिए फसल ऋण ब्याज छूट योजना की अनुपलब्धता एक गंभीर मुद्दा है, जो उनकी आय और चुकाने की क्षमता को प्रभावित करता है। सहकारिता मंत्रालय ने पहले ही इस मुद्दे को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ उठाया है।
- (iv) **नाबार्ड के दीर्घकालिक ग्रामीण ऋण निधि (एलटीआरसीएफ) के स्वरूप में एनसीडीसी के साथ दीर्घकालिक निधि की स्थापना की गई है**, जिसे कृषि के लिए वाणिज्यिक बैंकों के ऋण में कमी से स्थापित किया गया है। इसमें एनसीडीसी को ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों को बाजार दर की तुलना में काफी कम ब्याज दर पर दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए धन प्रदान करने में सहायता मिलेगी।
- (v) **एआरडी बैंकों के जमा संग्रहण के लिए डीआईसीजीसी बीमा कवरेज का विस्तार** – यद्यपि एआरडी बैंकों को सदस्यों के जमा संग्रहण तथा जनता से उनकी सावधि जमा स्वीकार करने की अनुमति है, लेकिन जमा राशियों के लिए बीमा कवरेज की कमी के कारण जमा संग्रहण में अधिक प्रगति नहीं हुई है।
- (vi) **सिबिल और अन्य क्रेडिट सूचना कंपनियों में एससीएआरडी बैंकों की सदस्यता** वर्तमान में एससीएआरडी बैंकों को क्रेडिट संस्थानों की सूची में शामिल नहीं किया गया है, जिन्हें क्रेडिट सूचना कंपनियां (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) के तहत क्रेडिट सूचना कंपनियों के सदस्य बनने का आदेश दिया गया है। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों की सदस्यता से एससीएआरडी बैंकों को बाहर करने के परिणामस्वरूप लगभग 47 लाख ग्रामीण परिवारों के क्रेडिट इतिहास को भी बाहर रखा जाता है, जिनके पास एआरडी बैंकों का लगभग 23,500 करोड़ रुपये के बकाया ऋण हैं जो उनके क्रेडिट स्कोर को निर्धारित करता है। नतीजन, एआरडी बैंकों के जानबूझकर चूक करने वाले भी सिबिल या अन्य क्रेडिट सूचना कंपनियों द्वारा उन्हें दिए गए क्रेडिट स्कोर के आधार पर अन्य संस्थानों से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जो एआरडी बैंकों के साथ

उनके क्रेडिट इतिहास को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इसलिए, क्रेडिट सूचना कंपनियों में एससीएआरडी बैंकों की सदस्यता आवश्यक है, ताकि एआरडी बैंकों के ऐसे उधारकर्ताओं को क्रेडिट सूचना कंपनियों द्वारा दिए गए क्रेडिट स्कोर को अधिक सटीक और विश्वसनीय हो सके। यह एआरडी बैंकों को ऋणों के पुनर्भुगतान में जानबूझकर चूक को काफी हद तक कम करने में भी मदद करेगा। यह देखा गया है कि यद्यपि क्रेडिट सूचना कंपनियां (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) के तहत क्रेडिट संस्थानों की परिभाषा में एससीएआरडी बैंकों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, धारा 2(एफ)(vii) भारतीय रिजर्व बैंक को “किसी अन्य संस्था को शामिल करने का अधिकार देता है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक इस खंड के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकता है”। फेडरेशन ने भारतीय रिजर्व बैंक को यह सूचित किया कि वह क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ)(vii) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों के सदस्यों के रूप में शामिल किए जाने के लिए अनिवार्य क्रेडिट संस्थानों की सूची में एससीएआरडीबी को शामिल करने पर विचार करे।

- (vii) **एआरडी बैंकों में सुधार, पुनर्गठन और नवाचारों का अध्ययन** – सहकारिता मंत्रालय ने नाबार्ड के नैबकॉन्स के माध्यम से एआरडी बैंकों में सुधार, पुनर्गठन और नवाचारों पर एक अध्ययन किया है। अध्ययन रिपोर्ट में क्षेत्र के सभी मुद्दों को शामिल किया गया है और उन्हें संबोधित करने के लिए सिफारिशें की गई हैं। सहकारिता मंत्रालय ने टिप्पणियों के लिए रिपोर्ट राज्य सरकारों को परिचालित की है। राज्य सरकारों द्वारा टिप्पणियां प्रस्तुत करने के बाद अध्ययन समूह की सिफारिशों को लागू करने के लिए समय-सीमा के साथ कार्य योजना को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।
- (viii) एआरडी बैंक देश में सबसे पुराने सावधि ऋण देने वाले संस्थान हैं, जिनके पास कृषि अवसंरचना के वित्तपोषण में 100 से अधिक वर्षों के अनुभव हैं। हालांकि, कृषि अवसंरचना निधि योजना जो किसानों को ब्याज छूट और ऋण गारंटी सहायता का लाभ प्रदान करती है, एआरडी बैंकों को नहीं दी जाती है। कृषि अवसंरचना

निधि को एससीएआरडी बैंकों तक विस्तारित करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।

- (ix) **नाबार्ड की पुनर्वित्त नीतियों में सुधार** – कम जोखिम श्रेणी में एससीएआरडीबी बैंकों के मामले में भी पुनर्वित्त देने के लिए सरकारी गारंटी/सावधि जमा को बंधक रखने की शर्त को समाप्त करना, पात्रता मानदंडों को कड़ा करके एससीएआरडीबी को पुनर्वित्त के वार्षिक आवंटन में लगातार गिरावट की प्रवृत्ति को उलटना, उधारकर्ताओं की उत्पादन ऋण/कार्यशील पूंजी की जरूरतों का समर्थन करने के लिए प्रावधान करना, ग्रामीण परिवारों की विविध ऋण जरूरतों को कवर करने के लिए पुनर्वित्त के लिए पात्र उद्देश्यों का विस्तार करना, कृषि ऋण में जोखिम साझा करना आदि एआरडी बैंकों से संबंधित नाबार्ड की पुनर्वित्त नीतियों में आवश्यक कुछ सुधार हैं। हालांकि, नाबार्ड इस संबंध में विभिन्न समितियों की सिफारिशों के प्रति गैर-उत्तरदायी बना हुआ है, जिसमें सहकारिता मंत्रालय द्वारा स्थापित “एआरडी बैंकों में सुधार, पुनर्गठन और नवाचार” पर नवीनतम अध्ययन भी शामिल है।
- एमओसी ने 23 दिसंबर 2025 को एक बैठक बुलाई, जिसमें नाबार्ड के माध्यम से सहकारिता मंत्रालय द्वारा किए गए “एआरडीबी में सुधार, पुनर्गठन और नवाचार” पर अध्ययन में सिफारिशों पर विस्तार से चर्चा की गई। उक्त बैठक में प्रस्तावित रूप में, महासंघ ने नाबार्ड के एआरडी बैंकों के पुनर्वित्त से संबंधित मुद्दों की एक व्यापक सूची प्रस्तुत की, जिसे सहकारिता मंत्रालय और नाबार्ड द्वारा विचार किया जाएगा।

नाबार्ड रिपोर्ट में अनुशंसित पुनर्वित्त नीतियों में सुधार की सिफारिशें की गईं।

- मुख्य रूप से सरकारी गारंटी की शर्त और कठोर पात्रता मानदंडों के कारण अन्य एजेंसियों की तुलना में नाबार्ड द्वारा वितरित पुनर्वित्त की मात्रा में एससीएआरडी बैंकों की हिस्सेदारी में गिरावट की प्रवृत्ति रही है। इस मुद्दे को हल करने के लिए एससीएआरडी बैंकों के संबंध में

नाबार्ड की पुनर्वित्त नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

- नाबार्ड एलटीआरसीएफ के तहत एससीएआरडीबी के लिए विशेष रूप से एलटीआरसीएफ के तहत कम लागत वाले फंडों की हिस्सेदारी को एआरडीबी में बढ़ाने के लिए एक अलग आवंटन देने पर विचार कर सकता है।
- नाबार्ड को एससीएआरडीबी को पुनर्वित्त देने के लिए सरकारी गारंटी की शर्त को माफ करने की आवश्यकता है, जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं और कम जोखिम श्रेणी में आते हैं।
- वर्तमान में, एससीएआरडी बैंकों को एलटीआरसीएफ के तहत रियायती पुनर्वित्त का उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। इसलिए, नाबार्ड को विशेष रूप से एससीएआरडी बैंकों के लिए एलटीआरसीएफ के तहत एक अलग आवंटन देने पर विचार करना चाहिए, जो पूरे वर्ष के लिए चालू रहना चाहिए।
- नाबार्ड एआरडीबी को ऋण देने के लिए एसटीसीसीएस के लिए पुनर्वित्त नीति विकसित करने पर विचार कर सकता है।
- यद्यपि, एआरडी बैंक नाबार्ड की स्थापना के बाद से एनएफएस गतिविधियों का वित्तपोषण कर रहे हैं, कृषि अवसंरचना निधि के तहत लाभ एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी तक नहीं बढ़ाया गया है। नाबार्ड, इसलिए, एआरडी बैंकों को भी कृषि अवसंरचना निधि योजना का विस्तार करने पर विचार कर सकता है।
- नाबार्ड से अनुदान सहायता के साथ प्रत्येक एससीएआरडी बैंकों में व्यवसाय योजना एवं रिकवरी सेल के रूप में एक स्थायी संरचना स्थापित की जानी चाहिए, जो केंद्रित ध्यान दे सके।
- अध्ययन दल ने नाबार्ड को संशोधित दिशानिर्देश जारी करने की सिफारिश की है, ताकि एससीएआरडी बैंक अपनी अधिशेष निधि को ऋण म्यूचुअल फंड और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकें ताकि बेहतर रिटर्न के लिए पहले से ही सहकारी बैंकों के मामले में अनुमति दी गई है।

केंद्रीय बजट 2026-27

केंद्रीय बजट 2026-27, जो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था, आर्थिक विकास को बनाए रखने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के राजकोषीय रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। बजट में उच्च सार्वजनिक निवेश को राजकोषीय अनुशासन के साथ संतुलित करने की कोशिश की गई है, जबकि कृषि, विनिर्माण, एमएसएमई और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों का समर्थन किया गया है।

कुल सरकारी व्यय लगभग 53.5 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए लगभग 12.2 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय पर जोर दिया गया है। उत्पादकता बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए परिवहन, लॉजिस्टिक्स, रेलवे, डिजिटल बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्रों में प्रमुख निवेश की योजना बनाई गई है। सरकार ने राजकोषीय समेकन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 4.3% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को भी बनाए रखा है।

बजट में कृषि और ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं बनी हुई हैं। जलवायु अनुकूल कृषि, डिजिटल खेती और पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। कृषि ऋण में वृद्धि और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश से किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

बजट में घरेलू उत्पादन में सुधार और आयात पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, दुर्लभ पृथ्वी खनिज और जैव प्रौद्योगिकी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है, जो भारत की दीर्घकालिक औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए समर्थन को

ऋण तक बेहतर पहुंच, सरलीकृत अनुपालन तंत्र और उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित निधियों के माध्यम से और मजबूत किया गया है। इन उपायों का उद्देश्य रोजगार सृजन और निर्यात वृद्धि में एमएसएमई की भूमिका को बढ़ाना है।

कराधान के क्षेत्र में, सरकार ने कर अनुपालन को सरल बनाने और कारोबार करने में आसानी में सुधार करने के लिए उपाय पेश करते हुए, बड़े पैमाने पर मौजूदा आयकर संरचना को बरकरार रखा है। कुछ कर प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने और स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने के प्रयास भी किए गए हैं।

बजट में प्रौद्योगिकी, नवाचार और डिजिटल बुनियादी ढांचे पर और जोर दिया गया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म में निवेश शामिल है। कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर निरंतर ध्यान समावेशी विकास और मानव पूंजी विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

बजट समावेशी विकास और ग्रामीण विकास के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने पर निरंतर जोर को भी दर्शाता है। इस वर्ष घोषित समर्थन में प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए अधिक क्षेत्रों में कर कटौती का विस्तार करना, सहकारी क्षेत्र के भीतर दोहरे कराधान से बचने के लिए अंतर-सहकारी लाभांश आय पर कर राहत और कृषि निर्यात को मजबूत करने और किसानों के लिए बाजार पहुंच के लिए राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) को 450 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है।

कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट 2026-27 का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के विस्तार को बढ़ावा देकर, घरेलू विनिर्माण को मजबूत करके, कृषि और एमएसएमई को समर्थन देकर और नवाचार को प्रोत्साहित करके भारत की विकास गति को बनाए रखना है, साथ ही राजकोषीय स्थिरता को बनाए रखना है। बजट आने वाले दशकों में "विकसित भारत" प्राप्त करने के सरकार के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

वर्ष के दौरान प्रमुख विकासों/घटनाओं की विशेषताएं

एससीएआरडीबी की व्यवसाय विकास योजनाएं

फेडरेशन ने 2022 में 2022-23 से 2027-28 की अवधि के लिए राज्य-वार वार्षिक लक्ष्यों के साथ एलटीसीसीएस के लिए व्यवसाय विकास योजना तैयार की और उसके बाद 2047-48 तक प्रत्येक 5 वर्षों के लिए मील के पत्थर के लक्ष्य निर्धारित किए। इसके बाद, इर्मा द्वारा किए गए अध्ययन ने ऋण, उधार सदस्यता, एनपीए में कमी आदि के लिए अलग-अलग लक्ष्यों के साथ अमृत काल के दौरान व्यवसाय की वृद्धि के लिए अनुमान भी लगाए।

सदस्य बैंकों के परामर्श से फेडरेशन द्वारा तैयार व्यवसाय विकास योजना में बैंक के अनुसार अनुमानों और इर्मा (आईआरएमए) अध्ययन में किए गए अनुमानों और वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदर्शन के आधार पर, एससीएआरडीबी को वर्ष 2026-27 के लिए अपनी वार्षिक व्यवसाय योजना तैयार करने की सलाह दी गई है।

उधार

जबकि फेडरेशन द्वारा तैयार किए गए बीडीपी में ऋण देने के लिए विकास लक्ष्य प्रति वर्ष लगभग 20% अनुमानित था, इर्मा अध्ययन ने एससीएआरडीबी की वित्तीय, मानव संसाधन और बुनियादी ढांचागत क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए ऋण देने में 13.6% वार्षिक वृद्धि का सुझाव दिया।

यह देखा गया है कि 2025-26 के दौरान वार्षिक ऋण पिछले वर्ष की तुलना में 18.35% अधिक था, जिसमें 2 बैंकों, अर्थात् उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने औसत से काफी कम प्रदर्शन किया।

वर्ष 2026-27 के दौरान कुल वार्षिक ऋण में 15 से 18% की वृद्धि का लक्ष्य यथार्थवादी माना जाता है, जिसमें (i) उधार सदस्यता में वृद्धि, (ii) नियमित पुनर्भुगतान करने वाले दीर्घकालिक उधारकर्ताओं की अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण सीमा का विस्तार और वर्ष के दौरान नए ऋण, (iii) स्वर्ण ऋण सहित अल्पकालिक ऋण के लिए लक्ष्य और (iv) बीमा सेवाओं से आय, सुरक्षित जमा लॉकर प्रदान करना, बहु-सेवा गतिविधियों को करना आदि जैसे गैर-निधि आधारित व्यवसायों के लिए उप-लक्ष्य शामिल हैं।

जमा जुटाना

एआरडीबी द्वारा व्यवसाय विविधीकरण सीधे जमा में वृद्धि से संबंधित है। अल्पकालिक उत्पादों जैसे स्वर्ण ऋण, दीर्घकालिक उधारकर्ताओं को ऋण सीमा आदि के वित्तपोषण के लिए जमा जुटाने की आवश्यकता है। इस अवधि के दौरान जमा में समग्र वृद्धि 17.50% पर प्रभावशाली थी, जिसमें गुजरात में 54.23% की उच्चतम वृद्धि दर दर्ज की गई, इसके बाद तमिलनाडु में 32.69%, हिमाचल प्रदेश में 24.86% और केरल में 18.70% की वृद्धि दर्ज की गई।

सभी जमा लेने वाले एससीएआरडीबी को जमा में न्यूनतम 10% वार्षिक वृद्धि सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि नए जमा से रिडेम्पशन मांग को पूरा करने के लिए जमा द्वारा वित्त पोषित ऋण में उचित वृद्धि के बजाय जमा में बकाया जमा हो। राजस्थान और हरियाणा दो प्रमुख बैंक हैं जो वर्तमान में जमा राशि जुटा नहीं पा रहे हैं। इसी तरह, उत्तर प्रदेश नए जमा स्वीकार नहीं करके जमा जुटाने के कार्यक्रम को बंद करने की प्रक्रिया में प्रतीत होता है। जबकि उत्तर प्रदेश एसजीवीबी को जमा बढ़ाने के लिए नए सिरे से प्रयास करने की आवश्यकता है। राजस्थान और हरियाणा को इस वर्ष से जमा स्वीकार करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि एआरडीबी में ग्रामीण क्षेत्र से जमा राशि जुटाने की अपार क्षमता है और जमा राशि ही व्यवसाय विविधीकरण और विस्तार के लिए धन का एकमात्र विश्वसनीय स्रोत है, विशेष रूप से अल्पकालिक ऋण उत्पादों को पेश करने में।

एनपीए

कुल मिलाकर एनपीए की स्थिति पिछले वर्ष की तरह 37% पर बनी हुई है। जबकि गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और पांडिचेरी सकल एनपीए को कम नहीं कर सके, पंजाब, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश ने वर्ष के दौरान सकल एनपीए में वृद्धि दर्ज की। प्रमुख बैंकों में, केरल ने वर्ष के दौरान 0.18% की वृद्धि के बावजूद 31.03.2026 को 13.21% के मध्यम स्तर पर सकल एनपीए को बनाए रखा। एससीएआरडीबी को 5 वर्षों की समय सीमा में सकल एनपीए को 10% से नीचे लाने के लिए सालाना न्यूनतम 5% की कमी का लक्ष्य निर्धारित करने की सलाह दी गई है।

सूचना प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के माध्यम से सहकारी समितियों को मजबूत करने की केंद्र प्रायोजित परियोजना के तहत एआरडीबी का कंप्यूटरीकरण

भारत सरकार ने दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को संचार के माध्यम से एआरडीबी के कंप्यूटरीकरण और डिजिटल पोर्टल के विकास तथा सहकारी समितियों और केंद्र शासित प्रदेशों के रजिस्ट्रार के कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए अलग-अलग घटकों के साथ "सूचना प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के माध्यम से सहकारी समितियों को मजबूत बनाना" की केंद्र प्रायोजित परियोजना के कार्यान्वयन की घोषणा की।

परिचय

- इस स्कीम में एलटीसीसीएस की 1851 ऑपरेशनल यूनिट्स का कंप्यूटराइजेशन शामिल है, जैसा कि नीचे दिया गया है।

एससीएआरडीबी का प्रधान कार्यालय	: 13
एससीएआरडीबी के कार्यालयों को नियंत्रण/पर्यवेक्षण करना	: 126
एससीएआरडीबी की शाखाएँ	: 619
पीसीएआरडीबी	: 606
पीसीएआरडीबी की शाखाएँ	: 487
कुल	: 1851

- स्कीम के घटकों का परिव्यय

1. हार्डवेयर इकाइयाँ	— 4127 @रु.1.53 लाख प्रत्येक
2. डिजिटलीकरण	— रु. 24.03 करोड़
3. सहायता प्रणाली	— रु. 16.80 करोड़
4. सॉफ्टवेयर का अनुकूलन	— रु. 15.51 करोड़
कुल परिव्यय	— रु. 119.40 करोड़

- इस स्कीम को लागू करने की समय-सीमा, जो पहले 2025-26 के दौरान पूरी होनी थी, अब मार्च 2027 तक बढ़ा दी गई है।
- 13 पूरी तरह से कार्यात्मक एससीएआरडीबी में से यह योजना वर्तमान में केरल, पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर एससीएआरडीबी को छोड़कर 10 बैंकों में लागू की

जा रही है। जबकि पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित कंप्यूटरीकरण योजना लगभग पूरी हो चुकी है, केरल को राज्य सरकार की मंजूरी के अभाव में अभी तक कार्यान्वयन शुरू करना है।

- हालांकि जम्मू और कश्मीर एससीएआरडीबी को भी इस योजना में शामिल किया गया है, लेकिन राज्य सरकार भारी संचित नुकसान के कारण बैंक के परिसमापन पर विचार कर रही है, इसलिए योजना का कार्यान्वयन शुरू नहीं किया गया है।

सॉफ्टवेयर

इस योजना में एआरडीबी द्वारा पैक्स (पीएसीएस) के कंप्यूटरीकरण के लिए विकसित कॉमन सॉफ्टवेयर का उपयोग भी अपेक्षित है, जिसमें आवश्यक परिवर्तन भी शामिल हैं। कॉमन सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली इंटेलेक्ट इंफॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को एआरडीबी की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन के लिए नाबार्ड द्वारा नियुक्त किया गया था। हालांकि, इंटेलेक्ट इंफॉर्मेटिक्स ने 2 साल बाद भी सॉफ्टवेयर को अंतिम रूप देने में ज्यादा प्रगति नहीं की। भारत सरकार ने हाल ही में इंटेलेक्ट इंफॉर्मेटिक्स को दिए गए अनुबंध को रद्द कर दिया है और कॉमन सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए एक नए विक्रेता को अंतिम रूप देने के लिए उपलब्ध विकल्पों की सिफारिश करने के लिए भारत सरकार, चुनिंदा राज्य सरकारों, नाबार्ड, फेडरेशन और एनआईसी के प्रतिनिधियों से युक्त एक समिति का गठन किया है। उम्मीद है कि भारत सरकार को सौंपी गई समिति की रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही नए विक्रेता को अंतिम रूप दिया जाएगा।

एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी के लिए प्रारूप (ड्राफ्ट) राज्य अधिनियम और सामान्य उपनियम तैयार करना

एकल उत्पाद के गैर-संसाधन आधारित ऋणदाता के रूप में एलटीसीसीएस के मूल डिजाइन ने वर्षों से सदस्यों की बदलती जरूरतों के अनुसार अपने व्यवसाय में विविधता लाने और उनकी ऋण आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने में गंभीर प्रतिबंध लगाए हैं। यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा अतीत में ग्रामीण ऋण से

संबंधित विभिन्न समितियों ने एलटीसीसीएस में संरचनात्मक कमियों और प्रणालीगत अंतराल की जांच की और सुधारात्मक उपायों की सिफारिश की, लेकिन ऐसी सिफारिशों पर आगे की कार्रवाई के अभाव में, विशेष रूप से राज्य सरकारों के स्तर पर, ये मुद्दे आज भी अनसुलझे हैं। नाबकॉन्स के माध्यम से सहकारिता मंत्रालय द्वारा किए गए एलटीसीसीएस “एआरडीबी में सुधार, पुनर्गठन और नवाचार” पर सबसे हालिया अध्ययन ने एक बार फिर इन मुद्दों को ध्यान में लाया।

अध्ययन दल ने ग्रामीण क्षेत्र की बढ़ती ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण देने, व्यवसाय में विविधता लाने और विस्तार करने के लिए संसाधनों को बढ़ाने और राज्यों में संरचना में संस्थानों द्वारा स्थायी व्यवसाय स्तर बनाए रखने के लिए एलटीसीसीएस के कानूनी और नीतिगत ढांचे में सुधार के लिए 51 सिफारिशें की हैं। अध्ययन की संशोधित रिपोर्ट में एआरडीबी के पुनर्गठन का एक प्रस्ताव भी शामिल है जिसमें व्यवहार्य इकाइयों का राज्य सहकारी बैंकों/जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के साथ विलय और अव्यवहार्य इकाइयों का परिसमापन शामिल है। हालांकि, फेडरेशन ने अध्ययन रिपोर्ट में अनुशंसित सुधारों को लागू करने के लिए सहकारिता मंत्रालय और नाबार्ड का प्रतिनिधित्व किया है, जिससे 3 से 5 वर्षों की समय सीमा के भीतर संपूर्ण संरचना को स्थायी व्यवहार्यता प्राप्त करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

अध्ययन रिपोर्ट में एलटीसीसीएस से संबंधित राज्य कानूनों में संशोधन की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है और रिपोर्ट के अनुलग्नक-24 में विभिन्न राज्यों में एआरडीबी अधिनियमों में शामिल किए जाने वाले आवश्यक खंडों को सूचीबद्ध किया गया है।

सहकारिता मंत्रालय का मत है, कि एआरडीबी के मॉडल उपनियमों को पैक्स के मॉडल उपनियमों की तर्ज पर तैयार किया जा सकता है।

कुछ राज्यों ने उपरोक्त कुछ प्रावधानों को शामिल करने के लिए अपने अधिनियमों में संशोधन किया है, जबकि कोई भी राज्य अधिनियम इन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि पर, फेडरेशन ने विभिन्न राज्यों में एआरडीबी से संबंधित राज्य अधिनियम/कानूनों में विशिष्ट क्षेत्रों/खंडों की पहचान करने और संशोधित अधिनियमों के आधार पर

एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी के लिए मॉडल उपनियम तैयार करने के उद्देश्य से एक परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा।

22 जुलाई 2025 को बोर्ड द्वारा अपनी बैठक में अनुमोदित किए जाने के बाद, महासंघ ने श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव, महाप्रबंधक, नाबार्ड (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा राज्य एआरडीबी अधिनियमों में आवश्यक राज्य-वार संशोधन तैयार करने और एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी के मॉडल उपनियम तैयार करने के लिए परियोजना शुरू की। टीम में श्री आर.के. श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड (सेवानिवृत्त) भी शामिल हैं।

मॉडल बाय-लॉज – पीसीएआरडीबी

प्रमुखताएँ

परिचय और परिभाषाएँ

नाम, पता और कार्यक्षेत्र

वेबसाइट और ईमेल

‘गेहान’ शब्द को पेश किया गया है और इसे एआरडीबी के पक्ष में चल संपत्ति पर एक विशेष शुल्क के रूप में परिभाषित किया गया है, जो उधारकर्ताओं द्वारा लिखित में एक साधारण घोषणा द्वारा बैंक के संबंधित अधिकारी के समक्ष निष्पादित किया जाता है, जो ऋण के माध्यम से अग्रिम/अग्रिम धन के भुगतान को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, जिसमें वैध बंधक की सभी विशेषताएं होंगी।

उद्देश्य और गतिविधियाँ

पैक्स के मॉडल उपनियमों में सभी कार्य और गतिविधियाँ अतिरिक्त गतिविधियों के रूप में शामिल हैं, जिसमें उत्पादन/कार्यशील पूंजी, व्यक्तिगत और उपभोग उद्देश्यों के लिए अल्पकालिक ऋण शामिल हैं।

कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियों के उत्पादों के लिए पश्चगामी और अग्रगामी संबंधों के विकास के लिए ऋण (कृषि मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण)।

सदस्यों के लाभ के लिए स्थानीय निकायों / सरकारें / विश्वविद्यालयों/ सोसाइटियों/ कंपनियों के साथ सहयोग।

उद्देश्यों में सहकारी समितियों के मूल्यों और सिद्धांतों को बढ़ावा देना भी शामिल है।

- युवाओं और महिलाओं को शामिल करने पर ध्यान दें और प्रोत्साहित करें।
- राष्ट्रीय सहयोग नीति 2025 के उद्देश्यों को पूरा करना।

सदस्यता

- एसएचजी, जेएलजी के लिए सदस्यता अतिरिक्त रूप से खोली गई।
- न्यूनतम शेयरधारिता रु.1000 /—, वाणिज्यिक सदस्यता के लिए रु. 500 /— शुल्क।
- सदस्यों की अयोग्यता
- सक्रिय सदस्यता – न्यूनतम सेवाएं
 - न्यूनतम जमा राशि रु. 5000 /—
 - न्यूनतम ब्याज भुगतान रु. 5000 /—
 - 2000 /— रुपये से सेवाओं का लाभ उठाना
 - 5000 /— रुपये की कीमत का सामान खरीदना

मतदान अधिकार

- 45 दिनों की नोटिस के बाद भी डिफॉल्टर बने रहने वाले सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं है।
- वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों को, जो अपनी गतिविधियों को प्रभावित करते हैं और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर द्वारा विधिवत प्रमाणित हैं, उन्हें डाक मतपत्र की सुविधा दी जा सकती है।

उधार शक्ति

- नेट वर्थ का 25 गुना।
- पीसीएआरडीबी एससीएआरडीबी के पास ऋण जमा का न्यूनतम 30% जमा करेगा।

ऋण और अग्रिम

- इसमें अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक शामिल हैं।

सामान्य सभा

- बैठकें
 - वार्षिक आम बैठक,
 - विशेष आम सभा की बैठक
 - मांगी गई सामान्य निकाय बैठक

गणपूर्ति

- कुल सदस्यों का 1/4वां हिस्सा, अधिनियम और नियमों में दिए गए न्यूनतम के अधीन।
- कोरम की कमी के कारण बैठक स्थगित करना और वार्षिक आम बैठक के मामले में बैठक आयोजित करने के लिए वैधानिक समय सीमा से पहले एक घंटे के बाद या किसी अन्य तारीख पर स्थगित बैठक को फिर से बुलाना।

प्रबंधन समिति

- अयोग्यता के आधार
- महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए सीटों का आरक्षण।
- एआरडीबी से संबंधित पेशेवर अनुभव के साथ प्रबंधन समिति में अधिकतम 2 व्यक्तियों का सह-विकल्प।
- कार्यकाल 5 वर्ष के रूप में निर्धारित किया जाएगा।
- चुनाव द्वारा आकस्मिक रिक्तियों को भरना, यदि शेष अवधि मूल अवधि के आधे से अधिक है।

प्रबंधन समिति की बैठकें

- एक वर्ष में न्यूनतम छह बैठकें।
- 7 दिन का नोटिस।
- गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50% या 6 सदस्य, जो भी अधिक हो।
- प्रबंधन समिति द्वारा निर्वाचित पदाधिकारी।

— प्रबंधन समिति की सदस्यता समाप्त करने के आधार।

— प्रबंधन समिति की शक्तियां और कर्तव्य।

अध्यक्ष और उसकी शक्तियाँ

मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उसके कर्तव्य

- शाखाओं का उद्घाटन प्रबंधन समिति द्वारा तय किया जाएगा, जो इस उद्देश्य के लिए अंतिम रूप दिए गए मानदंडों के अधीन होगा।
- गैर-सदस्यों को भुगतान पर क्रेडिट के अलावा अन्य सेवाएं दी जा सकती हैं इसके लिए निर्धारित शुल्क।

आंतरिक नियंत्रण

- वार्षिक खातों को वित्तीय वर्ष बंद होने के 30 दिनों के भीतर अंतिम रूप दिया जाना है।
- आरसीएस/एससीएआरडीबी द्वारा अनुपालन के लिए निर्धारित लेखा प्रणाली।
- खातों की पुस्तकें रखी जानी हैं।
- रखरखाव की जाने वाली पुस्तकों और रजिस्ट्रों की सूची।
- सीईओ सभी रिकॉर्ड का संरक्षक होगा।
- पीसीएआरडीबी की शाखाओं के आंतरिक ऑडिट का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण और आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग।
- आंतरिक लेखापरीक्षा, पूर्व-लेखापरीक्षा और समवर्ती लेखापरीक्षा से संबंधित कार्य को आउटसोर्स करने का प्रावधान।

विलय और विभाजन

- देयता, स्थानांतरण, विभाजन और समामेलन / विलय।
- 2 या अधिक पीसीएआरडीबी में विभाजन।
- एससीएआरडीबी, एक अन्य पीसीएआरडीबी या डीसीसीबी के साथ विलय करने का प्रावधान।

संबद्धता और सदस्यता

- एससीएआरडीबी के साथ अनिवार्य संबद्धता।
- डीसीसीबी से संबद्ध होने का प्रावधान।
- सहकारी संघ के साथ संबद्धता का प्रावधान।
- राष्ट्रीय क्षेत्रीय महासंघ के साथ संबद्धता का प्रावधान।

सहायक संगठन को बढ़ावा देना

- पीसीएआरडीबी के बताए गए उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए।

ग्राहक सुरक्षा और विवाद

- पीसीएआरडीबी शिकायतों के निवारण के लिए एक समर्पित नोडल अधिकारी के साथ शिकायत/शिकायत निवारण की व्यापक योजना को अपनाएगा।

ऋण के लिए सुरक्षा

- सदस्यों को जारी किए गए ऋण निम्नलिखित में से एक या अधिक द्वारा सुरक्षित किए जाएंगे।
 - (i) भूमि और/या अन्य अचल संपत्ति का बंधक।
 - (ii) स्थायी जमा पर ग्रहणाधिकार।
 - (iii) सोने/सोने के आभूषणों की जमा राशि।
 - (iv) बीमा पॉलिसी
 - (v) तृतीय पक्ष गारंटी
 - (vi) परिसंपत्तियों का ग्रहणाधिकार
 - (vii) जेएलजी/एफपीओ आदि के माध्यम से समूह ऋण में पारस्परिक गारंटी।

परिसमापन

सदस्य बैंकों के उधारकर्ताओं को बीमा सेवाओं के विस्तार के लिए सामान्य व्यवस्था का प्रस्ताव

- फेडरेशन के बोर्ड ने 29 जनवरी 2026 को हुई अपनी बैठक में सदस्य बैंकों के सदस्यों/ग्राहकों को बीमा सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार किया।
- बोर्ड ने देखा कि सदस्य बैंक वित्तपोषित परिसंपत्तियों का बीमा करने के लिए ऋण गतिविधियों के हिस्से के रूप में बीमा उत्पादों की पर्याप्त मांग उत्पन्न करते हैं, जो ज्यादातर मामलों में ऋण की अवधि के दौरान अनिवार्य है। बोर्ड को लगा कि उधारकर्ताओं को बीमा सेवा की सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सामान्य व्यवस्था उधारकर्ताओं के लिए कई बीमा कंपनियों से प्रतिस्पर्धी दरों को प्राप्त करके फायदेमंद होगी।
- यह बैंकों के लिए वित्तपोषण का एक अतिरिक्त स्रोत भी होगा क्योंकि बीमा कंपनियां ब्रोकिंग फर्म के साथ प्रीमियम राशि का एक हिस्सा साझा करती हैं जो उत्पाद के प्रकार के आधार पर सामान्य बीमा से 10-20% से लेकर जीवन बीमा उत्पादों के मामले में 30% तक भिन्न होता है।
- बोर्ड से उम्मीद है कि वह जल्द ही इस विषय पर अंतिम निर्णय ले लेगा।

सहकारी ऋण संस्थानों के सामने आने वाली चुनौतियों की समग्र रूप से जांच करने के लिए कार्य बल का गठन

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 ने सहकारी ऋण संस्थानों के सामने आने वाली चुनौतियों की समग्र रूप से जांच करने और दीर्घकालिक ऋण के मुद्दों सहित इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए कार्य बल के गठन की सिफारिश की है और एससीबी और डीसीसीबी आदि के जमा में वृद्धि करने की सिफारिश की है।

कार्यदल की संरचना निम्नानुसार है।

उप. प्रबंध निदेशक, नाबार्ड	: अध्यक्ष
प्रबंध निदेशक, नैफ्सकॉब	: सदस्य
प्रबंध निदेशक, नैफकार्ड	: सदस्य
निदेशक, सहकारी बैंकिंग, एमओसी	: सदस्य
महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक, विषय से संबंधित नाबार्ड एचओ	: सदस्य सचिव

यह भी उल्लेख किया गया कि कार्यदल निम्नलिखित संस्थानों के अधिकारियों/प्रतिनिधियों को विशिष्ट विषयों पर चर्चा के लिए आमंत्रित कर सकता है।

- राज्य सहकारी विभाग
- राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी)
- जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी)
- कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबी)
- प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स)

कार्यदल के लिए विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं।

- सहकारी ऋण संस्थानों (एसटीसीबी, डीसीसीबी, पीएसीएस, एआरडीबी) द्वारा शासन, प्रौद्योगिकी, व्यवसाय और मानव संसाधन के क्षेत्रों में सामना की जाने वाली संरचना, कामकाज और विभिन्न चुनौतियों की जांच करना।
- विभिन्न क्रेडिट सहकारी संस्थानों को मजबूत करने/पुनर्गठन पर विभिन्न समितियों की सिफारिशों की जांच करना।

iii. शासन, प्रौद्योगिकी, व्यवसाय, मानव संसाधन और आउटरीच को कवर करते हुए सहकारी ऋण संस्थानों के समग्र विकास और मजबूती के लिए समयसीमा और मील के पथर के साथ रणनीतियों, व्यापक कार्य योजना और रोडमैप की सिफारिश करना।

iv. अधिक लोकतांत्रिक और आत्मनिर्भर सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कानूनी और संस्थागत परिवर्तनों का सुझाव देना।

v. ऋण सहकारी संस्थानों को मजबूत करने में आरबीआई, नाबार्ड, एनसीडीसी, एनडीडीबी, राज्य सरकारों और अन्य सहकारी संस्थानों जैसे विभिन्न हितधारकों की भूमिका की रूपरेखा तैयार करना।

vi. एमआईएस और डैशबोर्ड के विकास सहित कार्य बल की अनुशंसित गतिविधियों/योजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक समीक्षा और निगरानी तंत्र की सिफारिश करना।

vii. क्रेडिट सहकारी संस्थानों को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रस्तावित उपचारात्मक रणनीतियों और कार्यों के वित्तीय निहितार्थों का आकलन करना।

कार्यदल को त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट के साथ 2 साल की प्रारंभिक अवधि दी गई है।

एनसीडीसी और आईसीए (एपी) क्रेडिट और बैंकिंग के लिए नामांकन

- अध्यक्ष, श्री डोलर कोटेचा को इस साल एनसीडीसी सामान्य परिषद के सदस्य के तौर पर नामित किया जाता रहेगा (एनसीडीसी अधिनियम की धारा 3(4)(xvii) के तहत)।
- प्रबंध निदेशक, श्री के.के. रवींद्रन को नवंबर 2025 में कोलंबो में हुई आईसीए-एपी की क्षेत्रीय सभा में क्रेडिट और बैंकिंग पर आईसीए-एपी समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।

सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष (आईवाईसी) 2025 – वर्ष 2025-26 के दौरान की गतिविधियाँ

(1) आईवाईसी 2025 “सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करता है” पर संगोष्ठी

फेडरेशन ने 27 मार्च 2025 को चेन्नई, तमिलनाडु में ‘सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है’ विषय पर अपना पहला आईवाईसी 2025 संगोष्ठी आयोजित किया। इस संगोष्ठी में फेडरेशन द्वारा तैयार किए गए आईवाईसी 2025 के पृष्ठभूमि नोट संगोष्ठी में जारी किए गए। फेडरेशन ने अपनी वेबसाइट nafcard-org (लिंक: <https://nafcard-org/blog>) में आईवाईसी पर एक अलग अनुभाग शुरू किया है। फेडरेशन और उसके सदस्य बैंकों ने लेटरहेड, अन्य स्टेशनरी, कार्यक्रमों के पोस्टरों आदि में आईवाईसी 2025 लोगो का उपयोग करना शुरू कर दिया है।



(2) आईसीए-एपी और नैफकार्ड का सहकारी शिक्षण कार्यक्रम – अंतर्राष्ट्रीय अनुभव यात्रा

फेडरेशन ने आईसीए-एपी की क्रेडिट और बैंकिंग समिति और नैफकार्ड के सहकारी शिक्षण कार्यक्रम के तहत 21 से 25 जुलाई 2025 तक एक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव यात्रा का आयोजन किया। इसने प्रतिभागियों की अपनी सहकारी संस्थाओं में विकास, नवाचार और स्थिरता लाने की क्षमता को काफी बढ़ाया। गुजरात एससीएआरडीबी (खेती बैंक) ने इस शिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी की। इस कार्यक्रम में इंडोनेशिया, जॉर्डन, नेपाल, श्रीलंका, वानुअतु और फिलिस्तीन से 20 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिससे वैश्विक सहयोग, ज्ञान के आदान-प्रदान और “सहकारिताओं के बीच सहयोग” तथा “सहकार से समृद्धि” के दृष्टिकोण को मजबूती मिली। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों की इस यात्रा ने क्षेत्रीय सहयोग, ज्ञान के हस्तांतरण और सहकारी उत्कृष्टता के लिए एक मजबूत नींव रखी। प्रतिनिधियों ने “एक पेड़ माँ के नाम” पहल के तहत वृक्षारोपण अभियान में भी भाग लिया।



(3) राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 पर कार्यशाला

फेडरेशन ने 13 सितंबर 2025 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में 'राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025' पर एक कार्यशाला आयोजित की। हिमाचल प्रदेश एससीएआरडीबी ने इस कार्यक्रम की मेजबानी की; यह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी राज्य-स्तरीय फेडरेशनों के सहयोग से 13-14 सितंबर 2025 के दौरान शिमला में आयोजित आईवाईसी राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन के साथ मिलकर आयोजित किया गया था।



(4) 'स्वच्छता ही सेवा' (स्वच्छोत्सव) – 2025 और 'एक दिन, एक घंटा, एक साथ: राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक श्रमदान'

सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 'स्वच्छता ही सेवा' एसएचएस (एसएचएस) : 2025 अभियान के एक हिस्से के रूप में, फेडरेशन ने 17 सितंबर 2025 को अपने कार्यालय परिसर में श्री के.के. रविंद्रन, प्रबंध निदेशक, नैफकार्ड के नेतृत्व में एक स्वच्छता अभियान आयोजित किया। नैफकार्ड के कर्मचारियों और बीएसईल टेक पार्क कोऑपरेटिव सोसाइटी के अन्य निवासियों ने, सोसाइटी के सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर, एसएचएस मिशन 2025 अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया।

गुजरात एससीएआरडीबी ने 25 सितंबर 2025 को अहमदाबाद में 'एक दिन, एक घंटा, एक साथ: राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक श्रमदान' का आयोजन किया। बैंक के प्रधान कार्यालय के लगभग 70 कर्मचारियों ने बैंक परिसर के आस-पास के क्षेत्रों की सफाई के लिए निस्वार्थ सेवा का एक घंटा समर्पित किया।



(5) वृक्षारोपण अभियान 'एक पेड़ माँ के नाम' की उपलब्धियाँ

फेडरेशन द्वारा आईवाईसी 2025 के दौरान कृषि-वानिकी को एक महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा था। एआरडीबी ने बैंक से वित्तपोषित किसानों द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया; इन किसानों को अपने कृषि खेतों की सीमाओं के किनारे वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित और समर्थित किया गया। यह गतिविधि पूरे वर्ष एक सतत कार्यक्रम के रूप में संचालित की जा रही थी।



राज्य और स्थान	लगाए गए पेड़ों की संख्या	कार्यक्रम का महीना
गुजरात, प्रधान कार्यालय	400 और 15000 पौधे वितरित	अगस्त 2024, 1 मई और 20 जून 2025
गुजरात, शाखाएँ	2300	1 मार्च और 05 जून 2025
हिमाचल प्रदेश-आरबीआय मेगा वृक्षारोपण अभियान	800	अक्टूबर 2025
पंजाब	2500	मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2025
कर्नाटक	8000	जून 2025
पश्चिम बंगाल	75000	जून 2025
दिल्ली	16000	जून 2025

(6) 'सहकार से समृद्धि' विषय के तहत आयोजित सेमिनार

राज्य का नाम	कार्यक्रमों की संख्या और तिथि	शामिल विषय	प्रतिभागियों की संख्या
गुजरात	25 मार्च से अक्टूबर 2025	राज्य स्तर पर 'सहकारिता एक बेहतर दुनिया बनाती है' विषय पर सेमिनार	1100
		नैफकार्ड और आईसीए-एपी क्रेडिट और बैंकिंग समिति द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक्सपोजर विजिट की मेजबानी की।	20

राज्य का नाम	कार्यक्रमों की संख्या और तिथि	शामिल विषय	प्रतिभागियों की संख्या
पंजाब	145 मार्च से अक्टूबर 2025	विश्व योग दिवस पर 3 कार्यक्रम	30
		स्थायी विकास पर 2 सेमिनार	100
		30 आईवाईसी इंडक्शन और योजना जागरूकता सेमिनार।	1300
		मंडल स्तर पर 'सहकारिता एक बेहतर दुनिया बनाती है' / डिजिटलीकरण विषय पर 25 सेमिनार	350
		राज्य स्तर पर 'सहकारिता एक बेहतर दुनिया बनाती है' और महिला एवं युवा सशक्तिकरण पर सेमिनार।	400
पश्चिम बंगाल	75 मार्च से अक्टूबर 2025	ओटीएस जागरूकता कार्यक्रम – कुल ऋण ब्याज राशि पर 50% छूट।	50
		आईवाईसी परिचय और योजना जागरूकता सेमिनार।	1300
मेघालया	2 जून 2025	"सहकार से समृद्धि"/ कौशल विकास कार्यक्रम पर 3 सेमिनार	265
त्रिपुरा	3 मार्च 2025	डिजिटलीकरण पर सेमिनार और डीसीटी पर प्रशिक्षण	15
हिमाचल प्रदेश	10 मई से अक्टूबर 2025	ओटीएस योजना पर सेमिनार	50

(7) सदस्य बैंकों द्वारा "आईवाईसी 2025 के माध्यम से सहकारिता का विकास" विषय के अंतर्गत अन्य अभियान और गतिविधियाँ।

- युवा जागरूकता अभियान, निबंध प्रतियोगिताएँ और आउटरीच गतिविधियाँ;
- कार्यशालाएँ, प्रदर्शनियाँ, सेमिनार और क्षमता निर्माण कार्यक्रम;
- वॉकथॉन, रैलियाँ और सार्वजनिक जुटाव अभियान;
- कौशल विकास, किसान-केंद्रित सम्मेलन;
- महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन पहल;
- मीडिया प्रचार और सोशल मीडिया अभियान;
- 'स्वच्छता में सहकार' पहल – 'स्वच्छता ही सेवा 2025'
- 'एक पेड़ माँ के नाम' के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान
- नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से समुदायों में जागरूकता निर्माण
- वैश्विक सहकारिता प्रभाव को प्रदर्शित करने वाली फोटो प्रदर्शनी;
- स्थानीय समितियों को सुदृढ़ करने हेतु सदस्यता कार्यशालाएँ;
- सहकारिता की उपलब्धियों की सफलता की कहानियों का प्रकाशन;
- सहकारिता-नेतृत्व वाली स्वास्थ्य पहलों को बढ़ावा देने वाले स्वास्थ्य शिबिर।

योजना, अनुसंधान और विकास (पीआरडी) प्रकोष्ठ की गतिविधियां 2025-26 के दौरान

(अ) सम्मेलन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएँ, संगोष्ठियाँ और अध्ययन

1) सदस्य बैंकों और महासंघ द्वारा कार्रवाई की आवश्यकता वाले क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास पर चर्चा करने के लिए बैठक

सदस्य बैंकों और फेडरेशन द्वारा कार्रवाई की आवश्यकता वाले क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास पर चर्चा करने के लिए फेडरेशन ने 28 मई 2025 को सदस्य बैंकों के साथ बैठक का आयोजन किया। श्री डोलर कोटेचा, अध्यक्ष, नैफकार्ड ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 13 सदस्य बैंकों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अध्यक्षों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में सदस्य बैंकों और फेडरेशन द्वारा कार्रवाई की आवश्यकता वाले निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई।

- (1) फेडरेशन को अधिनियम/नियमों के अंग्रेजी संस्करण, अद्यतन संशोधनों के साथ एससीएआरडीबी के उपनियमों और अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता वाले क्षेत्रों/खंडों की पहचान करने के लिए राज्य में किसी भी 3 पीसीएआरडीबी के उपनियमों को भेजने के लिए और एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी के लिए मॉडल उपनियम तैयार करने के लिए।
- (2) प्रत्येक बैंक एक अधिकारी को सोशल मीडिया समन्वयक के रूप में नामित करेगा और एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी/शाखाओं में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के साथ-साथ एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी के निदेशकों और एआरडीबी के सक्रिय सदस्यों को महासंघ के सोशल मीडिया खातों में सब्सक्राइबर के रूप में नामांकित करने के लिए एक अभियान शुरू करेगा।
- (3) स्थानीय भाषा में मासिक ई-न्यूजलेटर प्रकाशित करने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिसमें फेडरेशन के मासिक न्यूजलेटर की महत्वपूर्ण सामग्री भी शामिल होनी चाहिए।
- (4) नाबार्ड की सी-पीईसी द्वारा मान्यता प्राप्त सभी

एससीएआरडीबी द्वारा स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों को पुनर्जीवित करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना।

- (5) एससीएआरडीबी, एससीबी के साथ एससीएआरडीबी की जमा राशि पर एससीबी द्वारा भुगतान की जाने वाली तुलनीय ब्याज दरों पर ऋण की लाइन के लिए संबंधित राज्य सहकारी बैंकों से संपर्क करेगा।
- (6) कंप्यूटरीकरण योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, विशेष रूप से हार्डवेयर की खरीद।
- (7) ऋण, जमा जुटाने, ऋण वसूली और एनपीए में कमी में पर्याप्त वृद्धि हासिल करके 3 से 5 साल की समय सीमा के भीतर स्थायी व्यवहार्यता प्राप्त करने के लिए कार्य योजना तैयार करना।

2) राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 पर कार्यशाला

भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय ने सितंबर 2022 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त 48 सदस्यीय राष्ट्रीय स्तर की मसौदा समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर 24 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 को अंतिम रूप दिया और इसकी घोषणा की। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 में 'दृष्टिकोण' (Vision) और 'लक्ष्य' (Mission) अगले 10 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले 16 उद्देश्यों के साथ छह 'मिशन स्तंभ' (Mission Pillars) और इनमें से प्रत्येक उद्देश्य को प्राप्त करने की रणनीतियों का विवरण शामिल है।

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 में एआरडीबी द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और दीर्घकालिक ऋण के मुद्दों सहित इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कार्य बल की स्थापना की योजना का विशेष संदर्भ दिया गया है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि पर फेडरेशन ने 13 सितंबर 2025 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 पर कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में बोर्ड के सदस्यों और विशेष आमंत्रितों ने भाग लिया, जिसमें 12 सदस्य बैंकों का प्रतिनिधित्व किया गया।

कार्यशाला ने एआरडीबी से संबंधित नीति और एलटीसीसीएस से संबंधित सामान्य बिंदुओं पर संघ के स्तर पर आवश्यक कार्यवाई शुरू करने का निर्णय लिया।

3.2.8 एआरडीबी के अलावा, दीर्घकालिक ऋण वितरण के लिए सहकारी ऋण संरचना को बढ़ावा देना।

3.2.9 एआरडीबी सहित सहकारी ऋण संस्थानों के सामने आने वाली चुनौतियों की समग्र रूप से जांच करने के लिए कार्य बल का गठन करना।

5.2.9 सदस्य बैंकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक विकसित करना।

6.1.5 प्राथमिक सहकारी समितियों के सदस्यों को सदस्य शिक्षा/संवेदीकरण, उद्यमशीलता कौशल विकसित करने और आय स्तर बढ़ाने के माध्यम से राष्ट्रीय महासंघों द्वारा मजबूत करना।

6.2.2 युवा पीढ़ी, विशेषकर महिलाओं और कमजोर वर्गों के बीच सहकारी समितियों के लाभों के बारे में वकालत।

3) 'अमृत काल के दौरान एआरडीबी द्वारा व्यवसाय वृद्धि' पर वेबिनार

व्यावसायिक विविधीकरण और विस्तार के माध्यम से व्यवहार्य कामकाज एआरडीबी के लिए स्थिरता बनाए रखने और ग्रामीण ऋण प्रणाली में अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है। दीर्घकालिक ऋण में एआरडीबी के बाजार हिस्से में काफी कमी आई है, जो 1999 में लगभग 18% से घटकर 2024 में 1% से भी कम हो गई है। इसने एआरडीबी के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार (GOI) और नाबार्ड के हालिया कदम का नेतृत्व किया है जिसमें व्यवहार्य इकाइयों का एसटीसीसीएस के साथ विलय और अव्यवहार्य इकाइयों (संचित नुकसान वाली इकाइयों) का परिसमापन शामिल है। हालांकि अधिकांश राज्यों में राज्य सरकारों और एससीएआरडीबी ने अभी तक पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन संस्थानों के अस्तित्व की दीर्घकालिक संरचना की गारंटी नहीं दी जा सकती है जब तक कि वे अपने व्यवसाय और बाजार हिस्सेदारी में पर्याप्त वृद्धि हासिल नहीं कर लेते।

ग्रामीण प्रबंधन संस्थान (आईआरएमए), आनंद ने हाल ही में

एआरडीबी द्वारा व्यवसाय विस्तार पर एक अध्ययन किया है, जिसे सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया था। आईआरएमए अध्ययन दल ने विभिन्न राज्यों में व्यावसायिक विकास के लिए एआरडीबी की क्षमता का विस्तृत आकलन किया और अमृत काल के दौरान वर्षवार व्यावसायिक अनुमान लगाए। आईआरएमए द्वारा किए गए अनुमानों के अनुसार, एआरडीबी द्वारा वार्षिक ऋण 2022-23 में 5768 करोड़ रुपये से बढ़कर 2047-48 में 116464 करोड़ रुपये हो जाएगा और शीर्ष स्तर पर 2022-23 में 5270 करोड़ रुपये से 2047-48 में 1.06 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। व्यापार वृद्धि अनुमानों में एनपीए में कमी, ऋण खातों में वार्षिक वृद्धि और उधार देने के लिए संसाधनों का जुटाना शामिल है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि पर फेडरेशन ने अमृत काल के दौरान 17 नवंबर 2025 को एआरडीबी द्वारा व्यापार विकास पर एक ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता श्री डोलर कोटेचा, अध्यक्ष ने की। अमृत काल के दौरान एआरडीबी द्वारा व्यापार विकास पर आईआरएमए अध्ययन टीम का नेतृत्व कर रहे डॉ. इंद्रनील डे, प्रोफेसर, आईआरएमए द्वारा थीम प्रेजेंटेशन किया गया।

प्रो. इंद्रनील डे, आईआरएमए द्वारा प्रस्तुति

प्रो. इंद्रनील डे ने रिपोर्ट के मुख्य अंश प्रस्तुत किए, जिसमें व्यापार वृद्धि के लिए राज्य-वार अनुमानित वार्षिक लक्ष्य शामिल थे।

- 1) विभिन्न राज्यों में अच्छी प्रथाएं
- 2) एआरडीबी द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ
- 3) सुधार के लिए सुझाव
- 4) नैफकार्ड और आगे की रणनीति के लिए सिफारिशें

संगोष्ठी ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं।

- 1) आईआरएमए अध्ययन में अनुमानों के आधार पर ऋण देने, संसाधन जुटाने और एनपीए में कमी के लिए अपने वार्षिक लक्ष्यों को ठीक करने के लिए एससीएआरडीबी, जो काफी यथार्थवादी है।
- 2) राज्य और प्राथमिक स्तरों पर एआरडीबी अध्ययन में सूचीबद्ध अच्छी प्रथाओं पर विचार करने और उन्हें

दोहराने के लिए, जिनका सारांश पुनर्भुगतान और एनपीए प्रबंधन, कुशल संचालन, विविध ऋण उत्पादों की पेशकश, राजस्व में वृद्धि और प्रशिक्षण और मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्रों में प्रस्तुति में दिया गया है।

यह भी निर्णय लिया गया कि फेडरेशन द्वारा नैफकार्ड के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशों को लागू करने के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी।

- कर्मचारियों के लिए निवेश प्रबंधन, ग्राहक संपर्क, नए सॉफ्टवेयर के उपयोग, मूल्यांकन और दीर्घकालिक ऋणों के अनुवर्ती कार्रवाई आदि के क्षेत्रों में क्षमता निर्माण के लिए कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्रों/एनसीसीटी/त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करना/प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी के निदेशक मंडल के लिए आदर्श आचार संहिता तैयार करना।
- वैकल्पिक वित्तपोषण स्रोतों की खोज।
- क्रेडिट सूचना कंपनियों में एआरडीबी की सदस्यता।
- समय पर सरकारी गारंटी प्रदान करने और सरकारी गारंटी को माफ करने/तय करने के लिए राज्य सरकारों से अपील, ब्याज छूट के साथ फसल ऋण सहित केसीसी ऋणों के विस्तार के लिए सरकार के साथ बातचीत करना।
- संगोष्ठी ने एससीएआरडीबी और फेडरेशन को सभी एआरडीबी के लाभ के लिए पूरे देश में एलटीसीसीएस में सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण और प्रसार करने की भी सिफारिश की।

(ब) सुधार पहल के लिए कोर समूह (सीजीआरआई)

एससीएआरडीबी द्वारा गठित सुधार पहलों के लिए कोर ग्रुप (सीजीआरआई) की अधिकांश बैंकों में नियमित बैठकें होती रहती हैं। सीजीआरआई आधार स्तर पर स्व-चालित सुधारों को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। सीजीआरआई ने संसाधनों को जुटाने के नए रास्ते, नए उत्पादों का शुभारम्भ, महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान और एससीएआरडी बैंक की रेटिंग में सुधार के लिए सुधारात्मक कार्यवाही, विभिन्न स्तरों पर प्राधिकरण और उत्तरदायित्व के साथ-साथ वसूली और एनपीए प्रबंधन को निर्दिष्ट करने वाली सुसंगत नीतियों और भलीभांति प्रलेखित

प्रक्रिया को विकसित करने के उद्देश्य से कार्यात्मक क्षेत्रों पर संहिता तैयार करने के मुख्य क्षेत्रों में पहले से प्रारम्भ किये गये सुधारों के प्रभाव की भी समीक्षा की है।

(क) सोशल मीडिया एंगेजमेंट और आउटरीच एक्शन प्लान

फेडरेशन ने 2023 में सदस्य बैंकों द्वारा ज्ञान प्रसार और व्यवसाय संवर्धन के लिए सोशल मीडिया अकाउंट शुरू किए। इन खातों के लिंक नीचे दिए गए हैं:

1. फेसबुक खाता

नाम—nafcard.coop
उपयोगकर्ता—NAFCARD.COOP
प्रोफाइल यूआरएल—
<https://www.facebook.com/NAFCARD.COOP>

2. इन्स्टाग्राम खाता

नाम—NAFCARD.COOP
उपयोगकर्ता—nafcard.coop
प्रोफाइल यूआरएल—
<https://www.instagram.com/nafcard.coop>

3. यूट्यूब खाता

नाम— NAFCARD WORLD
उपयोगकर्ता—@nafcard_world
प्रोफाइल यूआरएल—
https://www.youtube.com/@nafcard_world

फेडरेशन ने हाल ही में सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर सोशल मीडिया एंगेजमेंट और आउटरीच एक्शन प्लान को अंतिम रूप दिया है। कार्य योजना में महासंघ के कार्यालय में मुख्य निदेशक के नेतृत्व में सोशल मीडिया टीम का गठन शामिल है, जिसमें सभी एससीएआरडीबी में एक वरिष्ठ सहायक और सोशल मीडिया समन्वयक द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। इसके बाद से एससीएआरडीबी ने इस टीम में शामिल होने के लिए अपने एक वरिष्ठ अधिकारी को सोशल मीडिया समन्वयक के रूप में नामित किया है। टीम के पास आउटरीच की प्रगति की समीक्षा करने और साप्ताहिक कार्यों पर निर्णय लेने के लिए साप्ताहिक ऑनलाइन बातचीत होगी। राज्य स्तर पर सोशल मीडिया समन्वयक को बैंक की व्यवसाय संवर्धन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य स्तर पर समाचार और गतिविधियों पर साप्ताहिक रिपोर्ट भेजने का काम भी सौंपा गया है। फेडरेशन के सोशल मीडिया

अकाउंट्स की पहुंच 12000 से 14000 दर्शकों तक पहुंच गई है, जो कि विभिन्न स्तरों पर लगभग 50000 आधिकारिक और गैर-आधिकारिक पदाधिकारियों और जमीनी स्तर पर 100 लाख से अधिक सदस्यों वाले क्षेत्र के लिए अपर्याप्त है। उपरोक्त पृष्ठभूमि पर, कार्य योजना में एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी के विशेष प्रयासों को शामिल किया गया है ताकि पूरे कर्मचारियों, एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी के निदेशकों के साथ-साथ जमीनी स्तर के सदस्यों को भी फेडरेशन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अधिक से अधिक शामिल किया जा सके।

(ड) प्रकाशन

लैंड बैंक जर्नल (त्रैमासिक)

फेडरेशन 1962 से लैंड बैंक जर्नल (त्रैमासिक संस्करण) प्रकाशित करता है। सितंबर 2025 से, फेडरेशन ने लैंड बैंक जर्नल का प्रकाशन फिर से शुरू कर दिया है। पत्रिका कृषि ग्रामीण ऋण और सहयोग पर शोध लेख और समाचार प्रकाशित करती है। हम इस प्रकाशन में क्षेत्र की महत्वपूर्ण घटनाओं और सदस्य बैंकों की गतिविधियों पर रिपोर्ट भी शामिल करते हैं। फेडरेशन समाचार, अंतर्राष्ट्रीय/आईसीए समाचार जर्नल में शामिल अन्य अनुभाग हैं।

लैंड बैंक जर्नल मासिक न्यूजलेटर

फेडरेशन ने 1 अप्रैल 2023 से लैंड बैंक जर्नल (एलबीजे) – मासिक न्यूजलेटर प्रकाशित करना शुरू किया और वर्ष के दौरान सभी 12 महीनों के लिए इसे प्रकाशित किया है (खंड 3, अंक – 1

से XII)। एलबीजे न्यूजलेटर को मुद्रित संस्करण के अलावा ई-लेटर के रूप में भी प्रकाशित किया जाता है। वर्ष के अंत तक न्यूजलेटर का कुल प्रसार अब 5000 ग्राहकों तक पहुंच गया है। यह न्यूजलेटर क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करता है और सदस्य बैंकों की गतिविधियों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाओं पर भी रिपोर्ट करता है जिसमें सहकारिता मंत्रालय के कार्यक्रमों और पहलों को भी शामिल किया जाता है।

वार्षिक सांख्यिकीय बुलेटिन

सदस्य बैंकों के संचालन से संबंधित आंकड़ों का संग्रह और संकलन तथा वार्षिक सांख्यिकीय बुलेटिन का प्रकाशन भी प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है। फेडरेशन जमीनी स्तर के डेटा को प्राप्त करने में देरी को दूर करने के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली को सुव्यवस्थित करके इस महत्वपूर्ण प्रकाशन को अद्यतन करने का प्रयास कर रहा है। वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक सांख्यिकीय बुलेटिन प्रकाशित और वितरित किया गया है। वर्ष 2024-25 का वार्षिक सांख्यिकीय बुलेटिन जल्द ही जारी किया जा रहा है।

एआरडीबी की मासिक प्रगति रिपोर्ट

फेडरेशन अपने स्तर पर समीक्षा के लिए और भारत सरकार को रिपोर्ट करने के लिए मासिक आधार पर सदस्य बैंकों के प्रमुख कार्यों पर डेटा एकत्र और संकलित करता है। मासिक प्रगति रिपोर्ट में ऋण संवितरण, वसूली प्रदर्शन, उधार और जमा जुटाना मुख्य क्षेत्र शामिल हैं। फरवरी 2025 से जनवरी 2026 तक के महीनों के लिए मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रसारित की गई है।

सम्बद्धीकरण

राष्ट्रीय स्तर पर

- (अ) नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया (एनसीयूआई)
- (ब) कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया (कोबी)
- (क) नेशनल फिल्म एंड फाइन आर्ट्स कोऑपरेटिव्स लिमिटेड (नैफैक)
- (ड) नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनसीडीसी)
- (इ) सेंटर फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चरल बैंकिंग (सीआईसीटीएबी)

फेडरेशन निम्नलिखित संगठनों की सहयोगी सदस्यता भी रखता है:

- इंडियन मर्चेन्ट्स चेंबर (आईएमसी)
- इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए)
- इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडीज इन कोऑपरेशन (आईएसएससी)
- इंडियन टूरिज्म कोऑपरेटिव लिमिटेड (आईटीसी)

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर

- इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस (आईसीए)
- इंटरनेशनल राइफाइसेन यूनियन (आईआरयू)

फेडरेशन का प्रबंधन

सामान्य निकाय

सामान्य निकाय में महासंघ के सदस्य शामिल होते हैं, जिनका प्रतिनिधित्व संबंधित बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नामित प्रतिनिधि करते हैं।

फेडरेशन के सदस्यों की सूची निम्नलिखित है:

1. असम राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, गुवाहाटी।
2. बहु राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड (बिहार-झारखंड), पटना।
3. गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद।
4. हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, पंचकूला।
5. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, शिमला।
6. जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, श्रीनगर।
7. कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, बेंगलोर।
8. केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम।
9. ओडिशा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, भुवनेश्वर।
10. पॉन्डिचेरी सहकारी केंद्रीय भूमि विकास बैंक लिमिटेड, पुडुचेरी।
11. पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लिमिटेड, चंडीगढ़।
12. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर।

13. तमिलनाडु सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, चेन्नई।
14. त्रिपुरा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, अगरतला।
15. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड, लखनऊ।
16. पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, कोलकाता।
17. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली।
18. मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड, शिलांग।
19. तेलंगाना राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड, हैदराबाद।

निदेशक मण्डल

उप-नियम संख्या 20 (i से v) के अनुसार, फेडरेशन के प्रबंधन मंडल में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे:

- (i) पात्र सदस्यों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि अधिकतम 20;
- (ii) अधिनियम की धारा 48 के प्रावधानों के अधीन केन्द्रीय सरकार का एक नामांकित व्यक्ति;
- (iii) ऐसे अधिकतम 2 व्यक्ति, जिन्हें प्रबंधन, सहकारी प्रबंधन और वित्त के क्षेत्र में अनुभव हो, या फेडरेशन द्वारा किए जाने वाले उद्देश्यों और गतिविधियों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त होय इन पदाधिकारियों के किसी चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं होगा या पदाधिकारी के रूप में चुने जाने के लिए पात्र नहीं होंगे बोर्ड द्वारा सहयोजित किया जाएगा;
- (iv) प्रबंध निदेशक प्रबंधन मंडल का पदेन सदस्य होगा;
- (v) फेडरेशन के कार्यात्मक निदेशक भी प्रबंधन मंडल के सदस्य होंगे जिन्हें निदेशकों की संख्या की गणना के उद्देश्य से बाहर रखा जाएगा;

प्रबंधन मंडल :- 31.03.2026 को स्थिति

क्रम संख्या.	प्रबंधन मंडल के सदस्य का नाम	सदस्य बैंक जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं
1.	श्री डोलर कोटेचा अध्यक्ष	गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड
2.	डॉ. मोइनुल हसन उपाध्यक्ष	पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड
3.	श्री पवन कुमार टिन्ू उपाध्यक्ष	पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लिमिटेड
4.	डॉ. बिजेंद्र सिंह	दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
5.	श्री बिजय कुमार सिंह	बहु-राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड (बिहार-झारखंड)
6.	श्री दलीप सिंह यादव	हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड
7.	श्री डब्ल्यू. के. किंडिया	मेघालय सहकारी शीर्ष बैंक लिमिटेड
8.	श्री संजय सिंह चौहान	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
9.	कैप्टन (डॉ.) के. राजेंद्र, (आईएस)	कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड
10.	डॉ. ए. डी. भास्करन	तमिलनाडु सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड
11.	श्री जितेंद्र प्रसाद	राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
12.	श्री के.के. रविंद्रन	प्रबंध निदेशक, नैफकार्ड

कार्यकारिणी समिति

उप-नियम संख्या 26(ए) के अनुसार, कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और संचालन मंडल द्वारा निर्वाचित 5 बोर्ड के सदस्य होंगे।

- (1) श्री डोलर कोटेचा, अध्यक्ष, (गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड)
- (2) डॉ. मोइनुल हसन, उपाध्यक्ष, (पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड)
- (3) श्री पवन कुमार टिन्ू, उपाध्यक्ष, (पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लिमिटेड)
- (4) डॉ. बिजेंद्र सिंह, (दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड)
- (5) श्री संजय सिंह चौहान, (हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड)

- (6) श्री वाइभा.के. किंडिया, (मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड)

- (7) श्री के.के. रविंद्रन, प्रबंध निदेशक, नैफकार्ड

प्रशासनिक समिति

उप-नियम संख्या 27(ए) के अनुसार, प्रशासनिक समिति में अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक शामिल होते हैं। 31/03/2026 तक प्रशासनिक समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

- (1) श्री डोलर कोटेचा, अध्यक्ष
- (2) डॉ. मोइनुल हसन, उपाध्यक्ष
- (3) श्री पवन कुमार टिन्ू, उपाध्यक्ष
- (4) श्री के.के. रविंद्रन, प्रबंध निदेशक

वित्तीय वर्ष २०२५-२६ के दौरान सामान्य निकाय और प्रबंधन मंडल की बैठकें

रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान सामान्य निकाय और प्रबंधन मंडल की बैठकें तिथियों और स्थानों के साथ नीचे सूचीबद्ध हैं:

बैठकें	स्थान	तारीख
(अ) वार्षिक सामान्य निकाय	नई दिल्ली	२२ जुलाई २०२५
(ब) प्रबंधन मंडल		
१७९वीं बोर्ड की बैठक	नई दिल्ली	२२ जुलाई २०२५
१८०वीं बोर्ड की बैठक	शिमला, (हिमाचल प्रदेश)	१३ सितंबर २०२५
१८१वीं बोर्ड की बैठक	मुंबई	२९ जनवरी २०२६
१८२वीं बोर्ड की बैठक	ऑनलाइन (गूगल)	२५ मार्च २०२६

महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर प्रबंधन मंडल की बैठकों में चर्चा कि गई।

प्रबंधन मंडल की बैठक सदस्य बैंकों के संचालन की समीक्षा करने के अलावा ग्रामीण ऋण से संबंधित नीति और परिचालन मुद्दों पर चर्चा करने का मुख्य मंच बनी रही।

वर्ष के दौरान प्रतिवेदन के अंतर्गत बोर्ड ने सदस्य बैंकों के व्यावसायिक क्रियाकलापो तथा नाबार्ड से पुनर्वित्त के अंतर्गत अग्रिम, वसूली आदि की आवधिक समीक्षा पर चर्चा करने के अलावा, अपनी बैठकों में निम्नलिखित विषयों पर भी विचार-विमर्श किया:

- १) एआरडी बैंको में 'सुधार, पुनर्गठन और नवाचार' पर किए गए अध्ययन की सिफारिशें।
- २) एआरडी बैंको में 'सुधार, पुनर्गठन और नवाचार' पर अध्ययन रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर फेडरेशन द्वारा की गई कार्रवाई।
- ३) एआरडी बैंको द्वारा एजेंटों/व्यावसायिक संवाददाताओं (बीसी) को नियुक्त करने के लिए आदर्श नीति।
- ४) ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना के लिए साझा सेवा इकाई।
- ५) 'अमृत काल' के दौरान एलटीसीसीएस में व्यावसायिक वृद्धि और एमएससीएस (MSCS) अधिनियम, २००२ की धारा २४ के अनुपालन पर ईरमा (आईआरएमए) अध्ययन रिपोर्ट।
- ६) एमएससीएस नियम, २००२ के नियम ३५ए का अनुपालन।
- ७) "त्रिभुवन" सहकारी विश्वविद्यालय का परिचालन।

- ८) कार्यसूची (एजेंडा) में शामिल करने के लिए सदस्य बैंकों द्वारा अग्रेषित विषय।
- ९) क्रेडिट सूचना कंपनियों में एससीएआरडीबी की सदस्यता।
- १०) सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मांगी गई नैबकॉन्स (एनएबीसीओएनएस) अध्ययन रिपोर्ट पर राज्य सरकारों की टिप्पणियां।
- ११) राष्ट्रीय सहकारिता नीति २०२५।
- १२) आईवाईसी की आगामी गतिविधियां।
- १३) आईवाईसी – २०२५ प्रदर्शन पुरस्कार।
- १४) कृषि खेतों की सीमाओं के किनारे वृक्षारोपण।
- १५) २४ से २८ नवंबर २०२५ तक श्रीलंका में आईसीए-एपी क्षेत्रीय सभा और संबंधित कार्यक्रम।
- १६) एआरडीबी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक।
- १७) सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिए गए नाबार्ड के पुनर्वित्त से संबंधित मुद्दों की व्यापक सूची।
- १८) फेडरेशन की गतिविधियों पर अद्यतन जानकारी और सहयोग के लिए अपील।
- १९) सहकारी ऋण संस्थाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों की समग्र रूप से जांच करने के लिए एक कार्यबल (टास्क फोर्स) का गठन।

- 20) सदस्य बैंकों के उधारकर्ताओं को सहायता सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक सहायक संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव।
- 21) ऋण वसूली के लिए एआरडीबी को राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता।
- 22) एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी को प्रदर्शन पुरस्कारों का वितरण।
- 23) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में बोर्ड स्तर के पदों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सहकारी संघों के आवेदकों को पीईएसबी निर्णय की अनुमति का प्रसार।
- 24) राज्य और जिला स्तर के महासंघों की निगरानी और समीक्षा।
- 25) सहकारी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे छात्रों को छात्रवृत्तियाँ देकर सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देना।
- 26) राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की सिफारिशों का कार्यान्वयन।
- 27) एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी के लिए मॉडल अधिनियम और सामान्य उपनियमों का मसौदा – मुख्य बातें।
- 28) बीमा सेवाओं के विस्तार के लिए फेडरेशन और सदस्य बैंकों द्वारा संयुक्त उद्यम – अवधारणा पत्र।
- 29) एआरडीबी के कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना – कार्यान्वयन की राज्यवार स्थिति।
- 30) 'एआरडीबी में सुधार, पुनर्गठन और नवाचारों' पर एनएबीसीओएनएस की अध्ययन रिपोर्ट पर राज्य सरकार के साथ अनुवर्ती कार्रवाई।
- 31) एमएससीएस अधिनियम, 2002 (2002 का 39) की दूसरी अनुसूची में संशोधन – महासंघ के नाम में परिवर्तन।
- 32) वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 – जनवरी 2026) के दौरान प्रमुख परिचालन क्षेत्रों के अंतर्गत पूर्ण रूप से कार्यरत एससीएआरडीबी के प्रदर्शन की समीक्षा।

वित्त एवं लेखा

वर्ष २०२५-२६ के लिए परिसंपत्ति तथा देयता एवं आय व्यय खातों का सारांश नीचे दिया गया है।

परिसंपत्ति तथा देयता

(₹ लाखों में)

क्रम संख्या	देयता	इस तिथि को		क्रम संख्या	परिसंपत्ति	इस तिथि को	
		31.3.26	31.3.25			31.3.26	31.3.24
1.	आरक्षित एवं अन्य फंड	2295.47	2370.82	1.	नकद एवं बैंक अवशेष	26.49	0.66
2.	सुरक्षित ऋण	515.45	562.22	2.	निवेश	2595.11	2832.62
3.	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	168.29	282.61	3.	स्थिर संपत्तियां	172.37	173.74
4.	आय एवं व्यय खाते से स्थानांतरित किया गया अधिशेष	3.11	20.15	4.	विविध देनदार एवं प्राप्त	165.50	170.41
				5.	ऋण एवं अग्रिम	3.03	3.87
				6.	विविध जमा एवं प्रीपेड व्यय	5.21	4.92
				7.	आय कर (अग्रिम कर, टीडीएस प्राप्त एवं जीएसटी क्रेडिट)	14.61	49.58
	योग	2982.32	3235.80		योग	2982.32	3235.80

आय एवं व्यय

(₹ लाखों में)

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि	
	आय	2025-26	2024-25
1.	एएमएस, अतिरिक्त अंशदान एवं भागीदारी/सदस्य बैंकों से नामांकन शुल्क	64.91	103.93
2.	ब्याज, लाभांश और एलटी पूंजी लाभ (एमएफ)	116.66	426.36
3.	भारत सरकार से अनुदान (इर्मा अध्ययन)	29.95	0.00
4.	अतिरिक्त प्रावधान उलट गया/पूर्व अवधि की आय/बीडीडीआर के लिए प्रावधान	113.75	0.53
5.	विविध आय	13.07	12.15
	योग (1 से 5)	338.34	542.97
	व्यय		
1.	प्रबंधन लागत	166.26	157.80
2.	अन्य कार्यालय व्यय	71.02	77.44
3.	बैठकें/सेमिनार/सम्मेलन व्यय/प्रशिक्षण कार्यक्रम/अध्ययन	13.72	4.38
4.	सलाहकार शुल्क (इर्मा अध्ययन)	17.95	0.00
5.	परिसर रखरखाव व्यय	5.79	6.34
6.	प्रावधान/आरक्षित निधियों के लिए अंशदान	60.37	78.81
7.	अन्य विनियोग	0.12	198.05
	योग (1 से 7)	335.23	522.82
	अधिशेष	3.11	20.15

सदस्य बैंको का संक्षिप्त विवरण

पूरी तरह कार्यात्मक एससीएआरडीबी

गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.,

489, आश्रम रोड, नेहरू ब्रिज कार्नेर के सामने, अहमदाबाद-380 009

ई-मेल : info@gscardbank.org / वेबसाइट : www.khetibank.org दूरभाष : 079-26585365, 26585370, 26585371

अध्यक्ष : श्री डोलाराइ वी. कोटेचा
ई-मेल : dollar.kotecha@jcombank.com
मोबाइल : 9924118900

प्रमुख वित्तीय मापदंड (₹ लाख में)

विवरण	2023-24	2024-25	2025-26
शाखाओं की संख्या	176	177	179
भूमि स्तर पर सदस्यता	292759	291933	291741
वितरित ऋण	37336.67	36179.29	36718.01
बकाया ऋण	83364.50	95257.92	112760.55
कर्मचारी			
i. एससीएआरडी बैंक	598	581	758
ii. पीसीएआरडी बैंक	-	-	-
कुल प्रदत्त पूंजी	5291.41	5266.34	5046.64
निर्बाध आरक्षित निधियां	27676.98	30473.71	33205.73
पूंजी से परिसंपत्ति अनुपात (%)	52.36	49.77	एनआर
भूमि स्तर पर वसूली की स्थिति			
— मॉग	58167.71	61104.52	74776.97
— वसूली	28307.25	32398.27	41534.22
— अवशेष	29860.45	28706.25	33242.75
— वसूली (%)	48.66	53.02	55.54

एनआर - रिपोर्ट नहीं किया गया।

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

बेज नंबर 31-34, सहकारिता भवन सेक्टर-2, पंचकूला - 134 109

ई-मेल : dev.incharge@gmail.com / वेबसाइट : www.haryanacardbank.org दूरभाष : 0172-2587040

अध्यक्ष : श्री सुभाष कलसाना
ई-मेल : chairmanharyana@gmail.com
मोबाइल : 9812304420

प्रबन्ध निदेशक : श्री नरेश गोयल
ई-मेल : pa2md.hscardb@gmail.com
मोबाइल : 9466520383

प्रमुख वित्तीय मापदंड (₹ लाख में)

विवरण	2023-24	2024-25	2025-26
पीसीएआरडीबी शाखाओं की संख्या	70	70	70
भूमि स्तर पर सदस्यता	730197	725591	726413
वितरित ऋण	6367.15	7081.00	12873.00
बकाया ऋण	175834.75	177972.99	185882.72
कर्मचारी			
i. एससीएआरडीबी	48	46	40
ii. पीसीएआरडीबी	458	424	378
कुल प्रदत्त पूंजी	4281.02	4281.02	3956.02
निर्बाध आरक्षित निधियां	51166.15	51174.77	51182.15
पूंजी से परिसंपत्ति अनुपात (%)	एनआर	एनआर	एनआर
भूमि स्तर पर वसूली की स्थिति			
— मॉग	209612.52	217665.20	212418.57
— वसूली	10705.44	4141.95	20167.42
— अवशेष	198907.08	213523.25	192251.15
— वसूली (%)	5.11	1.90	9.49

एनआर - रिपोर्ट नहीं किया गया।

हिमांचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लि.

ब्लॉक नं. ३डी, एसडीए कॉम्प्लेक्स, कसुम्पटी, शिमला - १७१ ००९

ई-मेल: hpardbank@gmail.com / वेबसाइट: www.hpardb.in

दूरभाष : ०१७७-२६२११३७, २६२१४३७, २६२३८३७

अध्यक्ष : श्री संजय सिंह चौहान
ई-मेल : chairmanardb2023@gmail.com
मोबाइल : ९४१८४०००३३

प्रबन्ध निदेशक : डॉ. हरीश गज्जू (एचएएस)
ई-मेल : mdhpscldb@gmail.com
मोबाइल : ९४१८००००८८

प्रमुख वित्तीय मापदंड (₹ लाख में)

विवरण	2023-24	2024-25	2025-26
पीसीएआरडीबी शाखाओं की संख्या	30	30	30
भूमि स्तर पर सदस्यता	114942	104166	107512
वितरित ऋण	11012.31	5501.85	6365.88
बकाया ऋण	42425.13	40001.45	40738.00
कर्मचारी			
i. एससीएआरडीबी	172	167	159
ii. पीसीएआरडीबी	54	119	139
कुल प्रदत्त पूंजी	2872.01	2777.91	2805.11
निर्बाध आरक्षित निधियां	1781.75	1781.75	1781.75
पूंजी से परिसंपत्ति अनुपात (%)	254.05	214.21	210.25
भूमि स्तर पर वसूली की स्थिति			
— माँग	21653.96	23027.86	22733.84
— वसूली	6209.54	7668.13	6343.04
— अवशेष	15444.42	15359.73	16390.80
— वसूली (%)	28.68	33.30	27.90

कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

टीपू सुल्तान पैलेस रोड, चामराजपेट, बेंगलुरु, कर्नाटक - ५६० ०१८

ई-मेल: md.kscardbank@gmail.com / वेबसाइट: www.kscardbank.in

दूरभाष : ०८०-२६७०२०२४

प्रशासक : श्री (कैप्टन) डॉ. के. राजेंद्र, आईएएस
ईमेल : president.sldb@yahoo.com
मोबाइल : ९९०२५२२६६०

प्रबन्ध निदेशक : श्री महेश पी.
ई-मेल : md.kscardbank@gmail.com
मोबाइल : ९८४५७३१४१४

प्रमुख वित्तीय मापदंड (₹ लाख में)

विवरण	2023-24	2024-25	2025-26
पीसीएआरडीबी की संख्या	183	184	184
भूमि स्तर पर सदस्यता	1225933	1189017	1189017
वितरित ऋण	35192.01	56079.34	52364.49
बकाया ऋण	199498.90	225940.36	236385.80
कर्मचारी			
i. एससीएआरडीबी	240	233	221
ii. पीसीएआरडीबी	444	408	392
कुल प्रदत्त पूंजी	8939.91	9325.96	एनआर
निर्बाध आरक्षित निधियां	1607.79	1771.70	एनआर
पूंजी से परिसंपत्ति अनुपात (%)	10.37	9.09	एनआर
भूमि स्तर पर वसूली की स्थिति			
— माँग	93962.03	70062.76	75631.85
— वसूली	75294.06	48257.36	48726.30
— अवशेष	18667.97	21805.40	25905.55
— वसूली (%)	80.13	68.88	65.29

एनआर - रिपोर्ट नहीं किया गया।

केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

पीबी. नंबर 56, स्टैच्यू जंक्शन, तिरुवनंतपुरम - 695 001

ई-मेल: ho.cardbank@gmail.com / वेबसाइट: www.keralalandbank.in

दूरभाष : 0471-2460595

संयोजक : एडवोकेट सी. के. शाजिमोहन
ई-मेल : convenorkscardb@gmail.com
मोबाइल : 9447207863

प्रबन्ध निदेशक: श्री गोपालकृष्णन के. (आईएसएस)
ई-मेल: md.kscardb@gmail.com
मोबाइल: 8078081166

प्रमुख वित्तीय मापदंड (₹ लाख में)

विवरण	2023-24	2024-25	2025-26
पीसीएआरडीबी की संख्या	77	77	77
भूमि स्तर पर सदस्यता	1976439	2008488	2114538
वितरित ऋण	282625.80	319483.89	363145.55
बकाया ऋण	782475.16	801840.25	805523.40
कर्मचारी			
i. एससीएआरडीबी	213	264	296
ii. पीसीएआरडीबी	1381	1175	1208
कुल प्रदत्त पूंजी	23592.58	24054.81	24414.44
निर्बाध आरक्षित निधियां	85437.96	85778.86	87834.27
पूंजी से परिसंपत्ति अनुपात (%)	4.85	4.84	4.84
भूमि स्तर पर वसूली की स्थिति			
— माँग	405114.53	421310.90	446336.85
— वसूली	253747.99	269170.82	295699.57
— अवशेष	151366.54	152140.08	150637.28
— वसूली (%)	62.64	63.89	66.25

पांडिचेरी सहकारी केंद्रीय भूमि विकास बैंक लि.

नम्बर 24, कोलास नगर, पुडुचेरी 605 001

ई-मेल: pccldbank@gmail.com

दूरभाष : 0413-2357985 / 2358827

प्रशासक : श्री ई. सारंगपानी, अपर सचिव/संयुक्त रजिस्ट्रार
ई-मेल : pccldbank@gmail.com
मोबाइल : एनआर

प्रबन्ध निदेशक : श्री के. मारन
ई-मेल : maran.kaliaperumal@gmail.com
मोबाइल : 9600993153

प्रमुख वित्तीय मापदंड (₹ लाख में)

विवरण	2023-24	2024-25	2025-26
शाखाओं की संख्या	1	1	1
भूमि स्तर पर सदस्यता	20738	20856	21053
वितरित ऋण	4495.70	4226.93	5739.75
बकाया ऋण	5257.20	5444.67	6008.33
कर्मचारी			
i. एससीएआरडीबी	27	25	24
ii. पीसीएआरडीबी	-	-	-
कुल प्रदत्त पूंजी	580.03	601.02	630.99
निर्बाध आरक्षित निधियां	414.27	447.10	460.10
पूंजी से परिसंपत्ति अनुपात (%)	49.69	47.50	एनआर
भूमि स्तर पर वसूली की स्थिति			
— माँग	3970.19	5040.34	4798.83
— वसूली	3580.98	4658.11	4430.96
— अवशेष	389.20	382.23	367.86
— वसूली (%)	90.20	92.42	92.33

एनआर - रिपोर्ट नहीं किया गया।

पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लि.

एससीओ 51-54, बैंक स्ववायर, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़ - 160 017

ई-मेल: sadbmd@gmail.com

दूरभाष : 0172-2708134, 5011708

अध्यक्ष: श्री पवन कुमार टीनू
ई-मेल: sadbchairman@gmail.com
मोबाइल: 9417033919

प्रबन्ध निदेशक: श्रीमती बरजिंदर कौर बाजवा, अतिरिक्त आरसीएस
ई-मेल: sadbmd@gmail.com
मोबाइल: 9878670005

प्रमुख वित्तीय मापदंड (₹ लाख में)

विवरण	2023-24	2024-25	2025-26
पीसीएआरडीबी की संख्या	89	89	89
भूमि स्तर पर सदस्यता	832480	832725	एनआर
वितरित ऋण	0.00	0.00	442
बकाया ऋण	161780.04	145961.84	138200.00
कर्मचारी			
i. एससीएआरडीबी	121	82	79
ii. पीसीएआरडीबी	536	550	525
कुल प्रदत्त पूंजी	7888.15	7888.15	7888.15
निर्बाध आरक्षित निधियां	45938.22	45918.89	एनआर
पूंजी से परिसंपत्ति अनुपात (%)	33.92	31.86	एनआर
भूमि स्तर पर वसूली की स्थिति			
— मॉग	272914.89	278102.44	280873.65
— वसूली	30745.14	28172.14	24490.77
— अवशेष	242169.75	249930.30	256382.88
— वसूली (%)	11.27	10.13	8.72

एनआर - रिपोर्ट नहीं किया गया।

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि.

नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम सर्किल, भवानी सिंह रोड, जयपुर - 302 005

ई-मेल: rsldbaf@yahoo.in / वेबसाइट: www.rsldb.nic.in

दूरभाष : 0141 - 2740440

प्रशासक : श्री संदीप खंडेलवाल
ई-मेल : addl2ho.coop@rajasthan.gov.in
मोबाइल : 9950466755

प्रबन्ध निदेशक : श्री जितेंद्र प्रसाद
ई-मेल : rsldbmd@yahoo.in
मोबाइल : 9829120798

प्रमुख वित्तीय मापदंड (₹ लाख में)

विवरण	2023-24	2024-25	2025-26
पीसीएआरडीबी शाखाओं की संख्या	124	124	124
भूमि स्तर पर सदस्यता	1235689	1199941	एनआर
वितरित ऋण	5284.80	10682.79	15313.15
बकाया ऋण	154139.15	155011.11	154194.27
कर्मचारी			
i. एससीएआरडीबी	40	39	37
ii. पीसीएआरडीबी	188	172	148
कुल प्रदत्त पूंजी	4134.55	4134.55	4134.55
निर्बाध आरक्षित निधियां	86869.81	92497.02	94836.89
पूंजी से परिसंपत्ति अनुपात (%)	13.35	14.04	18.87
भूमि स्तर पर वसूली की स्थिति			
— मॉग	95576.65	107159.76	99379.16
— वसूली	19601.08	29439.07	30124.60
— अवशेष	75975.57	77720.69	69254.56
— वसूली (%)	20.51	27.47	30.31

एनआर - रिपोर्ट नहीं किया गया।

तमिलनाडु सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

नं. 181, लुज़ चर्च रोड, माइलापुर, चेन्नई - 600 004

ई-मेल: sldbchn@yahoo.co.in / tncsardbho@gmail.com

दूरभाष : 044-24993854

प्रबन्ध निदेशक: डॉ. ए. डी. भास्करन, अतिरिक्त रजिस्ट्रार

ई-मेल: tncsardbho@gmail.com

मोबाइल: 7338850010

प्रमुख वित्तीय मापदंड (₹ लाख में)

विवरण	2023-24	2024-25	2025-26
पीसीएआरडीबी की संख्या	180	180	180
भूमि स्तर पर सदस्यता	1487529	897930	782829
वितरित ऋण	125028.91	174785.50	242934.09
बकाया ऋण	115080.98	150736.69	167275.62
कर्मचारी			
i. एससीएआरडीबी	109	101	117
ii. पीसीएआरडीबी	453	460	436
कुल प्रदत्त पूंजी	5236.76	5216.76	5106.19
निर्बाध आरक्षित निधियां	17593.22	28865.86	36095.48
पूंजी से परिसंपत्ति अनुपात (%)	42.44	44.94	एनआर
भूमि स्तर पर वसूली की स्थिति			
— माँग	149666.30	183596.81	221146.40
— वसूली	142235.93	177752.36	214630.60
— अवशेष	7430.37	5844.45	6515.85
— वसूली (%)	95.04	96.82	97.05

एनआर - रिपोर्ट नहीं किया गया।

त्रिपुरा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

ओ/ओ आरसीएस, पैलेस कंपाउंड, अगरतला - 799 001

ई-मेल: tcardbltd.2012@gmail.com

दूरभाष : 0381 - 2323972

संयोजक : श्री अतनु दीवानजी, टीसीएस, ग्रेड - I

ई-मेल: tcardbltd.2012@gmail.com

मोबाइल : एनआर

महाप्रबंधक : श्री जयंत जमातिया, टीसीएस, ग्रेड - II

ई-मेल: tcardbltd.2012@gmail.com

मोबाइल: 9717624645

प्रमुख वित्तीय मापदंड (₹ लाख में)

विवरण	2023-24	2024-25	2025-26
शाखाओं की संख्या	5	5	5
भूमि स्तर पर सदस्यता	955706	24263	17672
वितरित ऋण	74.45	0.00	0.00
बकाया ऋण	793.62	726.32	672.61
कर्मचारी			
i. एससीएआरडीबी	19	21	21
ii. पीसीएआरडीबी	-	-	-
कुल प्रदत्त पूंजी	957.10	952.28	940.48
निर्बाध आरक्षित निधियां	8.68	8.68	8.68
पूंजी से परिसंपत्ति अनुपात (%)	एनआर	एनआर	एनआर
भूमि स्तर पर वसूली की स्थिति			
— माँग	784.72	1119.49	1705.99
— वसूली	65.55	103.21	135.15
— अवशेष	719.17	1016.28	1570.84
— वसूली (%)	8.35	9.22	7.92

एनआर - रिपोर्ट नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.

10 माल एवेन्यू, लखनऊ - 226 001

ई-मेल: upsgvb@yahoo.in / वेबसाइट: www.upsgvb.in

दूरभाष : 0522-2238844, 2238855

प्रशासक : श्री अनिल कुमार सिंह, IAS
ई-मेल: adc-coop-admin-hq-lu@up.gov.in
मोबाइल: 9793987200

प्रबन्ध निदेशक: श्री राजेश कुमार कुलश्रेष्ठ
ई-मेल: md.upsgvb@gmail.com
मोबाइल: 9005433333

प्रमुख वित्तीय मापदंड (₹ लाख में)

विवरण	2023-24	2024-25	2025-26
शाखाओं की संख्या	323	323	323
भूमि स्तर पर सदस्यता	1410573	1421925	1409432
वितरित ऋण	40854.00	39316.31	36300.03
बकाया ऋण	269309.66	282248.94	292324.20
कर्मचारी			
i. एससीएआरडीबी	2520	2459	2401
ii. पीसीएआरडीबी	-	-	-
कुल प्रदत्त पूंजी	28187.75	28946.92	29626.88
निर्बाध आरक्षित निधियां	26190.30	26224.92	27266.76
पूंजी से परिसंपत्ति अनुपात (%)	32.09	30.74	31.99
भूमि स्तर पर वसूली की स्थिति			
- मॉग	207415.66	199899.85	197545.68
- वसूली	61691.68	54054.59	38665.39
- अवशेष	145723.98	145845.26	158880.29
- वसूली (%)	29.74	27.04	19.57

पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

आईसीएमएआरडी बिल्डिंग, छठी मंजिल, 14/2, सीआईटी, स्कीम-VIII (M), उल्टाडांगा, कोलकाता - 700 067

ई-मेल: wbscardb@gmail.com / वेबसाइट: www.wbscardb.com

दूरभाष : 033-23560028, 23560065

विशेष अधिकारी / प्रबंध निदेशक : श्री ब्रजेश कुमार सिंह

ई-मेल: md@wbscardb.com

मोबाइल: 9163055935

प्रमुख वित्तीय मापदंड (₹ लाख में)

विवरण	2023-24	2024-25	2025-26
पीसीएआरडीबी की संख्या	24	24	24
भूमि स्तर पर सदस्यता	401628	429711	458679
वितरित ऋण	28657.89	30452.84	47648.94
बकाया ऋण	138357.79	137378.86	142134.44
कर्मचारी			
i. एससीएआरडीबी	80	75	76
ii. पीसीएआरडीबी	594	562	541
कुल प्रदत्त पूंजी	4269.20	5814.73	5810.38
निर्बाध आरक्षित निधियां	4461.21	4798.21	5203.89
पूंजी से परिसंपत्ति अनुपात (%)	2.73	3.25	3.28
भूमि स्तर पर वसूली की स्थिति			
- मॉग	107188.79	114265.89	122837.51
- वसूली	41397.55	44607.08	47338.46
- अवशेष	65791.24	69658.81	75499.05
- वसूली (%)	38.62	39.04	38.54

राज्य सहकारी बैंक (एससीबी)

दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि.

31, नेताजी सुभाष मार्ग, दरिया गंज, नई दिल्ली - 110 002

ई-मेल: bkg.dscb@gmail.com

दूरभाष : 011 - 41705038

अध्यक्ष: डॉ. बिजेन्द्र सिंह
ई-मेल: dscbho@gmail.com
मोबाइल: 9810830255

प्रबंध निदेशक : श्री आर. के. कडीयान (कार्यवाहक)
ई-मेल : md.dscb@gmail.com
मोबाइल : 9899363942

कर्मचारियों की स्थिति : प्रधान कार्यालय : 62
शाखाएँ : 354

ब्याज दर: ऋण पर : 7% से 17.00%
जमा संग्रहण पर : 3% से 6.45%

प्रमुख वित्तीय मापदंड (₹ लाख में)

विवरण	2023-24	2024-25	2025-26
बकाया ऋण	97080.21	105948.10	103094.37
वितरित ऋण	26172.05	30321.69	25653.47
कुल प्रदत्त पूंजी	2093.68	2225.45	2248.73
निर्बाध आरक्षित निधियां	39103.33	41561.80	43931.58
पूंजी से परिसंपत्ति अनुपात (%)	53.75	50.53	48.53
बकाया जमा	133542.80	135552.47	134869.03
बकाया उधार	-	-	-
शुद्ध लाभ	2279.24	2177.83	777.56
जमा हुआ नुकसान, अगर कोई हो	-	-	-
भूमि स्तर पर वसूली की स्थिति			
- माँग	64476.33	66644.71	71772.29
- वसूली	63504.38	65618.85	70150.46
- अवशेष	971.95	1025.86	1621.83
- वसूली (%)	98.49	98.46	97.74

मेघालय सहकारी शीर्ष बैंक लि.

एमजी रोड, शिलांग - 793 001

ई-मेल: headoffice@megcab.bank.in / वेबसाइट: www.megcab.com

दूरभाष : 0364 - 2225190, 2224160

अध्यक्ष : श्री वैमा के. किंडिया
ई-मेल : headoffice@megcab.bank.in
मोबाइल : 7702331133

प्रबंध निदेशक : श्री ओसमंद ईजे नोंगब्री
ई-मेल : headoffice@megcab.bank.in
मोबाइल : 9402306321

कर्मचारियों की स्थिति : प्रधान कार्यालय : 118
शाखाएँ : 316

ब्याज दर: ऋण पर: 7% से 12.45%
जमा संग्रहण पर: 3.25% से 7.50%

प्रमुख वित्तीय मापदंड (₹ लाख में)

विवरण	2023-24	2024-25	2025-26
बकाया ऋण	187443.01	190940.21	195792.62
वितरित ऋण	15888.96	16954.17	19313.49
कुल प्रदत्त पूंजी	1022.45	1092.78	1173.57
निर्बाध आरक्षित निधियां	20771.02	22508.14	22485.15
पूंजी से परिसंपत्ति अनुपात (%)	24.58	23.01	23.00
बकाया जमा	376429.24	396569.04	413665.09
बकाया उधार	6036.08	5606.55	16243.30
शुद्ध लाभ	1669.53	1831.83	2000.00
जमा हुआ नुकसान, अगर कोई हो	-	-	-
भूमि स्तर पर वसूली की स्थिति			
- माँग	21449.08	14774.08	19439.82
- वसूली	12572.45	6296.17	10829.21
- अवशेष	8876.63	8477.91	8610.62
- वसूली (%)	58.62	42.62	55.71

अन्य एससीएआरडीबी

बहु राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि.

भूमि विकास बैंक भवन, बुद्ध मार्ग पटना-800 001

ई-मेल: ldbpat@gmail.com

दूरभाष : 0612 - 2226221, 2226222

अध्यक्ष : श्रीमती ममता सिंह

ई-मेल : ldbpat@gmail.com

मोबाइल : एनआर

प्रबंध निदेशक : डॉ. कौशलेंद्र सिंह

ई-मेल : ldbpat@gmail.com

मोबाइल : 9430265715

प्रमुख वित्तीय मापदंड (₹ लाख में)

विवरण	2023-24	2024-25	2025-26
शाखाओं की संख्या	151	151	151
भूमि स्तर पर सदस्यता	702362	702362	702362
वितरित ऋण	0.00	0.00	0.00
बकाया ऋण	3178.76	3021.72	2866.72
कर्मचारी			
i. एससीएआरडीबी	361	358	356
ii. पीसीएआरडीबी	-	-	-
कुल प्रदत्त पूंजी	2808.40	2804.51	2806.18
निर्बाध आरक्षित निधियां	43935.04	43935.04	43935.04
पूंजी से परिसंपत्ति अनुपात (%)	2.60	2.55	2.58
भूमि स्तर पर वसूली की स्थिति			
— मॉग	42461.04	42619.67	42913.02
— वसूली	4430.96	3143.85	3389.63
— अवशेष	38030.08	39475.82	39523.39
— वसूली (%)	10.43	7.37	7.89

एनआर — रिपोर्ट नहीं किया गया।

2025-26 के दौरान सदस्य बैंकों के संचालन पर रिपोर्ट

2025-26 के दौरान 12 पूरी तरह से काम कर रहे (एससीएआरडीबी) के गतिविधियों के आंकड़े इस रिपोर्ट के अनुलग्नकों में दिए गए विवरणों में प्रस्तुत किया गया है।

1. ऋण अग्रिम

31 मार्च 2026 तक 12 पूर्ण रूप से कार्यरत एससीएआरडीबी की कुल अग्रिम राशि पिछले वर्ष की ₹6860.73 करोड़ की तुलना में ₹7423.93 करोड़ थी। वर्ष के दौरान एससीएआरडीबी द्वारा कुल ऋण में ₹563.21 करोड़ की वृद्धि हुई, जो 8.21% की वृद्धि दर्ज करती है। वर्ष के दौरान ऋण में वृद्धि में सबसे अधिक योगदान हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल एससीएआरडीबी ने दिया।

2. ऋण बकाया

31.3.2026 को एससीएआरडीबी के कुल बकाया ऋण ₹23050.45 करोड़ रुपये थे, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह ₹22210.01 करोड़ रुपये था, जो वर्ष के दौरान 4% की वृद्धि दर्शाता है। 12 पूर्ण रूप से कार्यरत एससीएआरडीबी में से 8 बैंकों अर्थात् गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने वर्ष के दौरान बकाया ऋण में वृद्धि दर्ज की है।

3. उधार

वर्ष के दौरान 12 एससीएआरडीबी द्वारा कुल उधार ₹3832.69 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वर्ष यह ₹3703.04 करोड़ रुपये था। विभिन्न एजेंसियों से जुटाई गई संसाधनों की संरचना से पता चलता है कि 60% उधार नाबार्ड से लिया गया था जबकि शेष 40% एनसीडीसी और राज्य सरकार, एनएचबी, एससीबी आदि से लिया गया था। इसके अलावा, वर्ष के दौरान 12 पूर्ण रूप से कार्यशील

एससीएआरडीबी में से केवल 7 को नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त प्रदान किया गया था।

4. बकाया उधार

31.3.2026 को एससीएआरडीबी की कुल बकाया उधार में 1% की मामूली कमी आई और यह ₹13052.88 करोड़ रुपये रह गई जबकि पिछले वर्ष यह ₹13179.86 करोड़ रुपये थी, जिसमें से लगभग 80% उधार नाबार्ड से लिया गया था।

5. बकाया जमा

31 मार्च 2026 को एससीएआरडीबी की कुल बकाया जमा राशि ₹2611.48 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च 2025 को यह ₹2183.50 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग ₹427.98 करोड़ की वृद्धि दर्ज करती है। तमिलनाडु और केरल एससीएआरडीबी जमा जुटाने में पहले दो स्थान पर हैं, इसके बाद कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और पंजाब हैं, जबकि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जमा जुटाने में अभी भी गति नहीं आई है। 11 बैंकों में से, 7 एससीएआरडीबी ने वर्ष के दौरान जमा बकाया में वृद्धि की।

6. वित्तीय विवरण

वर्ष के लिए पूर्व-लेखापरीक्षित डेटा के अनुसार, 7 बैंकों ने वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ अर्जित किया। कुल शुद्ध लाभ इस वर्ष इन 7 बैंकों द्वारा अर्जित ₹274.15 करोड़ रुपये रहा जबकि पिछले वर्ष 10 बैंकों द्वारा अर्जित ₹209.49 करोड़ रुपये था। जबकि पिछले वर्ष ₹180.20 करोड़ की तुलना में 3 बैंकों को ₹85.68 करोड़ का नुकसान हुआ।

7. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए)

एससीएआरडीबी आम तौर पर पिछले वर्ष की तुलना में

30% से अधिक के उच्च एनपीए के साथ संघर्ष करना जारी रखते हैं। केवल पांडिचेरी और तमिलनाडु ही एनपीए को क्रमशः 2.82% और 6.89% के आरामदायक स्तर पर बनाए रख सके।

8. वसूली की स्थिति

एससीएआरडीबी के वसूली प्रदर्शन से पता चलता है कि वर्ष के दौरान शीर्ष और जमीनी दोनों स्तरों पर मामूली सुधार हुआ है। शीर्ष स्तर पर एससीएआरडीबी की कुल औसत वसूली पिछले वर्ष के 44.07% की तुलना में 46.06% रही, और अंतिम उधारकर्ताओं के स्तर पर 2024-25 में 41.63% से बढ़कर 43.90% हो गई।

9. कर्मचारियों की स्थिति

2025-26 के दौरान 12 पूर्ण रूप से कार्यरत एससीएआरडीबी की कुल कर्मचारी स्थिति 4229 थी, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह संख्या 4093 थी, जबकि पिछले वर्ष के दौरान पीसीएआरडीबी की कुल कर्मचारी संख्या 3870 के मुकाबले 3767 थी।

10. संगठनात्मक नेटवर्क (आउटलेट)

परिचालन इकाइयों की कुल संख्या 2024-25 के दौरान 1828 से बढ़कर 2025-26 के दौरान 1835 हो गई। वर्ष के दौरान एससीएआरडीबी की शाखाओं की संख्या 2024-25 में 610 से बढ़कर 612 हो गई। इसी प्रकार, वर्ष के दौरान पीसीएआरडीबी की शाखाएं 520 से बढ़कर 525 हो गई। वर्ष के दौरान पर्यवेक्षी इकाइयों और पीसीएआरडीबी की संख्या क्रमशः 88 और 610 पर स्थिर रही।

11. सदस्यता

पिछले वर्ष 91.69 लाख की तुलना में इस वर्ष 12 पूर्ण रूप से कार्यरत एससीएआरडीबी की कुल सदस्यता 91.75 लाख है। 31.03.2025 के मुकाबले 37.93 लाख रुपये से घटकर 36.23 लाख रुपये हो गया। इसके अलावा, वर्ष के दौरान गैर-उधार सदस्यता 53.76 लाख से घटकर 50.93 लाख हो गई।

नोट — यह समीक्षा ऑडिट से पहले सदस्य बैंकों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है।

आभार

फेडरेशन, दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) को मजबूत करने तथा सदस्य बैंकों की गतिविधियों के विस्तार के अपने प्रयासों में, भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय, नाबार्ड, एनसीडीसी, एनसीयूआई तथा विभिन्न अन्य एजेंसियों तथा संस्थानों के साथ घनिष्ठ संपर्क और रचनात्मक जुड़ाव बनाए हुए है। प्रबंधन मंडल, फेडरेशन को लगातार दिए जा रहे समर्थन और सहयोग के लिए इन सभी संगठनों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

फेडरेशन तथा इसके सदस्य संस्थाएँ सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार से वित्तीय एवं नीतिगत समर्थन लगातार मिलता रहा है। प्रबंधन मंडल, मंत्रालय द्वारा दिए गए नीतिगत मार्गदर्शन और आर्थिक पुनरुद्धार – विशेष रूप से एलटीसीसीएस में प्रौद्योगिकी अपनाने के माध्यम से – के प्रति निरंतर समर्थन के लिए आभार प्रदर्शित करता है।

नाबार्ड, अपनी स्थापना के समय से ही, राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडीबी) को पुनर्वित्त और विकासात्मक सहायता प्रदान करता आ रहा है। प्रबंधन मंडल नाबार्ड को उसकी निरंतर पुनर्वित्त सहायता तथा पिछले कुछ वर्षों में दीर्घकालिक ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना को मजबूत करने में निभाई गई उसकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान, फेडरेशन को अपने सदस्य बैंकों से निरंतर वित्तीय एवं अन्य दूसरे सहयोग के साथ समर्थन मिलता रहा है। प्रबंधन मंडल सभी सदस्य संस्थानों के अध्यक्षों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए अपनी गहरी सराहना व्यक्त करता है, जिसके कारण फेडरेशन अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने और इस क्षेत्र के विकास में योगदान देने में सक्षम हो सका।

प्रबंधन मंडल, श्री डोलर कोटेचा, अध्यक्ष, के अमूल्य योगदानों को

भी अभिलेखित करते हुए उनके सक्षम नेतृत्व तथा भारत सरकार एवं अन्य हितधारकों के समक्ष एलटीसीसीएस से संबंधित मुद्दों का प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के लिए अपनी सराहना व्यक्त करता है। मंडल उपाध्यक्षों – श्री के. रविंदर राव, श्री मोइनुल हसन, श्री ए. आर. शिवराम एवं श्री पवन कुमार टीनू – तथा सदस्य बैंकों के अध्यक्षों एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए नेतृत्व एवं मार्गदर्शन को भी स्वीकार करता है।

प्रबंधन मंडल, फेडरेशन (नैफकार्ड) के प्रबंध निदेशक श्री के. के. रविंद्रन की समर्पित सेवाओं की भी सराहना करता है, जिन्होंने मुख्य कार्यकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। प्रबंधन, इस वर्ष के दौरान फेडरेशन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और योगदान को भी कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता है।

प्रबंधन मण्डल की ओर से,

हस्ता / –
डोलर कोटेचा
अध्यक्ष

तालिका 1 – वितरित ऋण एवं बकाया ऋण

(₹ लाखों में)

क्रम संख्या	एससीआरडीबी का नाम	2025-26 के दौरान वितरित ऋण					31 मार्च 2026 तक बकाया ऋण					31 मार्च 2025 तक बकाया ऋण
		कृषि क्षेत्र	गैर कृषि क्षेत्र	ग्रामीण आवास क्षेत्र	अन्य (एसटी ऋण)	कुल वितरित ऋण	2024-25 के दौरान वितरित ऋण	कृषि क्षेत्र	गैर कृषि क्षेत्र	ग्रामीण आवास क्षेत्र	अन्य (एसटी ऋण)	कुल बकाया ऋण
1.	गुजरात	36178.62	528.53	10.86	0.00	36718.01	36179.29	95452.87	16465.56	18.14	823.98	112760.55
2.	हरियाणा	9592.29	1196.20	671.20	1408.10	12867.79	7521.50	123447.39	21741.59	16340.82	24352.92	185882.72
3.	हिमाचल प्रदेश	5455.42	194.85	715.61	0.00	6365.88	5501.85	28930.32	3900.82	6885.28	0.00	39716.42
4.	कर्नाटक	50937.21	0.00	0.00	1427.28	52364.49	56079.34	234267.76	142.96	166.46	1808.62	225940.36
5.	केरल	220233.95	24333.69	89517.25	29060.66	363145.55	319483.88	341056.93	74317.18	353888.54	36260.75	805523.40
6.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00	5739.75	5739.75	4226.93	0.00	2.78	0.00	6005.55	5444.37
7.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	442.00	442.00	0.00	83700.67	1238.12	52982.59	442.00	138363.38
8.	राजस्थान	14113.83	149.12	1050.20	0.00	15313.15	10682.79	131648.16	4393.47	18152.64	0.00	154194.27
9.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	177278.99	177278.99	176493.63	0.00	5426.75	2038.58	182322.39	189787.72
10.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	672.61
11.	उत्तर प्रदेश	24428.12	10851.16	0.00	1021.05	36300.33	39317.46	212342.92	56981.32	2773.65	20226.31	292324.20
12.	पश्चिम बंगाल	31126.54	3539.42	1108.69	82.82	35857.47	30586.18	110682.36	14540.15	17803.81	399.56	143425.88
योग [1 से 12]		392065.98	40792.97	93073.81	216460.65	742393.41	686072.85	1361529.38	199150.70	471050.51	272642.08	2305045.28
												2221001.29

नोट :- विभाजन उपलब्ध नहीं।

तालिका २ – उधार राशियां वर्ष के दौरान

(₹ लाखों में)

क्रम संख्या	एससीएआरडीबी का नाम	2025-26 के दौरान जुटाया गया				महा योग	
		नाबार्ड	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य (एनसीडीसी/ एनएचबी/एससीबी आदि)	2025-26 (3+4+5+6)	2024-25
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गुजरात	3317.83	0.00	0.00	0.00	3317.83	0.00
2.	हरियाणा	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	1000.00
3.	हिमाचल प्रदेश	6100.00	0.00	0.00	0.00	6100.00	7800.00
4.	कर्नाटक	48700.16	0.00	1600.00	0.00	50300.16	57129.78
5.	केरल	108500.00	0.00	0.00	0.00	108500.00	155400.00
6.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00	1409.78	1409.78	1229.40
7.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00
8.	राजस्थान	6000.00	0.00	0.00	49466.00	55466.00	14159.36
9.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	39577.00	39577.00	18817.00
10.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	उत्तर प्रदेश	34923.72	0.00	0.00	20412.52	55336.24	58133.51
12.	पश्चिम बंगाल	20000.00	0.00	0.00	30261.59	50261.59	46635.37
	योग (1 से 12)	227541.71	0.00	4600.00	151126.89	383268.60	370304.42

तालिका ३ – बकाया उधार राशियां

(₹ लाखों में)

क्रम संख्या	एससीआरडीबी का नाम	31 मार्च 2026 तक बकाया उधार				महा योग	
		नाबार्ड	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य (एनसीडीसी/ एनएचबी/एससीबी आदि)	31.03.2026 तक (3+4+5+6)	31.03.2025 तक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गुजरात	3317.83	0.00	0.00	0.00	3317.83	2200.00
2.	हरियाणा	0.00	3441.13	107685.00	0.00	111126.13	109126.35
3.	हिमाचल प्रदेश	29273.02	610.05	20.12	0.00	29903.19	27990.96
4.	कर्नाटक	163235.89	195.98	4898.91	0.00	168330.78	151302.28
5.	केरल	612744.08	31.95	0.00	0.00	612776.03	659043.08
6.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00	441.67	441.67	478.45
7.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00
8.	राजस्थान	42937.00	151.01	151.01	36047.94	79286.96	89973.92
9.	तमिलनाडु	0.00	0.00	1875.00	26224.00	28099.00	22240.37
10.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	उत्तर प्रदेश	95776.66	0.00	27200.00	9679.37	132656.03	123474.32
12.	पश्चिम बंगाल	100753.94	0.00	0.00	28596.44	129350.38	122156.22
	योग (1 से 12)	1048038.42	4430.12	141830.04	110989.42	1305288.00	1317985.95

तालिका - 4 जमा संग्रहण

(₹ लाख)

क्रम संख्या	एससीएआरडीबी का नाम	वर्ष के दौरान जमा संग्रहण									
		2025-26					2024-25				
		पिछले वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान एकत्रित	वर्ष के दौरान चुकाया गया	चालू वर्ष के अंत में बकाया	पिछले वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान एकत्रित	वर्ष के दौरान चुकाया गया	चालू वर्ष के अंत में बकाया		
1.	गुजरात	24978.75	34956.67	21410.27	38525.15	22454.94	21699.69	19175.88	24978.75		
2.	हरियाणा	11.01	0.10	0.99	10.12	10.66	2.03	1.68	11.01		
3.	हिमांचल प्रदेश	18674.10	4145.65	1330.28	21489.47	16699.18	3715.55	1740.63	18674.10		
4.	कर्नाटक	45366.87	29250.81	29741.94	44875.74	47272.21	46935.09	48840.43	45366.87		
5.	केरल	39628.92	19481.48	12069.20	47041.20	37041.58	14873.34	12286.00	39628.92		
6.	पाण्डिचेरी	4818.53	3197.96	2734.94	5281.55	4801.95	3411.98	3395.40	4818.53		
7.	पंजाब	10366.57	9015.24	8682.25	10699.56	15303.66	13478.06	18415.15	10366.57		
8.	राजस्थान	169.32	0.00	0.00	169.32	170.32	-	-	169.32		
9.	तमिलनाडु	45720.24	-	-	64155.14	33822.90	-	-	45720.24		
10.	उत्तर प्रदेश	806.84	105.96	234.26	678.54	930.20	181.49	304.85	806.84		
11.	पश्चिम बंगाल	27808.95	25212.29	24799.10	28222.14	26721.33	24492.60	23404.98	27808.95		
	योग (1 से 11)	218350.10	125366.16	101003.23	261147.93	205228.93	128789.83	127565.00	218350.10		

नोट: - विभाजन उपलब्ध नहीं।



६६वां
वार्षिक रिपोर्ट
२०२५-२६

तालिका 5 – लाभ / हानि (शीर्ष बैंक स्तर पर)

(₹ लाखों में)

क्रम संख्या	एससीएआरडीबी का नाम	इस तिथि को लाभ/हानि		इस तिथि को संचित हानि	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1.	गुजरात	8734.90	6717.59	0.00	0.00
2.	हरियाणा	(8188.48)	(12418.41)	116126.02	107937.54
3.	हिमांचल प्रदेश	(350.00)	1414.34	303.50	0.00
4.	कर्नाटक	एनआर	8.18	एनआर	0.00
5.	केरल	4264.93	3874.99	0.00	0.00
6.	पाण्डिचेरी	56.21	23.50	241.29	297.50
7.	पंजाब	एनआर	(5595.77)	0.00	0.00
8.	राजस्थान	4073.29	216.05	0.00	0.00
9.	तमिलनाडु	9715.67	6841.07	0.00	0.00
10.	त्रिपुरा	(29.42)	(6.27)	1894.35	1864.94
11.	उत्तर प्रदेश	410.19	1700.77	0.00	0.00
12.	पश्चिम बंगाल	159.52	152.05	0.00	0.00

नोट:- (1) कोष्टक में दिए आंकड़े हानि दर्शाते हैं।

(2) एनआर – रिपोर्ट नहीं किया गया।

तालिका 6 – गैर निष्पादित अस्तित्वां (एनपीए)

(₹ लाख)

क्रम संख्या	एससीएआरडीबी का नाम	31 मार्च 2026 तक			31 मार्च 2025 तक		
		कुल बकाया ऋण	कुल एनपीए	बकाया लोन के % के रूप में एनपीए	कुल बकाया ऋण	कुल एनपीए	बकाया लोन के % के रूप में एनपीए
1.	गुजरात	112760.55	25496.94	22.61	95257.92	23197.23	24.35
2.	हरियाणा	185882.72	159457.81	85.78	177972.94	160717.41	90.30
3.	हिमाचल प्रदेश	39665.73	15527.70	39.15	40001.45	14697.50	36.74
4.	कर्नाटक *	225940.36	79033.98	34.98	225940.36	79033.98	34.98
5.	केरल	805523.40	106413.03	13.21	801840.24	107395.08	13.39
6.	पाण्डिचेरी	6008.33	167.80	2.79	5444.37	172.28	3.16
7.	पंजाब	138200.00	110000.00	79.59	145961.84	105498.49	72.28
8.	राजस्थान	154194.27	92667.11	60.10	155011.11	97956.24	63.19
9.	तमिलनाडु *	154699.28	10655.71	6.89	154699.28	10655.71	6.89
10.	त्रिपुरा	672.61	643.23	95.63	726.32	678.50	93.42
11.	उत्तर प्रदेश	263456.40	195943.01	74.37	253544.44	187037.02	73.77
12.	पश्चिम बंगाल *	137378.86	33701.28	24.53	137378.86	33701.28	24.53
	योग (1 से 12)	2224382.51	829707.60	37.30	2193779.13	820740.72	37.41

नोट :- *31.03.2025 की स्थिति समीक्षा के लिए विचारणीय है।

तालिका 7 – मांग वसुली अधिशेष स्थिती

(₹ लाखों)

क्रम संख्या	एससीएआरडीबी की नाम	31 मार्च 2026 तक शीर्ष बैंक स्तर पर				31 मार्च 2025 तक वसुली (%)	31 मार्च 2026 तक अंतिम उधारकर्ता स्तर पर				31 मार्च 2025 तक वसुली (%)
		मांग	वसुली	अधिशेष	वसुली (%)		मांग	वसुली	अधिशेष	वसुली (%)	
1.	गुजरात	74776.97	41534.22	33242.75	55.54	53.02	74776.97	41534.22	33242.75	55.54	53.02
2.	हरियाणा	261400.75	11983.49	249417.26	4.58	4.02	212418.57	20167.42	192251.15	9.49	1.90
3.	हिमाचल प्रदेश	21573.54	5182.74	16390.80	24.02	28.90	22733.84	6343.04	16390.80	27.90	33.30
4.	कर्नाटक	163467.50	63364.72	100102.78	38.76	30.94	74631.85	48726.30	25905.55	65.29	68.88
5.	केरल	380490.47	328677.48	51812.99	86.38	83.76	446336.85	295699.57	150637.28	66.25	63.89
6.	पाण्डिचेरी	4798.83	4430.96	367.87	92.33	92.42	4798.83	4430.96	367.87	92.33	92.42
7.	पंजाब	125200.00	20000.00	105200.00	15.97	19.50	280873.65	24490.77	256382.88	8.72	10.13
8.	राजस्थान	154349.99	34147.37	120202.62	22.12	13.42	99379.16	30124.60	69254.56	30.31	27.47
9.	तमिलनाडु	195680.99	183853.62	11827.37	93.96	92.34	221146.44	214630.59	6515.85	97.05	96.82
10.	त्रिपुरा	1705.99	135.15	1570.84	7.92	9.22	1705.99	135.15	1570.84	7.92	9.22
11.	उत्तर प्रदेश	197545.68	38665.39	158880.29	19.57	27.04	197545.68	38665.39	158880.29	19.57	27.04
12.	पश्चिम बंगाल	92066.58	38677.74	53388.84	42.01	45.58	122837.51	47338.46	75499.05	38.54	39.04
	योग (1 से 12)	1673057.29	770652.88	902404.41	46.06	44.07	1759185.34	772286.47	986898.87	43.90	41.63

नोट :- (1) एनए - लागू नहीं।
(2) एनआर - रिपोर्ट नहीं किया गया।

तालिका 9 – संगठनात्मक संजाल

(संख्या)

क्रम संख्या	एससीएआरडीबी का नाम	शाखाओं की संख्या (एकात्मक/मिश्रित संरचना)		पर्यवेक्षी इकाइयों की संख्या (क्षेत्रीय / मण्डलीय / आंचलिक कार्यालय)		पीसीएआरडीबी की संख्या (संघीय/मिश्रित संरचना)		पीसीएआरडीबी शाखाओं की संख्या (संघीय/मिश्रित संरचना)		योग संजाल	
		31.3.2026	31.3.2025	31.3.2026	31.3.2025	31.3.2026	31.3.2025	31.3.2026	31.3.2025	31.3.2026	31.3.2025
1.	गुजरात	179	177	17	17	एनए	एनए	एनए	एनए	196	194
2.	हरियाणा	0	0	0	0	19	19	70	70	89	89
3.	हिमाचल प्रदेश	51	51	0	0	1	1	35	30	87	82
4.	कर्नाटक	25	25	0	0	184	184	0	0	209	209
5.	केरल	17	17	2	2	77	77	195	195	291	291
6.	पाण्डिचेरी	1	1	1	1	एनए	एनए	एनए	एनए	2	2
7.	पंजाब	0	0	24	24	89	89	0	0	113	113
8.	राजस्थान	0	0	2	2	36	36	124	124	162	162
9.	तमिलनाडु	0	0	22	22	180	180	0	0	202	202
10.	त्रिपुरा	5	5	0	0	एनए	एनए	एनए	एनए	5	5
11.	उत्तर प्रदेश	323	323	18	18	एनए	एनए	एनए	एनए	341	341
12.	पश्चिम बंगाल	11	11	2	2	24	24	101	101	138	138
	योग (1 से 12)	612	610	88	88	610	610	525	520	1835	1828

नोट :- एनए – लागू नहीं।

तालिका 10 – सदस्यता और निर्वाचित निदेशक मण्डल का विवरण

(संस्था)

क्रम संस्था	एससीएआरडीबी का नाम	ऋणी सदस्य		गैर-ऋणी सदस्य		कुल सदस्यता (ऋणी व गैर ऋणी सदस्य)		क्या एससीएआरडीबी का निर्वाचित निदेशक मण्डल है (हां/नहीं)		उन पीसीएआरडीबी की संस्था जिनके निर्वाचित बोर्ड हैं	
		31.3.2026	31.3.2025	31.3.2026	31.3.2025	31.3.2026	31.3.2025	31.3.2026	31.3.2025	31.3.2026	31.3.2025
1.	गुजरात	291741	291933	8596	8330	300337	300263	हाँ	हाँ	एनए	एनए
2.	हरियाणा	67289	70068	659124	655523	726413	725591	हाँ	हाँ	15	14
3.	हिमाचल प्रदेश	14698	14146	107512	104166	122210	118312	हाँ	हाँ	1	1
4.	कर्नाटक	666751	666751	522266	522266	1189017	1189017	नहीं	हाँ	182	182
5.	केरल	1411802	1339852	702736	668636	2114538	2008488	नहीं	हाँ	77	76
6.	पाण्डिचेरी	2958	3196	18095	17660	21053	20856	नहीं	नहीं	एनए	एनए
7.	पंजाब*	51796	51796	780929	780929	832725	832725	हाँ	हाँ	77	82
8.	राजस्थान*	710451	710451	489490	489490	1199941	1199941	नहीं	नहीं	21	21
9.	तमिलनाडु	62847	93167	719982	804763	782829	897930	नहीं	नहीं	0	0
10.	त्रिपुरा	1171	1232	16501	23031	17672	24263	नहीं	नहीं	एनए	एनए
11.	उत्तर प्रदेश	341480	353916	1067952	1068009	1409432	1421925	नहीं	हाँ	एनए	एनए
12.	पश्चिम बंगाल	एनआर	196452	एनआर	233259	458679	429711	नहीं	नहीं	11	11
	योग (1 से 12)	3622984	3792960	5093183	5376062	9174846	9169022	-	-	384	387

नोट :- (i) एनए – लागू नहीं।
(ii) एनआर – रिपोर्ट नहीं किया गया।

LIST OF MEMBERS (31.03.2026)

1. Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Guwahati.
2. The Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd., (Bihar- Jharkhand), Patna.
3. Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Ahmedabad.
4. Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Panchkula.
5. Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Shimla.
6. Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Srinagar.
7. Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Bangalore.
8. Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Thiruvananthapuram.
9. Odisha State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Bhubaneswar.
10. Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd., Pondicherry.
11. Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd., Chandigarh.
12. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd., Jaipur.
13. Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Chennai.
14. Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Agartala.
15. Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd., Lucknow.
16. West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Kolkata.
17. Delhi State Cooperative Bank Ltd., New Delhi.
18. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd., Shillong.
19. Telangana State Co-operative Apex Bank Ltd., Hyderabad.

सदस्यों की सूची (31.03.2026)

1. असम राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., गुवाहटी।
2. बहुराज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक लि. (बिहार – झारखण्ड), पटना।
3. गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., अहमदाबाद।
4. हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., पंचकुला।
5. हिमांचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., शिमला।
6. जम्मू व कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., श्रीनगर।
7. कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., बेंगलोर।
8. केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., थिरुवनन्तपुरम।
9. उड़ीशा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., भुवनेश्वर।
10. पाण्डिचेरी सहकारी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक लि., पाण्डिचेरी।
11. पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लि., चण्डीगढ़।
12. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर।
13. तमिलनाडू सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., चेन्नई।
14. त्रिपुरा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., अगरतला।
15. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि., लखनऊ।
16. पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., कोलकता।
17. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि., नई दिल्ली।
18. मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लि., शिलांग।
19. तेलंगाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लि., हैदराबाद।



**NATIONAL COOPERATIVE AGRICULTURE & RURAL
DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD.**

**राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
महासंघ मर्यादित**

७०३ए, बीएसईएल टेक पार्क, ७वी मंजिल, ए - विंग,
रेल्वे स्टेशन के सामने, वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०३
टेलीफोन (कार्यालय): (०२२) ४०००४९६९/४०००४९७०
फैक्स : (०२२) २७८१ ४२२३
ई-मेल : nafcard.org@gmail.com /
ncardbf.org@gmail.com
वेबसाइट : www.nafcard.org

703A, BSEL Tech Park, 7th Floor, A Wing,
Opp. Railway Station, Vashi, Navi Mumbai - 400 703
Telephone (Office) : (022) 40004969 / 40004970
Fax : (022) 2781 4223
E-mail : nafcard.org@gmail.com /
ncardbf.org@gmail.com
Website : www.nafcard.org